

[Shri S. V. Ramaswamy] .  
down their lives while on duty, is indeed most regrettable

Shri S. M. Banerjee (Kanpur) May I know whether any ad hoc compensation has been paid to the families of the deceased?

Shri S. V. Ramaswamy: It is too early to say, it will be considered in due course

Shri T. B. Vittal Rao: The hon. Minister has said that the enquiry is being conducted by the heads of departments. May I know why the Inspector of Railways is not conducting the enquiry?

The Minister of Railways (Shri Jagjivan Ram). It is not a major railway accident. The Inspector of Railways is to make an enquiry when a major railway accident takes place

12 10 hrs

INDIAN RAILWAYS (AMENDMENT)  
BILL—contd.

Mr. Speaker: The House will now take up further consideration of the following motion moved by Shri Shahnawaz Khan on the 11th February, 1959, namely

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890, be taken into consideration"

Shri D. C. Sharma was in possession of the House. The time allotted for this Bill is four hours. The time taken thus far has been only a few minutes. So, the balance is nearly four hours.

May I, at this stage, enquire as to what amount of time the hon. Members would like me to allot for general consideration of the Bill and for the clause-by-clause consideration?

Shri Tangamani (Madurai): Three hours and one hour respectively.

Mr. Speaker: Very well.

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): I welcome this Bill. As I said yesterday, the incidence of ticketless travel, the incidence of the misuse of the alarm chain and the incidence of unauthorized hawking are on the increase. These have been progressively on the increase during the past few years.

12 11 hrs

[MR. DEPUTY-SPEAKER in the Chair]

It is one thing to look at these things from a criminal offence point of view. That is a good approach, and I feel that ultimately these may have to be dealt with on that level. But my view is that these are social diseases, and social diseases do not require only remedies of this nature but require remedies of some other nature also. I would, therefore, ask the Railway Minister to find out in which railway zones these diseases have been more rampant. I can name some of them, but I do not want to do so lest I should offend the susceptibilities of some hon. Members of this House. I know, for instance, that there are certain regions in which ticketless travel has become a habit. Some people do that with impunity, and they do it in a spirit of bravado and think that it is an adventure to travel without tickets. Why it is being done, I do not know. I know that alarm-chain pulling has become a pastime with some persons. They do it as it is a kind of school-boy sport. Why they do it, I do not know. At the same time, unauthorized hawking has become, I am sorry to say, a normal feature, in some of the railway stations and in some of the trams. I think that a regional or a zonal survey should be conducted by the Railway Ministry to find out why such things are occurring.

I find that two Ministers are talking at this time, with each other. I cannot carry on.

**Mr. Deputy-Speaker:** The Railway Minister and his deputy are listening all right.

**The Minister of Railways (Shri Jagjivan Ram):** I am all attention to him

**Shri D. C. Sharma:** I was submitting very respectfully that a zonal survey of the incidence of these mal-practices should be undertaken by the Railway Ministry. They should go into the causes of the incidence of these diseases in those places, in those regions. I wonder if the Railway Ministry will do it, but I think it should be done. If it is not done by the Railway Ministry, it should be done by that Ministry which conducts some sample surveys. I think we cannot cure this social disease unless we know all the causes that exist.

**Mr. Deputy-Speaker,** I say with due deference that this kind of disease is to be found more amongst persons of a certain age-group than amongst others. I do not want to name that age-group. Why do they do it? I was myself once a victim to this kind of thing while I was travelling from Agra to Meerut. At the railway stations there were some persons of a particular age-group who wanted to board the compartment without having bought the tickets. I think they did not succeed very much, but still, they threw stones and did all that kind of thing. So, I suggest that these offences should be tackled properly as a social evil and a social remedy administered to check them. At the same time, I feel that the machinery of the Railway Ministry for dealing with thefts, robberies, murders and other things has become out-dated. It has proved to be utterly ineffective and infructuous, and the Railway Ministry, instead of dealing with minor things, should do something to tackle big problems. It should bring forward another Bill to enable us to deal with this problem.

One category of persons has been omitted from this Bill and that cate-

gory is a very elusive category, and I am sorry to say that most of us or at least some of us have been victims to that category while travelling in the trains or at the railway stations. That category is the category of pick-pockets. I do not know whether the Government is going to devise some way for dealing with these pick-pockets. Perhaps they will say that the normal course of law is enough to deal with these pick-pockets. But some of these pick-pockets travel in the trains and it requires a different kind of remedy on the part of the railway authorities.

I would next say that the intimidation of railway servants has become a habit with a few persons in our country. I do not find that the railway officials have that kind of self-confidence, that air of confidence about them, which they used to have at one time. I cannot understand why it is so. Why is it that the railway officials do not have that kind of morale which they used to have previously? It is a question which the Railway Ministry should look into. I may suggest that the Railway Ministry, instead of bringing out this provision, should do something in the nature of morale-boosting of the administration all along the line. I find that the railway administration requires to be toned up so that it can discharge its duties effectively. For instance, I know that four million persons travel every day by the railways and the railway authorities come more often in contact with the public than I think any other variety of public functionary. Therefore, I suggest that the Railway Ministry should devise some ways of giving additional confidence to the railway officials and functionaries. It is not enough to have a simple penal provision.

As I said, I welcome this Bill, but I know the fate of social legislation. You may call it socio-penal legislation. But I know the fate of it. Two Ministers have again started talking with each other.

**Mr. Deputy-Speaker:** Why should the hon. Member worry about it, when the hon. Minister-in-charge is so attentive?

**Shri D. C. Sharma:** I cannot understand this. I am addressing through you to say that two Ministers are talking with each other.

**Mr. Deputy-Speaker:** But he would find me a very patient listener and the Minister-in-charge also a very patient listener.

**Shri D. C. Sharma:** But do you not think that the attention of the Member who is speaking is diverted when two persons are talking over there?

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order.

**Shri D. C. Sharma:** I submit very respectfully that perhaps all these social, penal measures will become a kind of dead-letter as, for instance, the Untouchability Offence Act. I do not know how many prosecutions have been launched under that Act, and how many persons have been held up for the offence. So, I would say that there is not much virtue in passing a Bill of this kind. There may be some virtue, but not much virtue. So, I suggest that the Railway Ministry should think of some machinery for the implementation of such measures

Now the Minister of Parliamentary Affairs has started talking.

**Mr. Deputy-Speaker:** Why should he takes it on himself? I have stopped it; he might continue.

**Shri D. C. Sharma:** I was saying that in addition to the measures suggested here, we should adopt another method. I think the Railway Ministry has at its disposal some machinery for social education. I would say that the Ministry should gear up that machinery for social education and try to impress upon the railway travellers that this kind of thing is anti-social and against the interests of the country and the people in general.

By means of social education, the Ministry should bring about some kind of identification between the railway travellers and those persons who are trying to administer the railways.

The Railway Ministry should try to make use of the media of mass communication. For instance, some kind of documentary film can be produced on these subjects—ticketless travel, misuse of alarm chain pulling—showing the evil results they lead to. All these things can be made subjects of some documentaries. Audio-visual aid also can be utilised for bringing home to the people the disadvantages of these things.

While the provisions in this Bill have been made more severe than before, I think in some cases, the provisions do not go far enough. For instance, it is said in clause 5 that a person who has unauthorisedly occupied a berth or seat and who refuses to vacate it, may be removed from the compartment by any railway servant and he shall also be punishable with fine which may extend to twenty rupees. That is good so far as it goes, but I have known that sometimes the removal of an unauthorised traveller in a train has led to the train being detained for a very long time. It is not possible for me to bring to the notice of the Railway Minister all such incidents, but I know that sometimes the lack of punctuality, about which we complain so much, is due to such incidents. You may call this a major or a minor offence, but the fine of Rs 20 is not very severe and strict I think this fine should be so graduated as to make it difficult for any person to detain the train and make it unpunctual.

**Shri Achar (Mangalore):** On a point of order, Sir. I find the hon. Member there reading a newspaper. Is it in order?

**Shri C. R. Pattabhi Raman (Kumbakonam):** It is not a newspaper.

Mr. Deputy-Speaker: It may be in connection with this debate. Otherwise, reading of newspapers is not allowed. But if it is in connection with the debate that is taking place, certainly that is allowed. It is not a newspaper, the hon. Member is mistaken.

Shri D. C. Sharma: The provisions of the Bill should be made more realistic. It should be in accordance with the enormity of the offence and I feel that a fine of Rs. 20 would not do for that purpose.

Clause 6 (2) says

“(1A) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be a sum equivalent to the ordinary single fare referred to in that sub-section or fifty paise whichever is greater.”

I do not know whether this provision will produce the desired results, because I think that this kind of thing makes the commission of offences more normal than exceptional.

For persons who try to deal with the railway officials in a way which is not proper we should try to have a better scale of fine and imprisonment because I think the railway officials have to be protected. I find in one of the States in India, even the invigilators for examinations are going to be protected. So, I feel that the provision in regard to giving protection to railway officials should be made a little more tight.

I welcome this Bill, but there is not much worth in this Bill unless it is implemented. I hope this Bill will be implemented in a way which will give greater confidence to the travelling public as well as to the railway authorities and which would put some fear of God into the minds of all persons who try to play with some provisions of the Railways Act.

Shrimati Parvathi Krishnan (Coimbatore): While introducing this

Bill, the Deputy Minister used the usual word saying that it was an innocuous measure and that frequent pulling of the alarm chain and the loss that is being incurred by the railways due to ticketless travel had to be checked with a firm hand and so on. In a sense, this Bill is increasing the penalties that are imposed on these miscreants, particularly increasing the penalties imposed on those who pull the alarm chain unnecessarily and too often.

To my mind it is not this that is going to remedy this trouble that is there on the railways. You can continue to increase your penalties, have these threats and show the mailed fist at the passengers, but by and large, the troubles will be there, because they arise because of the way in which the railways are being run. They arise out of the difficulties that the common man faces while he travels on the Indian railways. For instance, in regard to frequent alarm chain pulling, I do not disagree that sometimes there are groups of students or merry-makers who, with a sense of mischief or playfulness, have been known to pull the chain and when the railway officer comes there and asks who has pulled the chain, there is a lot of giggling and laughing and you cannot find out the miscreant. I think this sort of incidents will always take place and it is good that the youngsters have some sense of fun provided they do not become anti-social in this sort of thing. But there are occasions when the pulling of the alarm chain is done because it is absolutely impossible for the passengers to do anything else.

Incidentally coming to the session this time in the Grand Trunk Express I was myself forced to pull the alarm chain and thereby fulfil one of my ambitions in life. There is always a temptation to pull the chain, to see if you pull the chain the train will really stop. Well, this time I was forced to do it, because it happened that a man was trying to get into the Ladies Compartment while the train



[Shrimati Parvathi Krishnan]

was in motion and there was absolutely no alternative but to pull the chain. This man said he had lost his way, he was trying to find his compartment which he could not find, the train started moving and so he jumped at the first foothold which he could find and it happened to be a Ladies' Compartment. But he had a very strange sense of hearing. When I asked who he is he said that he was an army man. So I told him that he could hang on to the bars and go to the next compartment. He said that there is no foothold he is the father of five children who are entirely dependent on him and so on. I said that in that case I have no alternative except to pull the chain. I said "I am here, you can also be there and we will explain the position and you will find your compartment." He immediately said "I cannot hear you please open the door." Anyway I pulled the chain and the moment the train stopped he started running away. If it was a bona fide case I am sure he would not have run away the way he did do. He had run away for dear life. Then the tram conductor came and asked me "did you pull the chain?" I said "Yes." He asked "why did you pull the chain?" I told him "why I did it." Then he ran away chasing that man. Nothing more was heard about it and the train started. At the next station the tram conductor comes to me and asks "why did you pull the chain?" I told him the reason. Then he asked for my name. When I asked "why" he said that he has to report the case. I said "well I have got a pass. He was being rather rude to me. Then, of course, I told him what I have not done for the last five years. I used my privileged position as M.P. and just said "I am so and so, Member of Parliament!" Immediately his cold manner changed and he apologized.

The reason for my going into the details in describing this incident is thus I could use these two or three magic words "Member of Parliament

So, he immediately changed his behaviour. What would have been my fate if I did not say that I was an M.P., I dread to think, because I have heard many cases where the railway officials themselves have harassed those who pulled the chain. There are occasions when it is very difficult for people to find out what is improper use and what is proper use.

Therefore, just increasing the penalty is not enough. There should be some way of safeguarding and of guaranteeing the manner of finding out what is the real reason for pulling the chain. Secondly, there is also a very much larger issue involved, and that is the enormous overcrowding that is there, particularly in third-class. Very often you find that the chain is being pulled because the passenger happens to be on the platform with a suit case and his wife is inside the compartment and it is a question of whether the wife alone has to go away without the husband and the suit case or whether she would like her husband and the suit case also to get into the compartment.

Now the question of overcrowding is not being tackled properly. Increased number of third-class coaches or increased number of trains or controlling the number of passengers, whatever method is there, it has to be found out. Because it is not done, there is such tremendous overcrowding with the result that tussle takes place between the passengers who are coming out and those who are getting into it. There is a lot of confusion and very often after the train leaves the platform the passengers are forced to pull the alarm chain, the tram comes to a stop and therefore, these delays take place. Therefore just to say that these delays are taking place, there is wide-scale pulling of alarm chains which has got to be checked and because you are increasing the penalty, therefore, automatically the alarm chain pulling is going to decrease, that I think

will be very much in the wrong and it is an illusion

Basically today the problem that faces us is the question of overcrowding. Very often, many times, speaking on the floor of the House we have pointed out that on many trains we find large number of first-class bogies and air-conditioned bogies going empty, not in the Grand Trunk Express but in other trains, and still no action is being taken to increase the accommodation for the third-class passengers. Similarly, we find time and again that when big people like Governor and so on travel on trains the whole of third-class compartments being reserved for their staff which means that the usual third-class passengers, who are accustomed to travelling on that line and who would be travelling by that train, they have to crowd themselves into a much smaller place than they usually have. Then the overcrowding becomes much more intense.

Then there are other suggestions that are time and again being put before the Railway Board. One is that we should have more of these boards indicating the long distance coaches, where they come from etc., so that people know exactly where they are to get in. Now if you say the third-class coaches will be the fourth and fifth compartments and so on, it will certainly help the passengers. Then you can have more signposts as you have, for instance, for the De-lux trains or as you have for some of the main trains like the Grand Trunk Express in some of the stations. If these things are done, it would considerably help the passengers or those who are coming to receive the passengers who are getting down at that station, those who are coming to meet their relations and friends to be there on the spot. It would also considerably reduce the congestion and the delays that occur because of passengers getting into the compartments and those coming out.

Then there is also the problem of overcrowding, particularly in the

local trains. For example, take the case of the Bombay city. Now those trains are so crowded that the operational efficiency leaves much to be desired for and it is inevitable that this sort of chain pulling will continue.

Therefore, just increasing the penalty is not really going to answer the problem. The problem is much wider. All that will happen is that this will go and find a place in the statute book and then we will have a large number of cases of miscarriage of justice being brought to the notice of the hon. Minister and the usual procedure will continue to go on. Therefore, what I would suggest is that apart from this measure, immediately steps should be taken in order to check overcrowding, in order to provide better facilities for the passengers who are travelling.

Then, very often you find that just when a train is beginning to start off the passengers are trying frantically to find an official on the railway platform who can hear their complaints such as lights failing in the midnight, which makes the position very difficult particularly for the lady passengers, or the fans failing in mid-summer or water exhausted because of various leakages that are there because the maintenance is so bad. All these things are there and very often the passengers get out of the train and wonder to whom they should make the complaint so that the thing can be set right straightaway. He will find that there is nobody there, because one does not know where the station master disappears at that particular moment. So, one finds it difficult to know to whom he has to make a complaint. Therefore, the efficiency aspect has also got to be looked into. If the passengers as soon as they reach a major station convey a complaint and the moment the matter is set right, then it will help the passengers a lot. For instance, only recently I had someone who had come by the Grand Trunk Express.

[Shrimati Parvathi Krishnan]

While the train was moving, suddenly for no cause or reason the fans stopped working right at midday. When at the next station they enquired why the fans were stopped the explanation was that the guard had by mistake switched it off or something like that. This sort of things naturally tend to create a sort of gulf between the passengers and the railway authorities. All the time the railways seem to think that the passengers are their enemies against whom they should battle and so they come down on them with a mailed fist with all kinds of fines and all that instead of trying to approach the whole problem in a more rational manner.

With regard to this question of ticketless travelling, you are now introducing this amendment seeking to penalise those who are found to be travelling without a ticket. That really brings before us the much wider problem of the economic difficulties that exist today due to which people are very often forced to travel without buying tickets. It may be that a man may suddenly get a telegram that somebody is ill somewhere. We have got to consider his economic position also. I do not say that there are not habitual ticketless travellers.

**Mr Deputy-Speaker:** Should the whole economic position of the country be discussed here on the question of ticketless travel?

**Shrimati Parvathi Krishnan:** I am not discussing that. I was just drawing the attention of the hon. Minister.

**Mr Deputy-Speaker:** The whole general debate on Railways was brought in when the question of alarm chain pulling was discussed.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** The point is not that I want to go into the whole issue. What I would ask for, in carrying out the provisions of this Act—it is sure to come into an Act very soon—is a more human approach towards this problem of dealing with alarm chain pulling and ticketless

travel. It is not that I am trying to defend those who travel without tickets, I would be the last person to do that. I am fully aware that there are gangs operating. We have seen cases coming up. But I would appeal that this human approach should also be there in tackling those people who are not necessarily habitual offenders but who may have a very valid reason of varying difficulties because of which they happen to contravene a particular rule.

**Shri Jagjivan Ram:** Such number is very small.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** But even that small number needs defence. Very often we find—that has been our experience—that a small number has a very much smaller voice and a bigger number has a bigger voice.

Then comes the question of assaulting of the railway officials and the penalties to be imposed on those who assault the railway officials. On this I am entirely at one with the Railway Administration, because from my knowledge of a large number of cases that have been brought to me and which I have also placed before the hon. Minister on earlier occasions, I find that very often those who really obstruct the railway travelling ticket inspectors and other railway officials happen to be people who misuse their own position in government service or in the Administration. The hon. Minister, I find, is nodding agreement because he is fully aware of the number of cases that are there when police officials, particularly, misuse their position. They man-handle the railway officials and then rush to police courts to get police cases foisted on the railway officials. Therefore, this kind of a thing will have to be put a stop to.

Here again, I feel that it is not only the threatened penalty that is going to put a stop to it, but certain administrative actions will have to be taken to safeguard the railway officials and

the travelling ticket inspectors from this type of manhandling and this type of bullying on the part of the various police officials. In fact, it is not only against the police officials that they have to be protected sometimes we find members of the ruling party, who happen to be in a particularly leading position in the ruling party, often coming to the rescue of other members of their party when they happen to come up against these railway officials and try to bully them. There is, for instance, the example of a ticket inspector who asked for the ticket of a passenger who got out at a particular station. The tram arrives at that station, no doubt, at a very unearthly hour—something like 3.00 or 4.30 in the morning. This particular passenger got up in a very dishevelled state and started rushing through the barrier in order to catch the outagency bus. Obviously, the ticket collector asked for the ticket. The passenger said that he had no time to take the ticket and tried to push the ticket collector and rush past him. The ticket collector was a bit suspicious because of the dishevelled state in which the passenger was. He thought that the passenger was one of the usual offenders, ticketless travellers. He insisted on stopping the passenger, whereupon the passenger gave him a sock on the jaw. The ticket collector got a bit annoyed and hit him back. There was a little—bit of altercation and so on. Now, a case has been foisted with the patronage or under the inspiration, whatever you may like to call it of a leading Congressman of the area. The case has been instituted not against the passenger who should have shown the ticket when he was asked for but against the ticket inspector who had the courage to ask for the ticket. I find the Deputy Minister is shaking his head. It is in his district—I mean the Deputy Minister from the south.

The Deputy Minister of Railways (Shri S. V. Ramaswamy) The hon. lady Member is bringing home the argument

**Shrimati Parvathi Krishnan:** Therefore, this sort of things should also be put a stop to.

**Mr. Deputy-Speaker:** It would have been better if the hon. Member had deposited this before the court in which the case is to be tried, before she gave this statement here.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** The case is before the court and representations have been made.

**Mr. Deputy-Speaker:** Because it is being tried there, we should not bring that here.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** The hon. Ministers are aware of it.

**Mr. Deputy-Speaker:** That also does not improve matters. If that case has been foisted, as the hon. lady Member says then it will have to be tried by some court.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** The case had been foisted.

**Mr. Deputy-Speaker:** That means there is nothing pending.

**Shrimati Parvathi Krishnan:** Sir, the point is, sometimes one finds that it is not only the man who tried to get into my compartment on the G.T. Express that suffers from deafness, this disease of "convenient deafness", but there are others also. We find that this disease is quite rampant particularly in the Railway Administration. Sometimes appeals and letters, even representations, fall on deaf ears, of course, sometimes I am forced to admit, one finds that these cases are taken up and matters are tackled.

Therefore, we are forced, time and again, to bring to the notice of the Railway Administration the same difficulties that are there. We find repetition of these incidents over and over again. That is why I would appeal to the hon. Minister to see to it that the department looks into these matters. I would like him to guarantee that in fulfilling the obligations that will fall on the department

[Shrimati Parvathi Krishnan]

under this Act, they will do it with all consideration for the railway employees on the one side and also the innocent passengers on the other side, because both aspects have got to be looked into. Sometimes it is the railway officials who are at fault, and sometimes it is the passenger who may be committing the mistake. That is why I do not want him to get the impression that we are just taking up only one side of the question and we do not realise that the railway authorities also have their difficulties. We are fully aware of them, and we are also prepared to co-operate with them whenever those difficulties are there. We are also prepared to defend and safeguard their interests in carrying out their duties and their responsibilities.

In conclusion, Sir, what I would like once again to impress upon the hon. Minister is that only these new penal clauses, these new penalties that are being imposed on ticketless travel and unnecessary pulling of alarm chain are not sufficient. Please do not make the general public and the travelling public the scapegoats for the inefficiencies that continue to exist within the Railway Administration, but help to see that those inefficiencies are set right. Then, Sir, I am sure that this whole headache that the Railway Administration is now faced with about ticketless travelling and unnecessary pulling of alarm chain will also come to an end once and for all.

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) :  
उपाध्यक्ष महोदय, यह विषयक जो अभी सदन के सामने उपस्थित है इसकी धाराओं को पढ़ने के बाद मुझे स्पष्ट नहीं मालूम पड़ता है कि इसका समर्थन किया जाय या इसका विरोध किया जाय। इसका कारण यह है कि मंत्री महोदय ने अपने भाषण में इस बात पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला कि अभी जो रेलवे ऐक्ट के अन्दर सजा देने का प्राविजन है उसको लागू करने में क्या अनुभव

हुआ है ? मुझे मालूम नहीं है कि जो ऐसे छोटे छोटे अपराध रेलवे ऐक्ट के अन्दर हैं और जिनके लिये सजा को बढ़ाने के लिये माननीय मंत्री यह विषयक लाये हैं और इन धाराओं के अन्दर जिन लोगों को सजा मिली उनमें हैबिचुएल आफेंडर्स कितने हुए ? ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनको कि टिकटलेस ट्रेवल के लिए सजा हुई यानी एक बार जुर्माना हुआ, दूसरी बार वह फिर उसी अपराध में पकड़े गये, कौन बार पकड़े गये ? यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब किसी कानून में सजा देने की या जेल में रखने की या जुर्माने की तादाद को बढ़ाने की बात पर विचार करना हो तो हमको देखना चाहिये कि जो मौजूदा प्राविजन है उसको लागू करने के बावजूद भी क्राइम किस प्रकार बढ रहा है। मैं यह बात मानता हूँ कि बिना टिकट के लोग रेलगाड़ियों में बाफी तादाद में चलते हैं और यह बात भी हम सब जानते हैं कि बिना कारण के लोग रेलगाड़ियों में लगी खतरे की जजीरे खींच लेते हैं लेकिन यह बात ठीक तौर पर मालूम नहीं है कि जिन लोगों को पकड़ा गया और पकड़ करके सजा दी गई उनके ऊपर इस सजा का अमर हुआ कि नहीं, यह बात स्पष्ट नहीं मालूम पड़ती। हमारे सामने कुछ आकड़े रखे जाये चाहिये थे जिनसे यह मालूम हो सकता कि २, ४ या ५ वर्ष के अन्दर इन अपराधों के मिलसिले में कितने कितने लोग किम किम रेलवे में पकड़े गये और कितने लोग पकड़े गये उनमें पुराने अपराधी कितने थे, ऐसे लोगों की तादाद कितनी थी जिनको कि पहली मर्तबा पकड़े जाने पर जुर्माने की सजा हो चुकी है और फिर दुबारा उन्होंने उन्हीं अपराधों को करने की हिम्मत की और बिना टिकट यात्रा करने या खतरे की जजीरे बिना कारण खींचने के अपराध में दुबारा पकड़े गये ? उस हालत में यह देखा जा सकता था कि शायद यह जो रेलवे ऐक्ट में खाली जुर्माने की सजा का प्राविजन है और जेल का प्राविजन नहीं है

इसलिए अपराधों में कमी नहीं हो पा रही है और इसलिए जेल की सजा भी उन अपराधों के लिये रखनी आवश्यक है। उस हालत में हम इस पर विचार कर सकते थे कि इन अपराधों के वास्ते जो सजा है उसको सख्त करने की जरूरत और बढ़ाने की जरूरत है और अगर जेल की सजा नहीं है तो जेल की सजा भी इसमें रखनी चाहिए। लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि उपमन्त्रा महोदय के भाषण में कहीं भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है सिर्फ उन्होंने हम को अपने भाषण में वही बातें बतलाई हैं जिनको कि हम सब पहले से जानते हैं अर्थात् रेलवे में लोग बिना टिकट के यात्रा करते हैं और बिना कारण के छतरे की जड़ों से लीचते हैं। जो कुछ उन्होंने फरमाया वह सब सही है और मैं स्वीकार करना हूँ कि यह बीमारी हमारे समाज में विद्यमान है। लेकिन मैं कहता हूँ कि अभी जो रेलवे ऐक्ट के अन्दर उस बीमारी की दवा है उसके रहते हुए भी बीमारी जारी है तो असल में बात यह है कि दवा का व्यवहार ही नहीं होता तो बीमारी जाती कैसे। मैं इस चीज को जोर देकर कहना चाहूँगा क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज जो मुसाफिर बिना टिकट के रेलवे में यात्रा करते हैं, वह अधिकांश में पकड़े ही नहीं जाते, सजा की बात तो छोड़िये। जो पकड़े जाते हैं उनको तो मजा हो जाती है लेकिन मैं समझता हूँ कि तीन चौथाई से अधिक आदमी पकड़े ही नहीं जाते हैं, हैबिचुएल प्रोफेडर्स हैं और उनकी बिना टिकट यात्रा करने की आदत सी हो गई है। रेलवे के कर्मचारी जिनको कि यह अधिकार मिला हुआ है कि वे ऐसे अपराधियों को चैक करे और उनको पकड़ कर पुलिस के हवाले करे, मुझे कहना पड़ता है कि हमारे रेलवे के कर्मचारी लोग अपने इस कर्तव्य का पालन ही नहीं करते हैं। हम कर्तव्यपालन न करने के दो कारण हैं। एक कारण तो यह है कि वे स्वयं इस बुराई को बुराई नहीं समझते हैं और वे लोग ऐसा समझते हैं कि अगर कुछ लोग बिना टिकट सफ़र करते हैं

तो इसमें हमारा क्या बिगड़ता है। रेलगाड़ी कोई हमारी तो है नहीं वह तो देश और सरकार की है जैसे चलता है चलने दिया जाय और हम यह पकड़ने का काम क्यों करे . .

श्री अ० ए० लिख (बेगुं सराय) : उन लोगों ने रेट सस्ता कर दिया है।

श्री धीनारायण दास टिकट एग्जामिनर्स हम जानते हैं कि हजारों की तादाद में हैं और हम देखते हैं कि कहीं तो चैकिंग होती है और कहीं चैकिंग होती ही नहीं है और इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारी जिनके कि जिम्मे यह काम है वे अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते हैं। कर्तव्य पूरा न करने का दूसरा कारण यह है कि उनको अपराध करने वालों से मार खा जाने का डर रहता है। उनको डर होता है कि जिस इलाके में वे रहते हैं और काम करते हैं अगर वहाँ के लोगों को हम पकड़ेंगे तो वे हमें किसी न किसी भीके पर भ्रमण नुकसान पहुँचावेंगे और इस डर से वे लोग जो चैक करने की उनकी ड्यूटी है उसको ठीक से अजाम नहीं देते हैं। कुछ रेलवे कर्मचारियों से मेरी बातें हुई हैं। उन्होंने बताया है कि इस बुराई को हम और आप सब देखते हैं लेकिन हम अपना कर्तव्य इसलिए नहीं करते क्योंकि कर्तव्यपालन के सिलसिले में अगर हम कहीं मार खा जाते हैं तो यह रेलवे प्रशासन हमारी कोई मदद नहीं करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी टी० टी० के ऊपर इस सिलसिले में किसी मुसाफिर द्वारा केस चला दिया जाता है तो उसमें टी० टी० को रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती है और इसका नतीजा यह होता है कि रेलवे के कर्मचारी डर के मारे अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते और जाहिर है कि टिकट चैकर्स जिन पर कि इस ड्यूटी को अजाम देने की जिम्मेदारी है जब वे अपने फर्ज को पूरा नहीं करते तो लोग समझते हैं कि भई बिना टिकट चलने में पकड़ तो होती नहीं है,

[श्री श्रीनारायण दास]

सजा तो होती ही नहीं है इसलिए बीयर टिकट ही चलो। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या रेलवे ऐक्ट के अन्दर इन सशोचनों के द्वारा यह बीमारी दूर होने वाली है? मेरा कहना है कि रेलवे मंत्री महोदय को बीमारी का भी पता है और उसकी दवा भी उन्होंने तजवीज कर दी है और चूँकि बीमारी खत्म नहीं हो पाई है इसलिए उन्होंने दवा भी तेज कर दी है और सजा बढ़ा दी है लेकिन रेलवे के कर्मचारी जिन पर कि मरीजों को दवा खिलाने की जिम्मेदारी है जब वे ही अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो फिर खाली दवा तेज करने और सजा बढ़ाने से क्या बनेगा?

12.57 hrs

[MR SPEAKER in the Chair]

अब रेलवे कर्मचारियों जिन पर कि बिना टिकट यात्रा करने वाले लोगों और बिना कारण के खतरे की जर्जर शोचने की जिम्मेदारी है जब वे ही अपने फर्ज पूरा नहीं करेंगे तब यह सजा बढ़ाने और जेल की मजा रखने में क्या काम बनेगा और इनका क्या असर होने वाला है?

यह जो आप कानून बना रहे हैं उसका विरोध हम इस बिना पर नहीं करते हैं कि आप उसको सख्त क्यों कर रहे हैं क्योंकि हम लोग समझते हैं कि यह जो अभी १, २ महीने की सजा रखने की बात आप कर रहे हैं यह कोई ज्यादा नहीं है और यह बीमारी अगर उस तरह पकड़ में आ जाय तो हममें भी अधिक सजा अगर जरूरी हो तो रखी जाय, मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। लेकिन हमको तो इस बात का पूरा डर है कि उसमें बीमारी काबू में नहीं आने वाली है क्योंकि अभी तक जो रेलवे ऐक्ट में उसके लिए दंड की व्यवस्था है उसके मातहत लोगों को जो पकड़ना चाहिए, नहीं पकड़ा जा रहा है और उसको अमल में नहीं लाया जा रहा है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमारे रेलवे के कर्मचारी

दोषी हैं। मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि रेलवे के कर्मचारी जिनको कि पकड़ें क्लास में चलने का अधिकार है सीकेड क्लास में सफर करते हैं और सीकेड क्लास के जो इनटाइटिल्ड हैं वे फर्स्ट क्लास में सफर करते हैं . . .

श्री सिंहासन सिंह (गोरखपुर) : बिहार में यह चलता है।

श्री श्रीनारायण दास : यह केवल बिहार की ही नहीं अपितु सारे देश की बीमारी है। मैं इससे इंकार नहीं करता कि बिहार में यह बीमारी है और मैं चाहता हूँ कि यह बीमारी बहा से दूर हो। लेकिन खाली बिहार में ही यह बीमारी हो ऐसी बात नहीं है। बंगाल और उत्तर प्रदेश आदि प्रान्त भी इससे ग्रहणित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश जो कि बिहार का पड़ोसी प्रांत है वह भी इसके लिए कोई कम दोषी नहीं है। बिहार अगर दोषी है तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी उतने ही उसके लिए दोषी हैं क्योंकि मिलसिला वही है।

अब इस विवाद में जाने की आवश्यकता नहीं है कि चूँकि रेलवे के कर्मचारी जिन पर कि इस कानून को अमल में लाने का दायित्व है वे चूँकि अपने फर्ज को अजाम नहीं देते हैं इसलिए यह जेल की सजा देने का और सजा सख्त करने का प्रावजन किया जा रहा है यह भी नाकामयाब रहेगा।

श्री डी० सी० शर्मा न भी इस बात का जिक्र किया है कि बीमारी का इलाज ठीक हो सकता है अगर कि दवा खाई जाय लेकिन दवा अगर खाई ही न जाय तो बीमारी कैसे दूर हो सकती है। तब वह तो और बढ़ती ही जायगी। इसलिये अब तो यह तीन महीने की जेलकी दंड की सजा रखी है ६, ९ द। वर्ष के बाद अगर यह बीमारी दूर न हो तो तीन महीने की सजा को ६ महीने की कर दें और २०० रुपये जुर्माने की जगह ५०० रुपये का जुर्माना

कर दें, तो इस तरह से तो यह बीमारी दूर होने वाली नहीं है। आज लोग यह समझने लगे हैं कि बिना टिकट यात्रा करने से पकड़े तो जाते ही नहीं हैं फिर क्यों न बिना टिकट करके अपना पैसा बचाया जाय। विद्यार्थी अक्सर बिना टिकट यात्रा करने हैं और जब लोग देखते हैं कि किताब लेकर चलने वाले विद्यार्थी बिना टिकट यात्रा कर लेते हैं और टिकट चैकमें उनको पकड़ने नहीं तो दूसरे लोग भी किताब लेकर विद्यार्थी बन जाते हैं और बिना टिकट यात्रा करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप रेलवे कर्मचारियों में यह भावना पैदा कीजिये कि वे अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हों और उनको इसके लिये आवश्यक ट्रेनिंग भी दीजिये, रेलवे कर्मचारियों में हिम्मत का संचार करिये और उस सिलमिले में अगर मुकदमेबाजी की नीबत आ जाये तो रेलवे कर्मचारियों की रेलवे प्रशासन मदद करे क्योंकि यह अक्सर देखा जाता है कि बिना टिकट यात्रा करने वाले मुसाफिरो पर जब मुकदमा चलाया जाता है तो रेलवे प्रशासन अपने कर्मचारियों को कोई मदद नहीं देता। ड्यूटी के मिलमिले में यदि उस पर मार पड़ जाती है तब प्रशासन की ओर से यह कह दिया जाता है कि वह तुम्हारा जाती मामना है तुम केस लडो। लेकिन इन तमाम कठिनाइयों के बावजूद थोड़े कर्मचारी रेलवे में अवश्य ऐसे हैं जो कि हिम्मत और ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हैं लेकिन ज्यादातर कर्मचारी अपने िव्य का पालन नहीं कर रहे जिसके कारण यह बिना टिकट चगना बढ़ता चला जा रहा है।

13 hrs.

एक माननीय सदस्य आपने कर्मचारियों के बारे में तो कहा लेकिन अफसरों के बारे में आपका क्या खयाल है ?

श्री श्रीनारायण दास : रेलवे कर्मचारियों में अफसर भी शामिल हैं। मैं ऊपर के अफसरों से लेकर नीचे तक के कर्मचारियों को रेलवे

कर्मचारी मानता हूँ। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ कि यह जो मेजर रखा जा रहा है इससे इस बीमारी का हल होने वाला नहीं है। जब तक कि रेलवे कर्मचारी जिनके जिम्मे इसको रोकने की जिम्मेदारी है अपना कर्तव्य पूरा नहीं करते और जब तक रेलवे प्रशासन की तरफ से अपने कर्मचारियों को मदद नहीं दी जाती तब तक इस बीमारी का मुकाबला केवल कानून से नहीं किया जा सकेगा। जैसा मैं ने शुरू में कहा मुझे इसका समर्थन करना मुश्किल मालूम पड़ता है और विरोध करना भी कठिन जान पड़ता है। लेकिन हमारे मंत्री जी की यह मशा है और अगर वह यह प्रस्ताव करते हैं कि इस कानून से यह बीमारी दूर हो जायेगी, तो मैं इसका समर्थन करता हूँ।

इसमें यह भी दिया गया है कि अगर कोई किसी रेलवे कर्मचारी के काम में दस्त-अन्दाजी करेगा तो उसको भी सख्त सजा दी जायेगी। यह बात साधारणतया देखने में तो अच्छी मालूम होती है कि कोई अपना कर्तव्य करे और कोई उममें रुकावट डाले तो यह बहुत बुरी चीज है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि रेलवे कर्मचारी ऐसा भी करते हैं कि किसी ने रुकावट नहीं डाली है तो भी उसकी शिकायत कर देते हैं और उम पर मुकदमा चल जाता है। अगर किसी ने देखा कि कोई टिकट कलक्टर या टिकट एग्जामिनर मुसाफिर से पैसा लेकर उम छोड़ रहा है और उस ने उम पर आपत्ति की ना बजाये उमका अच्छा कहने के वह रेलवे कर्मचारी यह कहता है कि इसने हमारे काम में दस्तन्दाजी की है और उस आदमी पर मुकदमा चल जाता है। तो इस प्रकार कानून का दुरुपयोग होता है और इसका पबलिक के पास कोई उपाय नहीं है। अगर एक बार शिकायत चली जाती है कि फला आदमी ने रेलवे कर्मचारी के काम में रुकावट डाली है तो उसके पास नोटिस चला जाता है और उस पर मुकदमा चला दिया जाता है। फिर



[श्री श्रीनारायण दास]

चाहे वह उसमें बरी ही क्यों न हो जाये पर उसको दो बार धरना जाना पड़ता है और उसका पक्कीस पचास रुपया खर्च होता है। इसलिये रेलवे कर्मचारियों को भी यह देखना चाहिये कि जिसकी हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसने वास्तव में हमारे काम में रुकावट डाली है या नहीं तो मैं समझता हूँ कि यद्यपि यह कानून अच्छा है पर इसका दुरुपयोग होता है और इसलिये मुझे कुछ हिचकिचाहट थी कि इसका समर्थन किया जाये या न किया जाये। लेकिन चूँकि एक बीमारी है और इलाज ठीक है, इसलिये मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन मैं इतना मंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि अगर रेलवे कर्मचारी टिकट कलक्टर या टिकट एग्जामिनर आदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो सख्त से सख्त कानून बनाने से भी कोई लाभ नहीं होगा, वह कानून किताब में ही रखा रहेगा और टिकटलेस ट्रेविल और बिना जरूरत जर्जर सीचना बन्द नहीं होगा।

और जैसा कि शर्मा जी ने कहा सामाजिक शिक्षा देने की भी बहुत आवश्यकता है ताकि हमारे नागरिक समझे कि इस तरह का काम करना गुनाह है।

इन शब्दों के साथ मैं इस का समर्थन करता हूँ।

Mr Speaker. Then I call Shrimati Uma Nehru. Before she starts, I should like to have some clarification from the hon Minister. It may help the House also. In clause 5, it is stated, 'or having unauthorisedly occupied a berth or seat reserved by a railway administration'. More than that, what ordinarily happens is, there is a seat where three or four persons can sit. One man occupies it, puts his bed on and lies down. The others have constantly to stand. They have also paid. That is not brought here. Is there any remedy for that? In all important cases, one man if he is a *goonda* or a strong fellow, he lies

down upon the seat and the others, even an old woman or old man who ever might come, they must stand perpetually. I do not think he has paid for all the seats. I should like that he should be charged three times the charges for all the seats. If that is done, much of the trouble will be over, without leaving it to their good sense. I do not know why Shri Shree Narayan Das is not particularly interested in this.

Shri Jagjivan Ram. I am afraid that is not covered in this.

Some Hon. Members: It should be covered.

Mr. Speaker. They do not even get into the carriage. Unless the other man is strong enough to push him out, he reserves the whole carriage for himself. The only remedy is to charge him the entire charges for all the seats. Don't allow him to go. Then, he won't do it. I think an amendment may be made to this "or unauthorisedly occupies more seats causing inconvenience."

श्रीमती उमा नेहरू (सीतापुर) अध्यक्ष महोदय, मैं इस रेलवे बिल का विरोध करती हूँ। मैं समझती हूँ कि पेश्वर इसके कि इस बीमारी का इलाज करे हमको स्वयं अपना इलाज करना है। हालात यह हैं कि रोज बरोज और दिन ब दिन बजाये इसके कि यह रेलवे आगे बढ़ती जाये, इसमें झुटिया और कमजोरिया आती जाती हैं। गाड़िया वक्त से नहीं पहुँचती। कभी कभी घटा और कभी कभी दो घटा देर से गाड़िया पहुँचती हैं।

इसके अलावा जब हम सफर करते हैं थर्ड क्लास के डब्बे इनमें भरे होते हैं कि उनमें जगह होती ही नहीं है और मुसाफिरो को शिशा भी नहीं होती कि जगह न हो तो क्या किया जाये। नतीजा यह होता है कि मुसाफिर पटरियों पर सफर करते हैं। बगैर यह सोचे

कि अगर हमारा हाथ छूटा तो हमारी मौत भी प्रागे खड़ी हुई है और गाड़ी के नीचे आ जायेंगे। मेरे साथ जब मैं सफर करती हूँ अक्सर ऐसा हुआ है कि जब मैं देखती हूँ कि कोई बर्ड क्लास का मुसाफिर या किसी दुसरे क्लास का मुसाफिर पटरी पर चल रहा होता है तो मैं फर्स्ट क्लास का डब्बा खोल देती हूँ और उनको अपने साथ बिठा लेती हूँ। अगर जगह होती तो वे क्यो टग टग चलने ? हमें यह बात सोचनी है और हमें कोचेज बढ़ानी है और उनको जगह देना है पेशतर इसके कि हम उनको बंड दे। उनको बंड देने से पहले हमको देखना चाहिये कि उनकी पूरी सहूलियतें मिल रही हैं या नहीं।

दुसरी बात यह है कि यह जो बिना टिकट चला जाता है और जो बिना जरूरत चैन खींची जाती है इसका बन्द करना भी बहुत जरूरी है।

एक चीज और है। जैसा कि अभी अध्यक्ष महोदय आपने कहा, कुछ तगडे आदमी घुस आते हैं और सारी सीट पर हावी हो जाते हैं और अगर कोई गरीब या कमजोर आदमी है तो उसको निकाल देते हैं। अलावा तगडे आदमियों के मैं ने यह देखा है कि मेम्बरान पार्लियामेंट भी काफी तगडे आदमी हैं। उनकी हालत यह है कि वे फौल कर बैठने हैं, सिमट कर नहीं बैठने। और चलने में भी उनकी एक भलग ही अदा होती है। तो ये चीजे हमको रोकनी है। मेम्बरान पार्लियामेंट देश के सेवक हैं। मालिक नहीं हैं।

यह विचार भी ठीक है कि हमको सोशल शिक्षा देनी चाहिये लेकिन पहले हमको खुद भी सोशल शिक्षा लेनी चाहिये। जब तक हम खुद सोशल शिक्षा नहीं लेते जब तक हम इस बीमारी को दूर नहीं कर सकेगे। अभी मेरी बहन श्रीमती पार्वती कुष्णन् ने बताया कि किस किस तरह से जंजीर खींची जाती है और क्या क्या मुसीबतें आती

हैं। मैं रेलवे मिनिस्टर से कहूंगी कि पेशतर इस के कि वह दण्ड लगाये और जुर्माना करे, वह रेलवे की हालत को बेहतर बनाने की कोशिश करे। जुर्माने वगैरह से रुपया तो रेलवे के पास आ जायगा, लेकिन फायदा क्या होगा ? आज रेलवे की हालत यह है कि जहा भी हम बैठने हैं, किसी कोच की खिडकी टूटी होती है, किसी का लाक गायब होता है, फर्स्ट क्लास के डिब्बों को सैंकंड क्लास में और सैंकंड क्लास के डिब्बों को फर्स्ट क्लास में तब्दील किया गया है। जब पार्लियामेंट के मेम्बर वहा बैठने हैं तो रेलवे वाले हथौडे लें कर चटखनी बनाने के लिये आ जाते हैं। असल बात यह है कि आज रेलवे में कोई भी चीज ठीक नहीं है। जब हम लोगो को कोई फौसिलिटी तो वे नहीं सकते और उन पर जुर्माना भलग से करना शुरू कर दें, यह बिल्कुल गलत बात है।

जहा तक विद्यार्थियों का ताल्लुक है, चाहे आप कितने ही कानून क्यों न बनायें, वे लोग बगैर टिकट के ही सफर करेगे। स्टेशन वालो के लिये भी उन को रोकना मुश्किल है। जैसा कि अभी श्री श्रीनारायण दास ने कहा है, हम को मालूम नहीं है कि हैबिचुधल आफेन्डर्ज कौन हैं। अगर हम को बताया जाय कि इतने हैबिचुधल आफेन्डर्ज पकडे गये हैं, तो हमारी समझ में यह बात आ सकती है। लेकिन हम को यह भी नहीं मूलना चाहिये कि हम आज सब तरफ सामाजिक शिक्षा देने का इन्तजाम कर रहे हैं। हम जेलो का सुधार कर रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्रिमिनल क्राइम को छोड़ कर कोई अच्छा पेशा अपनाये। लेकिन जहा तक रेलवे का ताल्लुक है, अगर कोई भाई या बहन बगैर टिकट के सफर करता है, तो चट से उस पर जुर्माना कर दिया जाता है। हमें लोगो को शिक्षा देनी चाहिये, हमें उन को सम्मानना चाहिये। हमारा देश बहुत गरीब है। हमारे यहां लोगो के पास इतना पंसा नहीं है कि वे जुर्माना दें। इसलिये

### [श्रीनी उपा नेहरू]

मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि वह इन बातों पर विचार करे और बहुत सखी न करें, क्योंकि मस्ती से फायदा नहीं होने वाला है। सजा देने से पहले मुनासिब यह है कि लोगों को सामाजिक शिक्षा दी जाये और उन को उनकी ड्यूटीज के बारे में समझाया जाये

ज्यादा न कह कर मैं मिनिस्टर साहब से कहूंगी कि वह जुमाने के बारे में जरा विचार करे और उस को भ्रम कर दे, क्योंकि इस से रेलवे को कोई फायदा होने वाला नहीं है। रेलवे में अभी बहुत सुधार की जरूरत है। जब तक आप रेलवे में सुधार नहीं करेगे, तब तक इन जुमानों से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) अध्यक्ष महोदय, जैसा कि श्री श्रीनारायण दास ने कहा है, यह बात समझ में नहीं आती कि इस विधेयक का विरोध किया जाये, या समर्थन किया जाये। मेरी भी अवस्था इसी तरह की है।

श्री बजरंग सिंह (फिरोजाबाद) : दोनो बिहारियों की एक सी है ? तब तो मिनिस्टर साहब की अवस्था भी इस तरह की होगी।

अध्यक्ष महोदय समर्थन करना मुश्किल है ?

श्री राजेन्द्र सिंह और विरोध करना भी मुश्किल मालूम पड़ता है। मैं दविधा में पड़ा हुआ हूँ।

यह ठीक है कि हमारे मुल्क में बहुत से ऐसे आदमी हैं, जो बिना टिकट के सफर करते हैं और करने की मना रखते हैं और उस का इलाज होना चाहिये। मगर यह भी सोचना है कि आखिर यह बात होती क्यों है। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैं कहना चाहता हूँ

कि रेलवे मजदूरों से भी मेरा बलिष्ठ सम्बन्ध है और हिन्दुस्तान में रहने की हैसियत से, हिन्दुस्तान के बाशिन्दों को रेलवे सफर में जो तकलीफ उठानी है, उस का भी मुझे तजुर्बा है। कहा गया है कि चैन-पुलिंग से गाड़ियों के चलने में विलम्ब होता है। यह ठीक है, लेकिन यदि इस कानून को व्यवहार में लाया जाये, तो क्या नतीजा होता है ? अभी पार्वती बहन ने एक किस्सा सुनाया। ठीक उसी तरह से मैं भी एक कहानी आप के सामने रखना चाहता हूँ। वह कोई ज्यादा दिन की बात नहीं है, केवल दो महीने की बात है। मेरे घर के सामने रेलवे लाइन है। एक बार मुझे मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी जा रही है और लेट जा रही है। एन० ई० रेलवे में गाड़ियों का लेट चलना मामूली बात है। वहा पर गाड़िया टाइम पर नहीं चलती है। इधर कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है। जब मुझे मालूम हुआ कि मेरी गाड़ी जा रही है, तो मैं दौड़ कर उस पर सवार हो गया। कानून में तोड़ दिया। मुझे पता नहीं था कि जिस कम्पार्टमेंट में मैं सवार हुआ हूँ, वह नेडीज कम्पार्टमेंट है। जब मैं भीतर गया, तो वहा बेंठी दो तीन औरतो हम्ना करने लगी कि गुडा आ गया, गुडा आ गया। अब मैं क्या करना ? गत का मौका था और वे बहुत धबरा रही थी। आखिर मुझ को चैन-पुलिंग करना पड़ा। उस के बाद गाईं माहब प्राये। वह बेचारे मुझ को पहचानते थे, इस लिये उन्होंने मेरे साथ कोई बदसलुकी नहीं की। अगर इस कानून को मान लिया जाये, तो ऐसी अवस्था में क्या हालत होगी ?

श्री० रणबीर सिंह (रोहतक) : इसी लिये तो जजीर लगाई है।

श्री राजेन्द्र सिंह : इस के बाद मैं दूसरी कहानी कहना चाहता हूँ। उसी लाइन से एक बार गाड़ी जा रही थी। मेरी अर्द्धगिति को प्रसव पीड़ा थी और उन को दूसरी जगह

अस्पताल में ले जाना था। जब गाड़ी वहाँ आई, तो उन की डोली अभी पीछे थी। आखिर मजबूर हो कर चेन-पुलिंग करनी पड़ी। अगर ऐसा न किया जाता, तो कम से कम मैं तो उस दिन विधुर हो जाता। इन सब बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिये।

यह भी कहा गया है कि जब रेलवे के अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्य का पालन करते हो, तो यदि उन के साथ कोई हस्तक्षेप करेगा, तो उस को दण्ड दिया जायेगा। यह ठीक है। लेकिन यहाँ पर दोनो पक्षों की बात कही गई है। कभी कर्मचारी बदसलूकी करते हैं, तो कभी यात्री बदसलूकी करते हैं।

अभी कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से श्रीमती पार्वती कृष्णन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के मेम्बरो के साथ मुसाफिर बिना टिकट सफर करते हैं और जब उन से जवाब-तलबी की जाती है, तो कांग्रेस के बड़े आदमी—लोक सभा या विधान सभा के मेम्बर—अपनी ताकत की आजमाइश करने लगते हैं। मैं एक दूसरी बात बताना चाहता हूँ। केवल आठ दिन की बात है। मैं जहाज पर सफर कर रहा था। जहाज पर ऐसा होता है कि फर्स्ट, मैकड और थर्ड क्लास में ज्यादा अन्तर नहीं होता है। लोग इधर से उधर चले जाते हैं। उम दिन थर्ड क्लास के कुछ आदमी डेक पर कांग्रेस पार्टी के एक अमेम्बली के मेम्बर से बात करने लगे। एक हमारे कम्युनिस्ट दोस्त थे। उन्होंने एक टी० टी० का कह दिया कि जरा बैठ कर लो और मैजिस्ट्रेट के सामने इन को खड़ा कर दो। उम को सामने खड़ा कर दिया गया। मैं ने उस को पहल नहीं देखा था और टी० टी० भी हाफ-बॉयल्ड कम्युनिस्ट या सीगलिस्ट हो सकता है। मैजिस्ट्रेट खड़े थे। जब उन की मुस पर नजर पड़ी तब कहानी खत्म हुई। मेरे कहने का मतलब यह है कि इस का यह अर्थ नहीं है कि बड़े लोग जो हैं, जो विधान सभा के सदस्य हैं या लोक-सभा के

मेम्बर हैं, वे ही बदसलूकी करते हैं या कर्मचारी ही करते हैं या पब्लिक ही करती है, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि दोनो तरफ से ये बातें होती हैं। आज देश की ऐसी अवस्था हो गई है, ऐसी हालत हो गई है कि इन बातों को रोकना नहीं जा सकता है और न ही रोकने का प्रयत्न किया जा रहा है। पिछले ग्यारह बरस की कांग्रेसी हकूमत के दौरान में जो सामाजिक विकार पैदा हुए हैं, उन को उसने रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। यह दुराचार चारों ओर फैला हुआ है। जो बिल सदन में रखा गया है यह कोई उस बीमारी की दवा नहीं है। मैं रेलवे मंत्री जी को जानता हूँ और उन के साथ मैं जेल में भी रहा हूँ और मेरे उन के साथ गहने ताल्लुकात हैं, लेकिन उम के बावजूद मैं ने कभी यह नहीं सोचा था कि रेलवे मंत्री इस तरह का बिल लायेंगे।

जब यहाँ पर ब्रिटिश हकूमत थी तब भी एक कानून बनाया गया था और वह सफल हुआ था। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जाने के बाद समाज की जो पीड़ा है, समाज की जो अवस्था है उम के परिहार के लिये आप यहाँ पर दण्ड व्यवस्था करने हैं, दंड दे कर आप समाज सुधार का काम करना चाहते हैं, यह मुझे ता बड़ी अजीब बात लगती है। मुझे ता ऐसा लगता है कि जिन लोगों के हाथ में ताकत है या जो इस रेलवे विभाग को चला रहे हैं, उन के दबाव में आ कर उन की बात को मान कर हमारे रेल मंत्री महींदर को यह कदम उठाना पडा है या पड रहा है। यह मेरा खयाल है, मेरा अनुमान है और हो सकता है यह मेरा अनुमान ठीक भी न हो। मैं कई बार इस सदन में कह चुका हूँ कि इस देश के अन्दर लोकतन्त्रात्मक हकूमत तो है नहीं, भुक्तियों की हकूमत है, जो आप को जवाब देने के लिये दिया जाता है, वही आप दे देते हैं, जिस किसी प्रोपोजल को आप के सामने रखते हैं, उस को आप मंजूर कर लेते हैं।

[श्री राजेन्द्र सिंह]

जो बिक्रित्सा या बचा वे बताते हैं, उसे आप मंजूर करते हैं।

जहाँ तक टिकटलेस ट्रेवल का ताल्लुक है, अध्यक्ष महोदय, मैं रेल मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ उस कहानी का जो पिछले चार पांच महीने के बीच में घटी है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर है और वहाँ पर डी० टी० एस० हैं। वह वहाँ के एक बहुत बड़े अधिकारी हैं। जब से वह आए हैं तब से हमारे वह डी० टी० एस० साहब छपरा से वेव्याभो को हर रोज अपने घर पर बुलाते थे और बिना टिकिट के उन को लाते थे और उन को बिना टिकिट सफर करते पकड़ने वाला कोई नहीं था। मैं समझता हूँ यह बात तो बड़ी छोटी है और मुझे कहनी नहीं चाहिये थी लेकिन लाचारी में कहनी पड़ रही है। मैंने वहाँ के टिकिट एग्जैमिनर और टिकिट कलेक्टर से कहा कि आप चँक क्यों नहीं करते हैं। उन की तरफ से मुझे यह जवाब दिया गया कि आप बोले ही हमें बचा दोगे और अगर हम ने चँक कर भी लिया तो इस का उल्टा ही नतीजा निकलेगा। एक बार ऐसा भी हुआ कि उन के सम्बन्धी बिना टिकिट जा रहे थे। उसी समय अचानक वहाँ पर रेलवे मैजिस्ट्रेट की चौकिंग शुरू हो गई। डी० टी० एस० ने टी० टी० से कहा कि इन के टिकिट बना दो। टी० टी० ने कहा कि गार्ड सर्टिफाई नहीं करता है और मैं टिकिट नहीं बना सकता हूँ। इस के बाद डी० टी० एस० ने सर्टिफाई किया तब जा कर टिकिट बनाये गये। मैं अपने तजुबों की बिना पर कह सकता हूँ कि पुलिस ही सब से ज्यादा रेलवे पर बिना टिकिट सफर करती है और उस के लिये दण्ड भी देने वाला कोई नहीं है। रेलवे कर्मचारी, रेलवे के अफसर, उन के दोस्त, उन के सम्बन्धी उन के बीबी बच्चे इत्यादि बिना टिकिट सफर करते हैं और उन को पकड़ने वाला कोई नहीं है। किस की

हिम्मत है कि उन को चँक कर जाये ? किसी की हिम्मत नहीं है।

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खाँ) : बिल्कुल गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह : भ्रम में है बिचुअल टिकिटलेस ट्रेवलर्स की बात करता हूँ। ये है बिचुअल टिकिटलेस ट्रेवलर्स कौन हैं देहाती प्रादमी तो ये हो नहीं सकते हैं। मैं रेलवे मंत्री महोदय से बड़े भ्रम के साथ कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को है बिचुअल कहा जाता है वे देहाती नहीं होते हैं।

13.25 hrs.

[MR. DEPUTY SPEAKER in the Chair]

इस कैटेगरी में ज्यादातर देहातियों को शामिल कर लिया जाता है। कमी-कमी कुछ स्टूडेंट भी चक्कर में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं। मगर पुलिस वाले और रेल कर्मचारी तो कमी भी पकड़े नहीं जाते हैं। उन को पकड़ना ना-मुम्किन है। मैं आप को बताऊँ कि अगर मैं बिना टिकिट चलू तो मुझे भी पकड़ने वाला कोई नहीं है कम से कम मेरे सेक्शन से।

उपाध्यक्ष महोदय : कमी आप ने ट्राई तो नहीं किया है ?

श्री बजर्राज सिंह : इसी लिए तो पास दे दिये गये हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह : मैं किसी पर आक्षेप नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो स्थिति इस समय रिश्तान है वह बयान कर रहा हूँ।

मैं है बिचुअल लोगों की बात कर रहा था। जो है बिचुअल है उन का मैं आप को बतलाना चाहता हूँ, आप को कमी पता भी नहीं चलेगा और जो बंचारे किसी कारणवश बिना टिकिट चलते हुए पाये जायेंगे वे है बिचुअल हो जायेंगे। इस बास्ते मैं समझता

जब यह विधेयक व्यवहार में आया तो बिल्कुल निर्जीव, निरर्थक और ठीक इस से जिन परिणामों की आशा की गई है उस से उल्टे ही परिणाम सामने आयेंगे, यह मेरा खयाल है ।

रेलवे कर्मचारियों का जहाँ तक सवाल है, यह ठीक है कि आदमी के मूँडस होने हैं, प्राकलिचिटीय होती है, इनक्लिनेशंस होते हैं, मोमैटरी इम्पलसिस होती है और उम हालत में वह कुछ कर बैठता है जो अगर तो उस के पक्ष में चला जाय तब तो ठीक नहीं तो उस के खिलाफ भी वह बात जा सकती है । रेलवे कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर यह कहा गया है कि उन के काम करने के वक्त, उन के द्वारा कर्तव्यपालन के समय में यदि दूसरा कोई व्यक्ति उन के काम में बिध्न डालेगा, उन के काम में बाधा डालेगा, उम को मज्जा होगी । मैं आप को पिछले महीने की १६ तारीख की बात बनलाता हूँ । हमारे यहाँ हिन्दुस्तान में सब से बड़ा प्लेटफार्म है । उस प्लेटफार्म पर एक ग्राम का मुखिया आया । उस प्लेटफार्म पर टिकिट नहीं बिकते और अगर बिकते भी होंगे तो मुझे पता नहीं । इन का पता केवल रजिस्टर से चल सकता है । वहाँ पर हमारे एक ग्राम के मुखिया आये । वह बी० डी० ओ० के आर्किंस में जा रहे थे । उन की टी० टी० लोगो से लडाईं थी । मेरी दोनों के साथ दाम्ती है । उन को वहाँ पर पकड़ लिया गया और रेलवे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया । वह अपने साथ एक फाइल ले जा रहे थे । उन के पाम सम्मन था । उन्होंने यह भी बताया कि उन के पास नोटिस है और वह फला फला दफ्तर में जा रहे हैं । अब उन पर मुकदमा चल रहा है । चूँकि रेलवे कर्मचारियों के बारे में यहाँ पर जिक्र आया है इसलिये मैं यह सारी बात कह रहा हूँ । मैं नहीं कहता कि रेलवे कर्मचारी दोष विहीन है या उन के अन्दर कमिया नहीं है, कमजोरिया नहीं

हैं । अष्टाचार तो वहाँ भी है । मैं ने देखा है मैजिस्ट्रेट का चौकिंग हो रहा है और उस में टी० टी० भी हैं और आर० पी० एफ० के आदमी भी हैं, सिपाही भी हैं । सिपाही ने किसी को पकड़ लिया और उस से कहा कि तुम २५ रुपये दे दो और इधर से नहीं इधर से निकल जाओ, यानी उस को उलटा रास्ता बता दिया । तो इन कानून के मुताबिक वह आदमी जिन ने रुपये लिए बच जायेगा और बेचारा मुसाफिर फम जायगा । टी० टी० भी बच सकता है, लेकिन मुसाफिर नहीं बच सकता है ।

मैं कानून का विरोध नहीं करता हूँ । वह अपनी जगह पर है । परन्तु जो अबस्था इस समय देश की है उम और भी आप का ध्यान जाना चाहिये । मैं यही सोचता हूँ कि इस कानून का ६० प्रतिशत तो दुरुपयोग होगा और १० प्रतिशत हो सकता है इस का सदुपयोग हो ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप को बिना टिकिट की एक और बात बतलाना चाहता हूँ । आज का कानून यह है कि यदि कोई यात्री बिना टिकिट पकड़ा जायगा तो उस से यह कहा जायगा कि तुम कहा से आ रहे हो और अगर तुम्हारे पास टिकिट नहीं है तो इनका किराया और इतना महसूल भुदा कर दो और अगर वह नहीं कर पाता है तो उस को सजा दी जाती है । मैं माननीय मंत्री को एन० ई० रेलवे के बारे में एक बात बतलाना चाहता हूँ । वहाँ पर रेलवे मैजिस्ट्रेट द्वारा चौकिंग होता है । एक यात्री से कोई सवाल नहीं पूछा गया और सीधे उम के हाथ में हथकड़ी लगा दी गई और कमर में रस्ती बाध दी गई । उम को ला कर अदालत में खड़ा कर दिया गया कि साहब इम के पास पैसा नहीं क्योंकि जब महसूल मागा तो उस ने नहीं दिया । नतीजा यह हुआ कि उस के ऊपर १०० रु० फाइन कर दिया, २०० रु० फाइन कर दिया गया । फाइन ..

[श्री राजेन्द्र सिंह]

फाइन . फाइन । एक एक दिन में ५,०००, १०,००० रु० एक स्टेशन पर इकट्ठा हो जाता है । जब आप ने कानून नहीं बनाया था तब तो आप के मैजिस्ट्रेट धीर टी० टी० आई० इस तरह करते हैं । जहा तक कानून का सवाल है, कानून अपनी जगह पर है । उस का ठीक से पालन किया जाना चाहिये । मैजिस्ट्रेट को देखना चाहिये कि यात्री किराया दे रहा है या नहीं । तारीफ की बात यह है कि लोग फाइन दे देते हैं । एक आदमी एक घंटे पहले किराया नहीं देता था, लेकिन एक घंटे बाद जब फाइन होता है तो वह १०० रु० दे देता है । आखिर यह कैसे मुमकिन हो सकता है ? आप को इस को मोचना चाहिये । आप एक आदमी को नियुक्त कर देते हैं कि वह लोगों से टिकट मांगे । उस ने आदमी से टिकट मांगा, टिकट नहीं है, महसूल मांगा, तो महसूल नहीं वसूल हुआ, लेकिन जब उस के हथकड़ी लगा दी गई तो वह १०० रु० दे देता है पाच या दस मिनट में । इस तरह की कितनी ही घटनाएँ हो रही हैं । आज देश में वह बीमारी फैली हुई है । उस के लिये कानून का प्रक्षरश पालन करने के बजाय कानून के तत्वों का पालन होना चाहिये ताकि कानून का दुरुपयोग न हो । शायद मिनिस्टर महोदय कहेंगे कि मैजिस्ट्रेट तो प्राविशल गवर्नमेंट के हैं इसलिये हम क्यों अपने दिमाग को लगायें ? लेकिन आप को मोचना चाहिये कि जो फाइन होता है वह किम तरह से होता है धीर किस अवस्था में होता है । यह एक ऐसा सवाल है जो आपें दिन सैकड़ों आदमियों से ताल्लुक रखता है । कल मैं ने इस सम्बन्ध में एक सवाल किया था । पटना शहर हमारे राज्य की राजधानी है । जहा मेरा घर है उस के दूसरे पार नार्थ बिहार है । सैकड़ों हजारों आदमियों की हालत यह है कि वे गंगा पार करते हैं, गाडी पर नहीं चढ़ते हैं । वे इस पार से उस पार आना जाना चाहते हैं लेकिन रेलवे उन को सीधा टिकट नहीं देती है । अगर मुझे दिल्ली से

गाजियाबाद जाना हो तो मुझे टिकट भिन्न जायेंगा सीधा धीर उस का कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगेगा मगर वहाँ हालत यह है कि कोई आदमी पटना से पहलेजाबाद सीधा टिकट ले कर नहीं जा सकता है । मैं नहीं जानता कि किस आदमी ने यह कानून बनाया था, लेकिन मुझे ताज्जुब धीर तकलीफ होती है जब मैं देखता हू कि आज भी वह कानून जारी है ।

श्री जगजीवन राम . आप जैसे दिल्ली से गाजियाबाद जा सकते हैं वैसे ही सोनपुर जा सकते हैं पटना से ।

श्री राजेन्द्र सिंह यह दंड ग्रहण कर के जा सकता हू । यहा पर तो महसूल दे कर जाता हू, वहा पर दंड ग्रहण कर जाऊंगा क्योंकि आप वहा के लिये सीधे टिकट नहीं देते हैं । जवाब यह दिया जाता है कि वहा फेरी सर्विस है इसलिये गंगा पार के लिये सीधे टिकट नहीं दिया जाता है । मैं जब दिल्ली से पटना जाता हू तो मुझे हवाई जहाज से पाच या साठे पाच घंटे लगते हैं लेकिन अपने घर से पटना जाने में मुझे कम से कम आठ घंटे लगते हैं क्योंकि जब तक यह दंड हम ग्रहण न कर ले गंगा पार नहीं कर सकते हैं । इस का नतीजा यह होता है कि हमारे गांव के लोगों को पाच मील दूर जा कर दूसरे स्टेशन से गाडी पकडनी होती है । जो लोग दूर दूर को जाना चाहते हैं मुजफ्फरपुर या छपरा में उन को तो इस पर ही जाना होगा क्योंकि न जाने से विलम्ब होगा । इस तरह से उन को गंगा पार करना होता है । गंगा पार करने के लिये उन को कुछ दंड तो भुगतना ही चाहिये । अगर यह कानून हो गया तो अभी तो मैं पार्लियामेंट का मेम्बर हू, सन् १९६२ के बाद कौन जानता है कि किस का घर होगा धीर किस का आबाद होगा । मुझ को रोज हथकड़ी लगोगी क्योंकि घर से निकलने के लिये जहाज पर ही गंगा

पार करना होगा और जहाज का टिकट मुझे मिलेगा नहीं। इस कानून के मुताबिक हर तीन महीनें पर मुझे सजा हुआ करेगी, पता नहीं मैं क्या काम करूंगा और क्या नहीं करूंगा।

मैं चाहूंगा कि यह जो विधेयक है इस को सरकार वापस ले ले। जो बीमारी भाज है उस के लिये कोई सामाजिक चिकित्सा बूटी जाय। जैसा उमा बहन ने कहा यह बीमारी सब जगह मौजूद है। हम लोगो मे से बहुत से ऐसे हैं जो बिना टिकट ट्रेवल कर लेते हैं, अगर इस कानून को लागू कर दिया जायेगा तो नतीजा क्या होगा, मेरी समझ में यह बात नहीं आती। हमारे मित्र श्री डी० सी० शर्मा बड़े बुजुर्ग भादमी हैं, वह पंजाब से आते हैं। शायद पंजाब में इस बात की सब से बड़ी तकलीफ है और उन्होंने इस विधेयक का समर्थन कर दिया। लेकिन मैं तो बिहार का हूँ और मुझे तकलीफ होती है। उस तरह एअर कंडिशनड और फास्ट क्लास जो होते हैं उन में दो प्रावणियों की जगह रहती है। बूटी औरते जो गया स्नान के लिये जानी है वह आ कर ठसा ठस भ्रज जाती है। उन के लिये आप नें क्या प्रबन्ध किया है? अगर उन के ऊपर भी यह कानून लागू कर दिया जाता है तो क्या उस से देश की बड़ी सेवा हो जायेगी? अगर आप को देश की इसी तरह से सेवा करनी है तो आप चाहे जो कुछ कीजिये लेकिन अगर आप मही मानी में देश की सेवा करना चाहते हैं तो इस कानून को वापस ले लीजिये।

श्री बाजपेयी (बलरामपुर) उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ। जजरी खीचने की घटनाएँ या बिना टिकट यात्रा करना, यह बुराईया उतनी ही पुरानी हैं जितनी पुरानी रेलवे, और जिस अनुपात में रेलवे यात्रियों की संख्या बढ़ी है उस को देखते हुए इन बुराईयो में भी थोड़ी बहुत वृद्धि हुई है। गत वर्ष रेलवे मंत्री महोदय ने अपने बजट

भाषण में इन दोनो बुराईयों की धोर संकेत किया था। उन्होंने यह स्वीकार किया था कि जजरी खीचने की ऐसी घटनाएँ, जिन में जजरी नहीं खीची जानी चाहिये थी, ५०,००० बार हुई और उन को रोकने के लिये कदम भी उठाये गये, जैसे कुछ रेल गाडियो में या कुछ लाइनो पर जजरी को ही हटा दिया गया, या चैकिंग में दृढ़ता से काम लिया गया। फिर भी उ होने यह माना कि यह घटनाएँ बढ़ती जा रही हैं। यह स्वीकार करते हुए उ होने अपने बजट भाषण में ससद् के सदस्यो से यह अपील भी की थी कि यदि जजरी खीचने की घटनाओ और दूसरी बुराईयो पर हमें प्रतिबन्ध लगाना है तो उस में ससद् के सदस्यो का और जनता का सहयोग चाहिये, और इस के लिये जनता में चेतना उ पत्र करने की आवश्यकता है। मैं समझता हूँ कि यह जो विधेयक लाया गया है वह रेलवे-मंत्री के उस भाषण में व्यक्त दृष्टिकोण से भिन्न है। इस के पहले भी जजरी खीचने पर ५० रु० जुर्माने की सजा थी, लेकिन जजरी खीची ही गई। इस का अर्थ यह है कि ५० रु० जुर्माना लोगो को जजरी खीचने से नहीं रोक सका। अब उम से आगे बढ़ कर गाडियो में से जजरी को ही निवाल दिया गया।

श्री बजरराज सिंह अब गाडी निकाल दी जायेगी।

श्री बाजपेयी अब यह विधेयक लाया जा रहा है और ५० रु० जुर्माना बढ़ा कर ३०० रु० कर दिया गया है। उम में माघ जेल की सजा भी जोड़ दी गई। मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमने जजरी को खीचने की घटनाएँ कम होगी, और क्या इस बाद जिन रेल-गाडियो में से जजरी निकाली गई है और जिन लाइनो को यह पुरस्कार दिया गया है, उन्हें जजरी वापस कर दी जायेगी? मेरा



## [श्री बाजपेयी]

निवेदन है कि केवल दण्ड की मात्रा बढ़ाने से अपराधों की संख्या में कमी हो जायगी, यह सोचना सोलहवीं और सत्रहवीं शती में विचरण करना है। विचार इस बात का होना चाहिये कि अपराध क्यों होता है, जजिरे क्यों खींची जाती हैं। मुझे मालूम है कि पूना और लोडावाला के बीच में जजिरे खीचने की घटनाएँ बहुत होती थी। परिणाम यह हुआ कि उस गाडी में से जजिरा निकाल दी गई। लेकिन जो लोग जजिरा खीचने थे उनका आरोप यह था कि टाइम टेबल में रेलगाड़ियों का समय ऐसा रक्खा गया है कि लोग पूना में समय पर दफ्तर नहीं पहुँच सकते। और जब रेलवे टाइम टेबल में दुरुस्ती कर दी गई, गलती सुधार दी गई तो जजिरा खीचने की ज़रूरत ही समाप्त हो गई। अभी मथुरा में दिल्ली तक एक नैमेजर ट्रेन आती है। पिछले अधिवेशन की बात में आपको बताऊँ कि तुंगलकाबाद पर उस रेलगाडी को 4 घंटे तक दफ्तर आने वाले कर्मचारियों ने उभे रोके रक्खा क्योंकि वह गाडी नियमित रूप से दिल्ली में अनियमित समय में पहुँचनी है और दफ्तर में जाने वाले कर्मचारी उमंग के कारण परेशान होते हैं। अब अगर रेलगाड़ियाँ समय पर नहीं चल सकनी और यात्रियों को जिन कारणों से विवग हाकर जजिरे खीचनी पड़ती है, उन कारणों का निराकरण नहीं किया जाता तो नवन दण्ड की मात्रा बढ़ाने से इस अपराध में कमी हा जायगी ऐसा कम से कम मैं मानने के लिये तैयार नहीं हूँ।

जजिरा खीचने का रेलवे की मीडभाड से भी सम्बन्ध है और रेलवे मंत्री महोदय अभी दक्षिण की यात्रा करने गये थे। उन्होंने बगलौर में भाषण दिया कि रेलवे में मीडभाड कम करने की तो अभी कोई धाशा नहीं की जानी चाहिए। मैं उनकी कठिनाई को मानता हूँ क्योंकि जिन मात्रा में रेल यात्रियों की संख्या बढ़ रही है उमंग

लायक हमारे पास पर्याप्त साधन नहीं है लेकिन क्या यह सब नहीं है कि रेलवे की मीडभाड का सम्बन्ध जजिरा खीचने की घटनाओं में कुछ न कुछ भाग में है। जो खोल के लिए मनोरंजन के लिये जजिरे खीचते हैं उन्हें दण्ड दिया जाय, इसमें किसी का विरोध नहीं है लेकिन उनके लिए ५० रुपये दण्ड भी बहुत काफी है। मैं रेलवे मंत्री महोदय से यह जानना चाहूँगा कि पिछले वर्ष में जजिरा खीचने के अपराध के दण्डस्वरूप कितनी रकम रेलवे को प्राप्त हुई, इसका एक ब्यौरा मदन के सामने रखे। जजिरे कितनी बार खींची गई इसका विवरण तो उनकी बजट स्पीच में है लेकिन कितने लोगों ने गलत ढंग में जजिरा खीची, जिनको कि उमंग लिये सजा दी गई और उनमें जो जुमाने बमूल किये गये उमंगी रकम कितनी है। उन्होंने अपनी पिछली बजट स्पीच में यह कहा था कि ५० रुपये में जुमाने की रकम रखने का बाद भी जजिरा खीचने की घटनाएँ बढ रही हैं तो मेरा निवेदन है कि दण्ड को बढ़ाने के बजाय जजिरा खीचने की घटनाओं को रोकने के लिए उन्होंने अपनी पिछली बजट स्पीच में अन्य उपाय अपनाने का वायदा किया था, उन सम्बन्ध में क्या प्रगति की गई है कृपा करके वे मदन का यह वनाये। इस सम्बन्ध में कितना प्रचार किया गया? क्या कोई फिल्म बनाई गई जिसमें यह दिखलाया हो कि विद्यार्थी अधिकतर जजिरा खीचते पाय जाते हैं? विद्यार्थियों में इस बुराई को रोकने के लिए विद्यार्थी क्षेत्र में जा काम करने वाली भिन्न भिन्न स्टूडेंट्स आर्गनाइजेशन है क्या उनमें सम्पर्क स्थापित किया गया क्या उनका सहयोग प्राप्त किया गया? और क्या गाड़ियाँ समय पर चली?

अब मैं आपको ध्यान एक छोटी सी बात की ओर खीचना चाहता हूँ। गाड़ियाँ जहाँ से चलनी हैं शुरू होती हैं वहाँ पर गाड़ियाँ काफी समय पहले प्लेटफार्म पर लाई जा सकती हैं।

प्लेटफार्मं हालाकि खाली रहते हैं लेकिन गाडिया चलने से केवल दस मिनट पहले ही प्लेटफार्मं पर लाई जाती है। अब चूकि भीड़ काफी होती है और जाहिर है कि इस १० मिनट के अल्प समय में सब लोग एक साथ नहीं बैठ सकते और होता यह है कि कुछ बाहर रह जाते हैं और जो भीतर पहुंच भी जाते हैं उनमें से बहुतों का सामान बाहर प्लेटफार्मं पर छूट जाता है और इस तरह की अव्यवस्था में रहने जब गाडी चल्ती है तो जर्जर खींची जाती है। अब ऐसी गडबडी की हालत में क्या जर्जर खींचना अवैध या अनुचित है? अगर विशुद्ध कानूनी दृष्टि से देखें तो शायद उसे दंडनीय अपराध माना जायगा मगर ऐसी हालत में जो यात्री की वास्तविक कठिनाइया है उन पर रेलवे प्रशासन को सहानुभूति के साथ विचार करना चाहिये। मेरा निवेदन है कि अगर रेलवे प्रशासन अपना घर ठीक करे तो इस किस्म की जर्जर खींचने की घटनाएँ रोकी जा सकती हैं।

बिना टिकट यात्रा करने के सम्बन्ध में भी रेलवे मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में यह कहा था कि जब से हमने विशेष चैकिंग का प्रबन्ध किया है बिना टिकट रेलवे में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या कम हो गई है और मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव यही है कि जिम मंत्रा में पहले लग रेलों में बिना टिकट यात्रा करते थे उनमें अब नहीं चरते। यह हमने जो बिना टिकट सफर करने वालों को पकड़ने के लिए प्रबन्ध किया है और उनके लिए विशेष व्यक्ति नियुक्त किये हैं आवश्यकता इस बात की है कि उन लोगों को आप और अधिक सतर्क और जागरूक बनाये और उभी तरीके का प्रबन्ध अगर हम और क्षेत्रों में भी कर सकें जहाँ कि यह बीमारी है क्योंकि देश के सभी भागों में यह बीमारी दृढ़ता बड़ी मात्रा में प्रचलित नहीं है बल्कि देश के कुछ भागों में ही है और इसलिये अगर उन विशेष क्षेत्रों में इस प्रकार की विशेष व्यवस्था की जाये तो मैं समझता हूँ कि दण्ड की मात्रा बढ़ाये बिना

323 (A1) L S D—8

भी बगैर टिकट सफर करने वालों की संख्या कम की जा सकती है। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन अपने यहाँ सुधार कर सकता है।

इसी तरह हम देखते हैं कि बुकिंग आफिस-सेज पर कहीं-कहीं बहुत भीड़ रहती है। आप स्वयं दिल्ली के यर्ड क्लास के बुकिंग आफिस पर जाकर देखिये कि समय पर टिकट लेने आने वाले व्यक्तियों को टिकट मिलने में कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अब बुकिंग क्लर्क्स की यह शिकायत है कि उन्हें काम अधिक करना पड़ता है और ड्यूटी के जो घंटे निश्चित हैं उसके बाद उनको हिसाब मिला कर देना पड़ता है और जिस स्पीड से उन्हें काम करना चाहिए वे नहीं करते हैं, बेगार में टालते हैं। उनका असन्तोष और उनकी निराशा उनके काम में झलकती है और जिसका कि परिणाम यह होता है कि जो लोग भागते-भागते आते हैं उनको टिकट नहीं मिलता और वे बिना टिकट बैठ जाते हैं। क्या इस सम्बन्ध में हम रेलवे की व्यवस्था में कुछ सुधार नहीं कर सकते ?

अब मुझे पता है कि गोरखपुर के नागरिक यह चाहते हैं कि गोरखपुर में एक सिटी बुकिंग आफिस खुले। इस सम्बन्ध में रेलवे प्रशासन को पत्र भी लिखा गया मगर जो बुकिंग आफिस खोलना चाहते हैं उनके पास कोई स्थान नहीं है और कोई जरिया नहीं है इसलिए उन्हें बुकिंग आफिस खोलने की अनुमति नहीं दी गई। अब गोरखपुर रेलवे स्टेशन जहाँ कि बहुत अधिक भीड़ होती है वहाँ पर सबके लिए एक लम्बी लाइन में खड़े होकर टिकट लेना आमन नहीं है क्योंकि काफी समय उममें लगता है और इसलिये वहाँ पर एक सिटी बुकिंग आफिस खोला जाना आवश्यक है और एक नया बुकिंग आफिस खोलने में रेलवे का कुछ खर्चा भी नहीं होता। इन बातों की ओर यद्यपि यह छोटी-छोटी है किन्तु जिनका कि परिणाम दूरगामी होता है, रेलवे प्रशासन को जितना

## [श्री बाजपेयी]

ध्यान देना चाहिए उतना उसने ध्यान नहीं दिया ।

एक बात जो कि श्री डी० सी० शर्मा ने कही और जिसकी कि और अन्य माननीय सदस्यों ने भी ध्यान आकषिप्त किया और वह यह है कि रेलवे की जो बुराईया है उनको कम करने के लिए और रेलवे में यात्रा करने वाले अधिक सुविधाएँ प्राप्त कर सकें, अगर हम इस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो रेलवे के कर्मचारियों में जिनमें कि अधिकारी भी शामिल हैं, उनमें हमें कर्तव्यनिष्ठा और आत्म विश्वास की भावना को उत्पन्न करना चाहिए । रेलवे कर्मचारी अगर दक्षता से काम करें तो इन बुराईयों के निराकरण में बहुत सफलता मिल सकती है । रेलवे कर्मचारी यात्रियों को टिकट नहीं देते हैं । मैं कई बार देखता हूँ कि कानपुर से दिल्ली आने वाली रात की गाडी में बहुत से लोग जो कि कानपुर से सवार होते हैं वे टिकट नहीं लेते और अगर कोई चैक करने के लिये आता है तो टिकट की जगह उसके हाथ में पाच रुपये का नोट रख देता है और यह रेलवे का मुनासम मुस्कराता हुआ चला जाता है । अब इसको कैसे रोका जाय ? स्पष्ट है कि कर्मचारियों की नैतिकता जानी जाय ताकि वे इस प्रकार की बुराईयों का आचरण करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही कर सकें और स्वयं लोभ में न फँसें । मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि इसके लिये रेलवे मंत्री महोदय को और रेलवे प्रशासन को रेलवे कर्मचारियों में जिस प्रकार के वातावरण के उत्पन्न करने की आवश्यकता है, वैसा उन्होंने पैदा नहीं किया । रेलवे कर्मचारियों के सिर पर इस समय रेलवे इन्स्टीट्यूट बोर्ड के रूल १४८ की तलवार लटक रही है । अनेक रेलवे कर्मचारी कहते हैं कि उन्होंने एक्सीडेंट बचा लिया इसलिए नौकरी से निकाल दिये गये । उन्होंने एक्सीडेंट किया नहीं बल्कि एक्सीडेंट बचा लिया इस लिए उनको नोटिस दे दिया गया, कोई जवाब तलबी नहीं की गयी, कोई जाच पडताल नहीं

की गयी, भारत के राष्ट्रपति के नाम पर उनको आदेश दे दिया गया कि आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है, और उनको एक महीने का नोटिस दे दिया गया । अगर रेलवे के कर्मचारियों के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो उनमें असन्तोष होगा । अगर उनके सम्बन्ध से सही नीति नहीं अपनायी जायेगी तो संसद् के द्वारा बनाये गये कानून रेलवे मंत्रालय की अलमारियों में सुशोभित रहेंगे । आखिर उन्हें आचरण में लाने का उत्तरदायित्व तो रेलवे के कर्मचारियों पर ही है । उनमें निष्ठा और विश्वास पैदा करने में रेलवे प्रशासन अभी तक सफल नहीं हुआ है । इन्फ्रिमे रेरा निवेदन है कि इस कानून को जो कि लीपापोती करने वाला है, सरकार को वापस ले लेना चाहिए । इससे बुराई के मूल पर कुठाराघात नहीं होगा । यह हमें एक आत्म-सन्तोष की भावना प्रदान करेगा कि हम इन बुराईयों को रोकने के लिए कदम उठा रहे हैं, जो न पहले सफल हुआ और न अब सफल होने वाला है । जब तक आप बुराई की जड़ पर कुठाराघात नहीं करेंगे, जब तक आप ऐसी परिस्थितियाँ पैदा नहीं करेंगे कि बुराई करने का मौका न रहे तब तक यह बुराई दूर नहीं हो सकती । सही वातावरण उत्पन्न करने के बाद यदि आप कड़े दण्ड की व्यवस्था करना चाहे तो यह सारा सदन आपके साथ रहेगा क्योंकि यह समाज विरोधी कार्य है और इसको महन नहीं किया जा सकता च है वह विद्यार्थी हो या पार्लियामेंट का मेम्बर बन गया हो जो कि वह पहले नहीं था । अगर कोई यह कहे कि मैं पहले बिना टिकट जाता था तो उसे भी सजा मिलनी चाहिये । मैं चाहता हूँ कि देश में इस प्रकार का वातावरण होना चाहिए कि दण्ड की मात्रा इतनी ही रहने पर भी यह बुराई दूर हो जाये । और यह तभी हो सकता है कि जब आप अपने कर्मचारियों में कर्तव्य निष्ठा और आत्म विश्वास की भावना पैदा करें ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का विरोध करता हूँ।

श्री सिंहासन सिद्ध उपाध्यक्ष महोदय, अभी माननीय राष्ट्रपति ने अपने भाषण में कहा है कि गत वर्ष इस सदन ने ४६ कानून पास किये और नये सत्र में भी कुछ कानून पास किये जायेंगे जो कि उन्होंने अपने भाषण में गिनाये हैं। मगर हमको देखना चाहिए कि इन कानूनों के द्वारा हम अपने देश को भागे ले जाने में कहा तक सफल हुए हैं और कहा तक देश में इन कानूनों की मान्यता हुई है यह भी हमें देखना चाहिए। हम देखते हैं कि ज्यो-ज्यो हम कानून बनाते गये बीमारी बजाय कम होने के बढती ही गयी।

कुछ दिन हुए हमने रेलवे की वस्तुओं की चोरी के निराकरण के लिए एक कानून बनाया था और उसको भी हमारे माननीय शाहनवाज साहब ने पेश किया था, और रेलवे की वस्तु क्या है इसकी भी उसमें परिभाषा की गयी थी। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि उस कानून के बाद रेलवे के सामान की कितनी चोरी रुकी और रेलवे का कितना माल बचा। आज भी चोरी उन्नी कदर जारी है जैसी पहले होती थी और शायद अब मुकदमे भी नहीं चलते। बड़े जोर-शोर के साथ हमने इस चोरी की बुराई को रोकने के लिए सीक्योरिटी फोर्स कायम की जो एक नई सेना का रूप धारण कर चुकी है। एक क्लर्क की एसोसियेशन है जिनका यह दायित्व है कि माल का नुक कराये और ले जाये, लेकिन माल की रक्षा करने की ड्यूटी है सीक्योरिटी फोर्स की। माल गायब होता है उसके लिए कौन जिम्मेदार है यह ठीक पता नहीं।

तो हमने इस विधेयक को देखा। इसके भाव बड़े अच्छे हैं। लेकिन हमने किया क्या है। अब तक सजा की जो परिधि थी उसको बड़ा दिया है ताकि अपराध रुक जाये। लेकिन, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ने कहा, इस तरह से

अपराधों की सख्या कम नहीं हो सकती। इसके लिये हमको समाज की स्थिति को भी कुछ देखना होगा कि समाज कहा जा रहा है। और लोगों की क्या-क्या कठिनाइयाँ हैं। हम देखते हैं कि बड़े बड़े स्टेशनों पर लिखा रहता है कि २४ घंटे बुकिंग हो सकता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि हर स्टेशन पर गाड़ी आने के घंटे दो घंटे पहले ही भीड़ होती है और काफी भीड़ होती है और सब लोगों को टिकट नहीं मिल पाता। इस कठिनाई को दूर करने से बिना टिकट चलना कम हो सकता है।

जहा तक जजिर खीचने के अपराध का सवाल है, हमने देखा है कि जजिर खीचने वाले का पता ही नहीं चल पाता क्योंकि कोई बतलाने वाला ही नहीं है। यह भारी दिक्कत है। समाज में अभी यह चेतना नहीं आयी है कि प्रशामन की सहायता करना अपना कर्तव्य समझें और दूसरे लोग यह बता दें कि अमुक व्यक्ति ने जजिर खींची है ताकि उसको पकड़ा जाये। आजकल होता यह है कि जजिर खीचने पर गार्ड आता है और घूम कर लौट जाता है, पता नहीं चलता कि किसने जजिर खींची है, और वह बेक्युअम को ठीक कर देता है और गाड़ी चल पडती है। हमने देखा है कि कानपुर स्टेशन के दोनों तरफ कुछ दूरी पर जजिर खींची जाती है और लोग उतर जाते हैं। वहा पर फ्लैग स्टेशन की मांग है। जब तक वहा स्टेशन नहीं बनाया जायेगा लोग इस तरह से उतरेंगे जरूर। चूकि कोई बतलाता नहीं इसलिए जजिर खीचने वाले नहीं पकड़े जाते। और रेलवे कर्मचारी लोगों को इसलिए भी नहीं पकड़ते कि कही मार कर ठीक न कर दिये जाये।

अभी हमारे पूर्व वक्ता ने बिहार का नाम लिया। मैं कहता हूँ कि जिस हिस्से से हमारे मंत्री जी आते हैं वहा पर तो ऐसा मालूम होता है कि रेलवे का कोई कानून ही नहीं है। वहा पर लोग बिना टिकट फस्ट

## [श्री सिंहासन सिंह]

क्लास में बैठ जाते हैं। मैंने देखा कि एक बार बहुत से लड़के आ गये और फर्स्ट क्लास में बैठने लगे। जब उनसे कहा गया कि यह फर्स्ट क्लास है तो उन्होंने कहा कि तो क्या हुआ हम तो बैठेंगे। शायद बिहार में चैन स्वीचने का भी सवाल ज्यादा है। वैसे यह बुराई है तो सब जगह, पर कहीं अधिक है और कहीं कम है।

कभी-कभी ऐसा भी होता है कि गाडी में चढ़ने का प्रयत्न करने में आदमी नेडीज के डब्बे में चढ़ जाता है और जहा पहुँच जाता है वही बैठ जाता है। इसे भी दुस्सन करना होगा। लेकिन केवल सजा बढ़ाने से यह चीज बन्द हो जायेगी इसमें हमें अन्देशा है। आप देखें कि पीनल कोड आज बहुत दिन का बना हुआ है और फिर भी अपराध होते हैं। रेलवे कानून भी बहुत दिन का बना हुआ है और पहले भी दण्ड की व्यवस्था थी। आज आप केवल उस दण्ड को बढ़ा रहे हैं और कोई नई बात नहीं कर रहे हैं इसके बजाये तो यह अच्छा होता कि गाडियों की संख्या बढ़ायी जाये। पर इसमें कुछ दिक्कतें बतायी जाती हैं। मैंने एक दफा सदन में यह विचार प्रकट किया था कि गाडी में भीड़ ज्यादा होने के कारण लोग बिना टिकट चलते हैं। इसका इलाज यही है कि भीड़ को कम किया जाये। पर मंत्री महोदय कहते हैं कि यह नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कुछ तो कर सकते हैं। हम देखते हैं कि आज भी एक एक व्यक्ति के लिए सीटें लगाये जाते हैं। गोरखपुर रेलवे का स्टेशनार्ड है। वहाँ में हर शनिद्वार वार को 39 अंग में लखनऊ के लिये दो मैनून लगते हैं और वे ही मैनून इतवार को वापस गोरखपुर आते हैं। न मालम अफसर लोग शनिद्वार को लखनऊ क्या करने जाते हैं और किस चीज का मुआयना करा है।

एक आनसीध सबर सिनेमा देखने आते हैं।

श्री सिंहासन सिंह : गवर्नमेंट को इस प्रश्न पर विचार करना चाहिए। अगर वह इन सीटों को तीसरे दरजे के डब्बों में बदल दे तो भीड़ कुछ कम हो सकती है। हमारे बहुत से मंत्री महोदय भी सीटों में चलते हैं। और साथ ही वह अपने को देश के सेवक कहते हैं। अभी मुझे सर्वोदय सम्मेलन में एक भाई मद्रास के मुझे मिले। उन्होंने एक आन्दोलन चलाया हुआ है कि ये लोग जो हमारे नौकर बनते हैं इनको फर्स्ट क्लास में उतार कर तीसरे दरजे में चलाया जाये। आप देखें कि नौकर तो चलते हैं सीटों में और मालिक चलते हैं ठसाठस भरे हुए डब्बों में। यह चीज असन्तोषजनक है और यह कानून बना कर हम इस चीज को बदल नहीं सकते। हमको पहले अपने में सुधार करना चाहिए, अपने में सादगी लानी चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए। तभी हमारा कानून भी सफल हो सकता है।

इस बिल में आप धारा १२१ को सख्त करने जा रहे हैं। अब तक यह था कि यदि कोई रेलवे कर्मचारी के काम में हुज्जत करे तो उस पर ५० रुपया तक जुर्माना हो सकता था। अब आप बढ़ा कर ६ महीने की सजा और २५० रुपये जुर्माना की सजा इसके लिए कर रहे हैं। इसका बहुत दुरुपयोग हो सकता है। इसमें आप रेलवे अधिकारियों को बहुत अधिकार दे रहे हैं। आजकल होता यह है कि अक्सर गाडियों में बहुत सा सामान नहीं होता, कहीं पढ़ने का बल्ब गायब रहता है, कहीं धीशा टटा होता है, आदि। हर जगह पढ़ने के लिए लैम्प लगे हुए हैं, लेकिन उन में बल्ब नहीं होते हैं। अगर लगाने के लिए कहा जाता है, तो नहीं लगाया जाता है। यह सम्भावना हो सकती है कि जब किसी कर्मचारी को इस तरह का कोई काम करने के लिए कहा जाये, तो वह कहे कि मुझे काम करने से रोका गया है, मेरे काम में हस्तक्षेप किया गया है। मैं यह निवेदन करना

चाहता हूँ कि अगर सब बातों की सुविधा देने के बाद, व्यवस्था ठीक करने के बाद कानून को सख्त किया जाता है, तब तो ठीक है, लेकिन आज हम देखते हैं कि सब तरफ कमियाँ हैं, फिर भी सजा को सख्त किया जा रहा है। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास ऐसे आकड़ों हैं कि रेलवे अधिकारियों के काम में हस्तक्षेप करने और उन्हें रोकने और उनके साथ जबर्दस्ती करने की कितनी घटनाएँ हुईं और कितने व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये। अगर हम को यह सब सूचना दी जाती और तब सजा बढ़ाने की व्यवस्था की जाती तो हम सम्मन सकने में, लेकिन इस तरह रेलवे अधिकारियों की हतने व्यापक अधिकार दे देना किसी भी तरह उचित नहीं है कि वे रिपोर्ट कर दें, तो मुकदमा कायम हो जायगा और मुकदमा चलाया जायगा।

14 hrs.

इसके बाद मैं यह भी सुझाव देना चाहता हूँ कि जो अधिकारी सही काम करता है, उस को इनाम देने की व्यवस्था की जाये। बुरा काम करने के लिये दण्ड भले ही दिया जाये, लेकिन अच्छा काम करने वालों के लिये कोई प्रोत्साहन भी दिया जाना चाहिये। कई जगह टी० टी० बड़ी ईमानदारी से काम करने हैं और काम करने के दौरान में माँग भी खाते हैं, लेकिन उन वे वावजूद न उन को कोई इनाम दिया जाता है और न उन के मुकदमा की पैरवी की जाती है। मैं एन० २० रेलवे को एसोसियेशन का अध्यक्ष था। मैं जानता हूँ कि लोगो ने अच्छा काम किया, उस में मार भी खाई और नुकसान भी उठाया, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई पैरवी नहीं की गई। ऐसी अवस्था में कौन जहमत करेगा आप का पैसा बचाने के लिये और ठीक तरह से काम कर के नुकसान उठाने के लिए? मैं जानता हूँ कि गोरखपुर के रेलवे मैजिस्ट्रेट ने बड़ी ईमानदारी से काम किया। उस नें कई रेलवे

अधिकारियों—गार्ड और स्टेशन मास्टर—को पकड़ा। लेकिन क्या नतीजा हुआ? उन लोगो को छोड़ दिया गया और उस व्यक्ति ने ईमानदारी से काम कर के रेलवे के अधिकारियों को अपना दुश्मन बना लिया। हमारे यहाँ की व्यवस्था बड़ी खराब थी, लेकिन एक जेनरल मैनेजर ने आ कर बड़ी सख्ती से काम किया और कुछ सुधार करने की कोशिश की, लेकिन कभी कभी मुझे डर लगता है कि उनके बहुत दुश्मन बन गये होंगे, कहीं उन को कुछ नुकसान न हो जाये। देवरिया में एक मैजिस्ट्रेट ने सब ब्लैक-माफ़ेटिंग को बन्द कर दिया। इस पर ब्लैक-माफ़ेटिंग करने वाले उन से नाराज हो गये। नतीजा यह हुआ कि उन को नीचे कर के कहीं ट्रांसफर कर दिया गया। मैं यह कहना चाहता हूँ कि कानून को सख्त करने के साथ ही साथ प्रशासन को भी सख्त और दृढ़ बनाना चाहिए। सही काम करने वालों को तरक्की दी जाये, ताकि उन को महसूस हो कि हमारे काम को रेकगनीशन मिला है। लेकिन आज वातावरण दूसरा है। लोग समझते हैं कि नेकेनीयती से काम करने में कोई फायदा नहीं है, जिस की पट्टुच होगी, उसी की तरक्की होगी।

रेलवे प्रशासन हमारा एक कामशियल डिपार्टमेंट है। उस को वैसे ही व्यवहार करना चाहिए, जैसे कि दूसरी कामशियल संस्थाएँ लाभ के लिये करती हैं। पेपव में निकला है कि दस साल रेलवे को घाटा होने वाला है। घाटा होगा या नहीं, यह तो भगवान जानें, लेकिन हम देखते हैं कि कलकत्ता और बम्बई से माल रेलवे के द्वारा न आ कर ट्रको के द्वारा आता है। अगर माल रेल के द्वारा जल्द पहुँचे, सही अवस्था में पहुँचे और क्लेम करने को नौबत न आयें ...

श्री ए० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : और नीच में लोग माल न चुराये।

श्री सिंहासन सिंह तो लोग रेलो का अधिक इस्तेमाल करेंगे और रेलवे की

[श्री सिंहासन सिंह]

धामदनी भी बढ़ेगी। हम देखते हैं कि क्लेम्ब की रकम बढ़ती जाती है। यह कानून तो पास हो ही जायगा, चाहे कोई इस का विरोध क्यों न करे, लेकिन इस के साथ ही यह भी जरूरी है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी सख्त और एफिसिएंट बनाया जाय और यात्रियों को सुविधा दी जाय। मैं समझता हूँ कि तब चेन-पुलिस नहीं होगी और भ्रमर होगी, तो लोग अभियुक्त को पकड़ने में रेलवे की मदद करेंगे। जहाँ तक कानून का सम्बन्ध है, इस वक्त जो कानून मौजूद है, उस से भी काफी अच्छी तरह से रेलवे का काम हो सकता है, सवारियाँ भी बढ़ सकती हैं, माल भी डोया जा सकता है और रेलवे को फायदा भी हो सकता है। एक तरफ खर्च बढ़ाया जाता है और भ्रामोद-प्रमोद के साधनों में वृद्धि की जाती है और दूसरी तरफ मुसाफिरो की तरफ ख्याल नहीं किया जाता है। नतीजा यह है कि आप कानून सख्त करते जाते हैं और मुसाफिर मनमानी कार्यवाही करते रहते हैं।

Shri Jaganatha Rao (Koraput): Mr Deputy-Speaker, Sir, I rise not for supporting the Bill but for opposing it.

Shri Braj Raj Singh: How?

Mr Deputy-Speaker: Just wait and see.

Shri Naushir Bharucha (East Khandesh): He was a consistent supporter of the Government.

Shri Braj Raj Singh: A new tradition is started in this session.

Shri Jaganatha Rao: This Bill falls far short of my expectations. The hon. Minister, while moving for the consideration of the Bill, did not give reasons why it has necessitated the Ministry to come forward with this measure. He simply said that the increasing number of offences involving the commission of alarm-chain pulling, ticketless travelling and

intimidation of railway officials demands this legislative measure. But he has not given us instances where and why or how the existing law which deals with these subjects is not sufficient to meet the ends of justice.

Apart from that, the more important fact which has not been dealt with by the Railway Minister is about the increasing number of thefts that are being committed on the railways. According to a press note published by this Ministry, we find that on the North-Western Railway, in the year 1957-58, railway property worth Rs. 3,90,151 had been stolen. On the Central Railway, in the same year, theft of property worth Rs. 4,97,383 had been committed, and on the Western Railway, in the same year, property worth Rs. 1,64,327 had been stolen. The total loss during that year on these three railways is about Rs. 10,50,000. What steps has the Railway Ministry taken to ensure that this increasing number of thefts does not continue on the railways? I do not see that the Railway Ministry is agitated on this point at all. By bringing forward this Bill, it thinks that it can prevent ticketless travelling, that it will meet the offences of improper pulling of the alarm-chain and also prevent the intimidation of railway officials.

I now refer to clause 4 of this Bill which seeks to amend section 108 of the principal Act. Section 108 of the principal Act says

"If a passenger, without reasonable and sufficient cause, makes use of or interferes with any means provided by a railway administration for communication between passengers and the railway servants in charge of a train, he shall be punished with fine which may extend to fifty rupees"

Now the amendment says,

"with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both".

As I submitted earlier, the hon. Minister has not made out a case as to how the existing penalty of Rs. 50 is not sufficient. He has not given the number of cases of improper alarm chain pulling. Does he think that by increasing the punishment, this type of offence can be put an end to?

Clause 5 seeks to amend section 109 of the principal Act. I think this amendment is a rather retrograde step. It does not improve the position, but makes it deteriorate. Section 109 says:

"If a passenger, having entered a compartment which is reserved by a railway administration for the use of another passenger, or which already, contains the maximum number of passengers exhibited therein or thereon under section 63, refuses to leave it when required to do so by any railway servant, he shall be punished with fine which may extend to twenty rupees"

The amendment says,

"or having unauthorisedly occupied a berth or seat reserved by a railway administration for the use of another passenger, refuses to leave it when required to do so by any railway servant, he may be removed from the compartment or the berth or seat as the case may be "

I would venture to submit that this amendment would try to legalise overcrowding in the trains. Every compartment has a fixed seating capacity and it is open to the passengers who are in the compartment to obstruct persons coming in. But the amendment says that only when a seat or berth is reserved, it is open to the railway servant to remove the

person who unauthorisedly occupies a seat or berth. I can well appreciate the amendment if there is enough accommodation for seats or berths.

Shri M. L. Dwivedi: He is referring to the case when more tickets are issued.

Shri Jaganatha Rao: The seating capacity of every compartment is fixed, whether it is first, second or third class, but tickets are issued indiscriminately and once the tickets are issued, the person has to be allowed to enter the compartment.

Mr Deputy-Speaker: Is he saying that there ought to be no reservation?

Shri Jaganatha Rao: I am saying that this problem of overcrowding would not be removed by imposing a sentence. So, the existing provision is quite sufficient.

Mr. Deputy-Speaker: Does he say that option should be given to a passenger whether he would pay the fine or leave the seat that is reserved.

Shri Jagjivan Ram: What is ought to be done is that if a reserved berth or seat is occupied by an unauthorised person, he can be removed by any railway servant and he can also be fined. That is the new amendment.

Shri Jaganatha Rao: Even now the fine of Rs 20 is there; that has not been increased. Now you want to say you can remove him.

Shri Shahnawaz Khan: In the original Act, there is no provision for removing a person from a seat that is reserved. Now that provision is being made.

Shri Jaganatha Rao: Even in the absence of a clear provision, when the person who has reserved the seat comes, the person who has been occupying it without reservation is asked to vacate it.



**Mr. Deputy-Speaker:** Probably there is a provision for getting a berth vacated, but so far as a reserved seat is concerned, there is no such provision and so that is being put down now.

**Shri Jaganatha Rao:** Reservation of a seat is on a par with reservation of a berth. Even without the amendment, the effect is there. My only submission is that even after the amendment of section 109, there will be overcrowding. The only way would be to see that sufficient accommodation is made available. Then only this overcrowding and this stampede of persons would be removed.

In regard to clause 6, amending section 112 of the principal Act, I have no objection; it says that in addition to the fine, the excess fare is also to be paid.

Clause 11 seeks to insert a new section 113B which deals with security for good behaviour in the case of habitual offenders. This is on a par with section 110 of the Criminal Procedure Code which provides for security for good behaviour from habitual offenders. I fail to understand how such a provision can be imposed on the railways. Can a person be called upon under suspicion and asked to execute a bond for good behaviour for a period not exceeding three years. If a provision is made for enhanced punishment in the case of habitual offenders, that would have been more effective. A provision of this type will not serve the needs of justice and I am afraid it cannot be enforced.

**Mr. Deputy-Speaker:** What the hon. Member objects to is, to prove that he has been habitually committing or attempting to commit the offence, whether the records would be seen or whether evidence of reputation is admissible. Under section 10 of the Cr.P.C., evidence of reputation is admissible. Here, how can the court judge it—whether by conviction or by simple reputation?

**Shri Jaganatha Rao:** Yes; my objection is that it is too wide. Instead of minimising the offences which are being committed, such a provision will create a lot of hardship.

Coming to clause 10, seeking to amend section 120A, while I appreciate that the offence of hawking and exposing for sale any article without a licence on the railway premises is sought to be checked, one fact has been overlooked by the Ministry, and that is about beggars in the railways. They are also ticketless travellers. You find in the platforms and the waiting rooms these beggars in innumerable numbers and they are a nuisance. Some attempt should have been made by the Ministry to check this evil and give some comfort to the passengers.

**Shri Naushir Bharucha:** This Bill makes six important changes in the Indian Railways Act.

Section 108 is sought to be amended by clause 4 of the Bill. Section 108 deals with pulling of the chain. It has been stated by the hon. Railway Minister that there were 40,000 instances of chain pulling in the course of last year. I submit that that number is exceedingly small. If we bear in mind that in fact there are 4,000 trains running daily, 40,000 instances virtually work out to ten instances of chain pulling per train per year. In other words, for each train it comes to one chain pulling incident in over a month. I do not think that that can be described as excessive chain pulling. I want the House to bear in mind that fact when thinking of the figure of 40,000.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member is including those trains where there are no chains at all.

**Shri Naushir Bharucha:** I am including those trains also. But assuming that in half the number of trains the chains have been disconnected, it really works out to two incidents per train in the course of one month. I definitely say it is not excessive. Therefore, we have to strike a golden

mean between the necessity of maintaining that apparatus and its legitimate use by honest *bona fide* passengers and its excessive use for intentional obstruction. So, the section should be amended, and I have given an amendment in similar lines. It reads

"Where it is proved that such use or interference was for the purpose of wilfully obstructing the course of a train or rolling stock, or intentional obstruction to normal functioning of railway administration, such person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both."

If we make every mistaken instance of chain pulling punishable with three months' imprisonment, people would be frightened even in legitimate cases to pull the chain, and there will be this complaint, therefore, that an accident to human life could have been prevented but nobody dared to pull the chain. So, I submit that section requires to be altered along that line. What we want to punish is not legitimate use or even *bona fide* mistaken use, but where there is wilful obstruction and deliberate intentional obstruction to normal functioning of the railway administration, then only should there be severe punishment. I hope the Act would be amended in that respect.

Secondly, with regard to unauthorisedly occupying seats, the speaker has made a very useful suggestion, namely, where a person who has purchased a ticket for one seat and occupies more than one seat by spreading his bedding or sleeping and refuses to get up and give place to another person with proper ticket, such types of offences also should be punished. I am of the opinion that this type of cases can be incorporated in clause 5 by suitable changes. I am also not satisfied that in cases where there is

wilful obstruction to occupation of seats by other passengers or unauthorised occupation of seats, a mere punishment of Rs. 20 is going to make any improvement in the position. I am of the opinion that in such cases the punishment should be imprisonment up to as much as one month. If a person defiantly obstructs other legitimate travellers, of course, he ought to be dealt with adequately.

Coming to the third point, amendment of section 116 by clause 9, of course, wilfully altering or defacing the pass or ticket so as to render the date, number of any material portion illegible is a grave offence. But may I point out to the hon. Minister that there are booking clerks who pass over such defaced ticket to unsuspecting passengers who have paid for them. Therefore, in the use of this particular section care will have to be taken to see that poor illiterate people are not victimised by railway servants. Of course, these are rare cases. But such things do occur and I am simply drawing the attention of the hon. Minister to that point.

Coming to the question of canvassing or hawking in railway carriage, the nuisance is terrible, particularly in the local trains in Bombay. So, unless some very severe steps are taken I am afraid this nuisance is not going to be minimised. It is not merely the question of a poor hawker trying to earn his livelihood. If anybody tries to ask them to get out of the compartment they even assault them. Here I am only speaking of my experience of local trains in Bombay where they make it impossible for the passengers to travel comfortably. Therefore, I suggest that in addition to the punishment prescribed, it should also be provided that the trial court may, on conviction of a person under this section order that the wares, goods or articles so hawked or exposed for sale, together with receptacles or containers, if any, in which such wares, goods or articles were hawked or exposed for sale, be confiscated, wholly or in part. This

[Shri Naushir Bharucha]

confiscation is very necessary. Till then you are not going to curb the nuisance of hawkers. I may say that in the city of Bombay the hawker nuisance has become so acute that police have been detailed to remove hawkers from one place near my office in the Central Bank Building. Even the regular police have not been successful in removing the hawkers. It is not merely a question of a person trying to earn his livelihood. It is a question of defiant, persistent obstruction to traffic, and unless there is very serious penalty such as confiscation of goods, I am afraid this evil is not going to be minimised.

I now come to the question of obstruction of the railway servant in the discharge of his duties. The words "obstruction of the railway servant in the discharge of his duties" have a very wide meaning. Suppose a railway servant is trying to collect fare from a particular passenger. A third passenger intervenes and says: no, you are wrong; you are not entitled to collect this fare. The ticket collector can very well construe this as an obstruction in the discharge of his duties. Perhaps the hon. Minister has in mind cases where force is used, where assault is committed on railway servants to prevent them from the discharge of their duties. So, we should amend the section as follows:

"If such wilful obstruction or impeding of a railway servant is accompanied by use of force, such person shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both."

The words "obstruction in the discharge of duties" are so wide that anything may be construed as obstruction. If I hold the ticket collector gently by the hand and tell him: "don't harass this person" the ticket collector can very well say: "you are obstructing me in the discharge of

my duties", and I may get six months' imprisonment! It will make the railway servants arrogant and haughty. I submit that only in such cases should punishment be imposed where wilful obstruction or impeding of a railway servant is accompanied by use of force.

Lastly, I come to ticketless travel. I am of the same view which is expressed here often, namely, that the Railway Act is being unnecessarily made harsh as a result of which genuine passengers will be put to a great deal of inconvenience. I am of the opinion that the Bill should be amended in the directions which I have indicated in my amendments.

Mr. Deputy-Speaker: I find that a large number of hon. Members are rising to speak. The time that has been allotted for general discussion is only 3 hours.

Shri Tangamani: Four hours.

Mr. Deputy-Speaker: For general discussion it is only three hours. Of course, I should blame myself that in the beginning I was giving to the hon. Members as much time as they liked. I had only a very few names with me, and on looking towards the House also I did not find a large number rising in their seats. I did not anticipate that there would be so many hon. Members desirous of taking part in this discussion; perhaps, some of them have made up their minds later. Therefore, every hon. Member should see that he does not take more than ten minutes. Now, Shri Mulchand Dube.

Ch. Ranbir Singh: Sir, many hon. Members have been trying to catch your eye right from the beginning.

Mr. Deputy-Speaker: I allow my eye to be caught by one hon. Member at a time.

Shri M. L. Dwivedi: In any order?

Shri Mulchand Dube (Farrukhabad): Mr. Deputy-Speaker, Sir, the amending Bill seeks to provide punishment for unauthorised occupation of berths which have been reserved for other persons. It also provides for enhanced sentences in respect of other offences like travelling without tickets, pulling of alarm chain etc. The penalty provided under the present Act, without the sentences being enhanced, is I think quite sufficient. The trouble that arises is, the persons who commit these offences are not arrested nor are they prosecuted. About three months ago I was travelling from Shikohabad to Farrukhabad. A large number of students with hockey-sticks and sticks of other kinds entered the first class compartment. They not only pulled the chain for about a score of times, but they were rowdy, walking about in the compartment making noises, intimidating the guard, the constable and others. Whenever some students found that their village was nearby the railway line they pulled the chain and some students got out. At other places, if they wanted to take in their companions standing near the railway line they pulled the alarm chain and some students and other passengers got into the train. This kind of thing lasted for about 50 miles. The chain was pulled, as I said, a large number of times. The constable was powerless. The guard was powerless. They were in fact so much intimidated that they found it difficult to carry on their duties. These are instances in which no reports were made, no reports could be made and no arrests were made. The result was that all those offences went unpunished. Some drastic action, I think, is called for not only in this section but in other sections also where such offences are common. The statement that only 40,000 cases of alarm chain pulling have occurred is I think an underestimate, because there are hundreds and thousands of cases in which no reports are made, no arrests are made and no prosecutions are launched.

Therefore, my submission is that even without enhancement the sentences provided in the Act are of a deterrent nature, if they could be enforced and the offenders caught and punished. Even these provisions are sufficient to stop people from pulling alarm chains or travelling without ticket.

There is one other thing. As you have pointed out, it is difficult to say when a person would be deemed to be a habitual offender or a person who habitually travels without a ticket. Would it depend upon the number of offences for which he has been previously punished or would it depend upon evidence of general repute as provided under section 110 of the Criminal Procedure Code? I think the words "habitual offender" should be substituted by the words "previous convict". If that is done, I think it would be possible to give effect to the amendment that is sought to be introduced in the Act.

There is also another difficulty. Cases sometimes happen in which *bona fide* passengers intending to pay the fare are unable to do so because they have come to the station at a time when the train is about to start and there is no time to buy a ticket. The provision that is sought to be made in the Bill is that there should be a certificate to that effect from a person authorised for that purpose. I do not know who is that authorised person. Is it the guard or is it somebody else who will be authorised to grant that certificate? The guard may be busy and he may say that he has no time to do it. What is the passenger to do in that case? There ought to be some kind of a provision to protect *bona fide* passengers, because in cases where the persons concerned have no time to buy their tickets they will have to pay the penalty even though they actually wanted to buy their tickets.

Sir, I welcome this Bill. The enhanced sentences may act as a deterrent, but what is necessary is that

[Shri Mulchand Dube]

there should be some provision for bringing the offenders to book. There should be some provision for some kind of a police guard travelling with every train so that persons who are habituated to this kind of thing may be prevented from doing it. If they do it they can be arrested and prosecuted.

My hon friend, Shri D C Sharma said that efforts should be made to correct the people, to educate the people and to persuade people not to do these things. That is all very well. It is a long term measure, and we may be able to do it in 25 or 30 years. The question, however, is whether the persons who travel without tickets do not know that they are doing something wrong. There is no doubt that they actually know that they are doing a wrong thing. They know that they are doing something wrong and still they persist in doing it. Therefore, it cannot be said that they need some kind of teaching, they need some persuasion or that they have to be told that they are doing something wrong before they can be persuaded to stop from resorting to these offences. My submission is that this kind of deterrent measures are necessary, but what is more necessary is that there should be some kind of a police force or police guard travelling with every train on such lines where this kind of offences are very common, so that people who are in the habit of doing such things may be arrested and brought to book.

I hope the hon Minister will take note of these things. It is no use merely enacting all these laws. There must be something to enforce them. So long as we do not have anything to enforce them, it is no use enacting laws which cannot be effective.

Shri C R Pattabhi Raman (Kumbakonam) Mr Deputy-Speaker, Sir, while rising to support the Bill may I, with your leave, make a few observations?

Mr Deputy-Speaker: Two neighbours can't agree.

Shri C. R. Pattabhi Raman: I submit there are some lacunae in the Bill itself, which I am going to show presently. It has been shown by others, but there are one or two apart from what has already been pointed out. While it is necessary in a country which is trying to catch up with other advanced countries, that some sort of a hastening in legislation is made to help the various administrations in the public sector, I do submit that we are having a Bill like this in a hurry. I will tell you frankly—many speakers before me have said so—that there has not been a proper enforcement of the sections in the Act already in force. Besides, Sir, it is perhaps forgotten that the old Act, the Indian Railways Act of 1890 was enacted when there were many private Railways. Now most of them are in the public sector excepting one or two. All railway servants are public servants and there are provisions in the Indian Penal Code prescribing punishment for obstructing public servants.

The Ministry say that on their experience they want to augment their powers. I am all for it if it is going to result in a real cleaning up.

I am glad my hon friend, Shri Bharucha referred to hawkers in Bombay. I am myself aware that not only in Bombay but also in other places beautiful lighting tubes in suburban trains and electric trains are removed from the trains. It is heart-rending that people have not yet realised that their own railways are being run. Even the railway staff do not seem to realise it. I once saw repair being done in a hurry because the tap was leaking. Someone came and hit it with the hammer and put some plug in it and removed the tap. That is just what is being done. That seems to be the idea. There was not even a little time for us to complain. I dare say there must be proper education if I may use the word, so far

as the general public is concerned as regards the railway being our railway. It is the duty, not only of the railway authorities but also of the railway servants and the public to join together in tracing the culprits.

Actually, I do feel that the railway guard as such is a hard-worked person. For a whole train, unless it is an important station, he is the only man who has got to do so many things. We have an Act for the protection of railway property but I think the rules have not been framed. I hope those rules will come into effect soon. In most countries, in Europe and America, not only the guard but also other railway servants are quite eager to help passengers not only so far as passenger amenities are concerned but also in some cases to take them to their seats.

Then I come to chain pulling. According to the statistics, chain pulling really happens roundabout big cities. It is really in suburban areas. I dare say mostly students do it. I know in Madras it is a favourite hobby of students to pull the chain near their college because the institution happens to be a few furlongs away. They pull the chain to get down and walk away to their college. Either the railway authorities must have the train stopping at that place by having some sort of a station near the college or if they think it impossible they must take strict action against the students. Neither is being done. I am myself aware of it and I have brought it to the notice of one of the hon. Deputy Ministers in the Railway Ministry. In my own constituency, Tanjore, there have been requests from the authorities and students of a certain college for a station near the college. They wanted to have some sort of a station. The Railways did not see their way to construct one. Sometimes, I dare say, there are good reasons. If persons pull the chain sometimes apprehending danger, there seems to be some justification for their doing that. But I do not at all support indiscriminate

chain pulling. We have got notice of this happening somewhere near Calcutta. I am all for restricting all this and for the offences being made more stringent. That will have some deterrent effect.

Then I also find that we have mobile courts. Shri Dube was referring to them. I ascertained just now that there were a number of mobile courts but they seem to be fighting shy with regard to their clashing with the judiciary. I do not think that the judiciary will object if there is going to be quick disposal of cases in the proper manner. I know most railways have got mobile courts or magistrates functioning. Now that the power to arrest without a warrant is given, it will become simpler.

So far as old section 109 is concerned, it says:

"If a passenger having entered a compartment which is reserved by the railway administration..."

It only refers to a man who is already in. If he is out and is trying to get in, I do not think any provision is made. Now section 109 is amended by clause 5. You will find that clause 5 just says, "having unauthorisedly occupied a berth". It means having entered. I would suggest with great respect that you may make a provision even for people trying to enter and thereby causing a breach of peace. They may feel that they have a right to get in. They may have a ticket but the compartment may be full and it might be that there is no place for them. Either they must have reservation or if the compartment is already full, you are merely winking at overcrowding.

Shri Jaganatha Rao: Or tickets should not be issued.

Shri C. R. Pattabhi Raman: Or tickets should not be issued. I am grateful to my hon. friend. Actually what happens is that in some stations for ticket issuing there are one or

[Shri C. R. Pattabhi Raman]

two people in charge of this task. He takes his own time and I do not blame him. He is a hard-worked man. My good friends on the other side will have a long tale of woe so far as that is concerned. But actually they take so much time and there is a huge queue—sometimes they are not properly staffed—that by the time the ticket issuing is over the tram starts moving. That seems to be the trouble

So far as clause 2 is concerned, i.e., the word 'President' therein naturally we have only one President—the President of India. So, the Chairman has been put which by some mistake was omitted on a former occasion. Quite properly, that amendment is made there.

With regard to excess fare, i.e., clause 6 which amends the old section 112, viz.,

"A person with intent to defraud the railway administration enters or remains in a carriage fraudulently travelling or attempting to travel without a proper pass or ticket"

Quite rightly the punishment, i.e., three months' sentence and fine of Rs 250 or both, has been found to be necessary. But I hope the railway administration will also bear in mind that they have got to educate not only the public but their servants also time and again.

Finally, I feel that begging is really a disgrace. Many tourists are coming to India. I have seen in many important stations beggars surrounding them round the compartments till the tram leaves. At some junctions the tram stops for a long time and then it is a terrible nuisance. I hope they will take proper steps to stop begging inside the station yards.

Nowadays a number of hawkers of books get into the compartment. I myself underwent a lot of trouble in

getting into the compartment. Whether it is air-conditioned or not, that does not matter, because these people are there inside the compartment trying to sell the books etc. I do not know why the railways are allowing them, specially in air-conditioned compartments. It is very common for these people with a load of books entering the compartment and blocking the way. So, unlawful hawking has also to be prevented.

Then, with regard to habitual offenders, I am very glad that a reference has already been made. You yourself, Sir, referred to the habitual offenders. Shri Dube referred to "previous convict". I can understand that, but regarding habitual offenders, as such, I am glad the House will take note of it and suitable amendments will be made.

Shri Jaipal Singh (Ranchi West—Reserved—Sch Tribes): Mr Deputy-Speaker, Sir, I am grateful to you for giving me an opportunity to support this Bill.

Mr Deputy-Speaker: I have not given him the opportunity specifically for this purpose.

Shri M. L. Dwivedi: You can oppose it if you like.

Shri Jaipal Singh: I congratulate the hon. Minister that he has, at long last, brought in this Bill. The reason why I have to congratulate him is that his constituency, as far as I know, is the biggest sinner in this particular respect—Shahabad District—you can travel by any tram, goods train, passenger train, express, mail, air-conditioned or anything you like—holds a record in this particular regard, and I appreciate the courage of my hon. friend. I shall be travelling there during this week-end, I know, and whatever train I might be in will be pulled, just as if it is any station, everywhere wherever somebody wants to get in or to get out.

I know some hon Members think that this piece of legislation is very harsh. It is about time that we appreciated the fact that the general community, which is law-abiding, is not to suffer because of people who do just the opposite, break the law and become heroes. In that particular part of Bihar, it is a very, very common sight. If my old club Mohan Bagan is playing in Dinapur or Patna, believe me, it is impossible for the Railway staff to stop the student community or any other community from stopping the trains anywhere they like. When they disembark from the train, they just rush like what we saw in Allahabad some years ago, and bulldoze over the railway staff—the Kumbh mela incident. I am not pinpointing the district of Shahabad in particular. This is a disease that is gaining in momentum and it is high time that we in this House and elsewhere also appreciated the fact that something drastic has to be done.

In my own view, the penal aspects of this Bill are not drastic enough. I would have liked them to be more drastic. In fact, even in a democratic country like this, I would have preferred if the Government were to bring forward something similar to the French *Droit Administratif* where persons can be fined on the spot, then and there. Then the action would be effective. I am not singling out the students only. I feel somehow or other that this is a disease that is gaining in strength in every stratum of our society. Now the time has come—it is not too late—when we should have something like this.

My only complaint is a prospective complaint. I do hope that this will not be a dead letter. I do hope that the Railways mean business and when they get hold of the offenders, they will get on with the business and implement the provisions, whatever the provisions may be subsequently. There may be any amendment. I do hope that the Railway administration will see to it that it is not firing blank, and they mean business. Otherwise,

by having more stringent laws, the people will become more emboldened. That is the only complaint that I have to make. My complaint is, therefore, that the measures are not stringent enough. I do hope that the Railway administration will see to it that immediate action is taken.

The other point is the charge that some hon Members have made that the Railway authorities may perhaps start victimising innocent people. I think that is a fear that has no foundation whatever. We have to think of public opinion in the implementation of any legislation that may be in this country. If the public do not side with the appropriate authorities, the authority will have to have battalions to enforce legislation. That is the real difficulty. In my mind, I am not quite certain as to how far the Railway administration with its present capacity can execute the penal aspects of this legislation. Really my appeal is not so much to the Railway Administration as to the general public that are law-abiding. Why do they put up with this? If the general public were to come to the rescue of the Railway administration in punishing the offender, I feel the legislation as sought to be introduced will suffice and will bring about a morality that is very badly needed in our country, certainly in regard to travel. It is not merely rail travel, with regard to other travels also we find the same disease. Once again, may I congratulate my hon friend the Minister and I hope we shall see a very healthy change particularly in his constituency.

Mr. Deputy-Speaker: Shri S M Banerjee is not in his seat. Shri Braj Raj Singh

श्री ब्रजराज सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि मैं अपने माननीय मित्र श्री जयपाल सिंह के साथ अपने विचारों को नहीं पाता हूँ। यह कहना कि विवेक में अधिक सजा की व्यवस्था करने से यह बीमारी रुक सकती है, मेरे विचार में ठीक नहीं है। रेलवे



## [श्री बजरंग सिंह]

मंत्री महोदय ने पिछले बजट-भाषण में बताया था कि चालीस हजार जंजीर खींचने की घटनायें हुई थी और यह भी बताने की कोशिश की थी कि कितने लोगों के खिलाफ मुकदमे चलाये गये। आज मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि शाहाबाद का निर्वाचन क्षेत्र जंजीर खींचने और बिना टिकट के चलने के मामले में सब से भागे है। मैं जानना चाहूंगा कि उस क्षेत्र में कितने लोगों के खिलाफ जंजीर खींचने और दूसरे जुर्मों के सम्बन्ध में मुकदमे चलाये गये हैं। मेरा कहना यह है कि निर्फ मजा बढ़ा देने से ही काम नहीं होने वाला है। जैसा कि श्री जयपाल सिंह ने अपने भाषण के अन्तिम चरण में कहा, महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि कानून क्या बनता है, बल्कि यह है कि उस पर अमल कैसे होता है। असल में जो कानून अभी है, अगर उस पर सही तौर पर अमल होता, तो मैं समझता हूँ कि बिना टिकट चलने और जंजीर खींचने की घटनायें इतनी अधिक न होती। मैं यह नहीं कहता कि जंजीर खींचने की घटनायें अनुचित नहीं होती—वे अनुचित भी होती हैं, लेकिन हमें यह भी देखना चाहिये कि कानून की धारा ६३ में यह व्यवस्था है कि जिस डिब्बे में निर्धारित मख्या से अधिक मुसाफिर बैठे हो, तो चाहे उन के पाम टिकट मौजूद हो, रेलवे अधिकारी निर्धारित मख्या से अधिक मुसाफिरों को बाहर निकाल सकते हैं। फर्ज कीजिये कि किसी डिब्बे में बैठने वाले मुसाफिरों की निर्धारित मख्या ६० है और उस में १६२ आदमी बैठे हैं, तो सौ आदमियों को रेलवे अधिकारी कानून के मानहन हटा सकता है, क्योंकि वहा पर इनने आदमियों के लिये सीटिंग की व्यवस्था नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि इस सम्बन्ध में क्या व्यवस्था की जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब तक रेलवे की यह व्यवस्था जारी रहती है कि गाड़ियों में उतना स्थान नहीं है, जितने के लिये आप टिकट जारी कर रहे हैं तब तक जो यात्री, जिन के पास टिकट है, निर्धारित मख्या से अधिक मुसाफिरों के आने पर जंजीर

खींचे हैं, वे भी इतने ही दोषी हैं, जितना दोषी कि रेलवे प्रशासन है। जब रेलवे प्रशासन को कानून का उल्लंघन करने पर सजा नहीं मिलती, तो फिर इस प्रकार सफर करने वाले यात्रियों को भी मजा नहीं मिल सकती है। जब आप यात्रा के लिये पूरे स्थान की व्यवस्था नहीं कर सकते, तो फिर जुर्मों को ५० रुपये से बढ़ा कर २५० रुपये तक करने और साथ ही तीन महीने की कैद की सजा भी रख देने का क्या औचित्य है? क्या सरकार यह सोचती है कि इस से यह जुर्म कम हो जायेंगे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि भारतीय दंड विधान में कत्ल और डकैती के लिये फासी की सजा रखी हुई है, लेकिन फिर भी कत्ल और डकैतियाँ होती हैं। इसके लिए हम को समाज की व्यवस्था बदलनी होगी और समाज में इस तरह की भावना पैदा करनी होगी कि लोग जुर्म न करे। यदि रेलवे मंत्री महोदय ने उस भावना को पैदा करने का प्रयत्न किया होता, जिन का जिक्र उन्होंने अपने बजट-भाषण में किया था, लोगों का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश की होती, तो यह समस्या काफी सुधर जाती। मैं चाहता हूँ कि दण्ड की व्यवस्था सख्त करने के बजाय यदि लोगों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाय, तो हमारा मार्ग बहुत सरल हो जायगा। इस विषय में विद्यार्थियों की बड़ी चर्चा की जाती है। मैं जानता हूँ कि कभी कभी विद्यार्थी, जब उन की इच्छा होती है, जंजीर खींच लेते हैं और गाड़ी का खडा कर लेते हैं। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उन को इन कार्यवाहियों को रोकने के लिए कभी उन के अभिभावकों, उन के प्रिन्सिपल्स और विष्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों का सहयोग लेने की कोशिश की गई है? क्या इस सम्बन्ध में उन के साथ मीटिंग की गई है? यदि आप उन विद्यार्थियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं कर सकते हैं, तो क्या उन अधिकारियों को कहा गया है कि वे उन के खिलाफ कार्यवाही करे? मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जो कर्मचारी इस तरह

की घटनाओं को रोकना चाहते हैं, उन की शिकायत है कि उन को इस सम्बन्ध में विद्यार्थियों के अभिभावकों, प्रिंसिपल्स और कालेजों के अधिकारियों का सहयोग नहीं मिलता है। जो परिस्थिति इस समय है, उस को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि सजा को बढ़ाने के बावजूद आप यह जुर्म करने वालों के विरुद्ध मुकदमा नहीं चला सकेंगे। मैं यह जानना चाहता हूँ कि इस समय पचास रुपये जुर्माना करने की व्यवस्था है, इस के अन्तर्गत कितने मुकदमे चलाये गये हैं और कितने लोगों को सजा दिलवाई गई है। जब तक आप कोई उचित कारण नहीं बतायेंगे, तब तक इस प्रकार सजा को बढ़ाना हमारी समझ में नहीं आता है। यह कहते हुए मेरा यह आशय कतई नहीं है कि जज्जिर खीचना सही है, अच्छी चीज है। मैं जानता हूँ कि उस के कारण बहुत से यात्रियों को नाजायज तरीके से नुकसान होता है। यह घटनायें कम होनी चाहिये लेकिन उन को कम करने का तरीका यह नहीं है कि सजा को बढ़ा दिया जाये। इस सम्बन्ध में हम को देखना चाहिये कि जो लोग आदतन इस प्रकार के जुर्म करते हैं, उन को हम पचास रुपये जुर्माना कर के ठीक कर सकते हैं और जो ऐसे नहीं हैं, उन के साथ भिन्न व्यवहार किया जाना चाहिये। कभी कभी जरूरत पड़ने पर जज्जिर खीचनी पड़ जाती है। जिस डिब्बे में ६२ आदमियों के लिये जगह है और वहाँ १६२ आदमी बैठ जाते हैं, वहाँ अगर कोई व्यक्ति जज्जिर खीच लेता है, तो मैं नहीं समझता कि कायदे से आप कह सकते हैं कि उसने जुर्म किया है। जुर्म आप करते हैं, उसका इसमें कोई जुर्म नहीं है। इस कानून के मुताबिक आप यह कह सकते हैं कि रीजनेबिल और सफिसोट काज नहीं था कि उसने १६२ आदमी ६२ आदमियों की जगह पर बैठे हुये थे, इसलिये जज्जिर खीद दी और चूँकि बहुत अधिक आदमी बैठे हुये थे इसलिये उसने एसा किया। जब बच्चा होनेजा रहा हो या कोई और ज़रूरी

बात हो, उस वक्त अगर कोई जज्जिर खीच दे तो उसको आप सफिसोट और रीजनेबिल काज समझते हैं। इसलिये मैं कहूँगा कि श्री भरूचा साहब न जो संशोधन दिया है और जो यह कहा है कि इसमें इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिये जिससे यह बात बिस्कुल स्पष्ट हो जाय और यह बात गोलमोल न रहे कि कमी भी जहाँ पर बहुत आवश्यक कार्य हो और उसके लिये जज्जिर खीच दी जाये तो वह जुर्म नहीं होगा, इसको मान लिया जाये।

15 hrs.

अब मैं टिकटलैस ट्रेवल पर आता हूँ। कई लोग रोज़मर्रा बिना टिकट के ट्रेवल करने में मफ़ल हुये हैं और हो रहे हैं। टिकटलैस ट्रेवल की जितनी घटनाओं का रेलवे प्रशासन को मालूम है या जो इस सम्बन्ध में उससे पास आकड़ें हैं, वे उतनी न हो करके उससे कहीं अधिक हैं। इसका कारण यह है कि रेलवे कर्मचारी कभी कभी जिससे वह किराया चार्ज भरना भी चाहते हैं, डर के मारे नहीं कर पाते हैं, उनकी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होनी है। इस तरह की वारदातें होती हैं वे देखी हैं। जब कोई व्यक्ति जो कि गुण्डा होता है बिना टिकट सफ़र करता पाया जाता है और उससे किराया चार्ज करने की बात आती है तो वह उनको डराता धमकाता है और कहता है कि वह उनका सिर भ्रग कर देगा अगर उन्होंने उसके खिलाफ़ कुछ किया। इस वास्ते रेलवे कर्मचारियों की यह शिकायत रहती है कि उनकी सुरक्षा का कोई भी प्रबन्ध रेलवे प्रशासन की ओर से नहीं होता है। पिछले दिनों एक घटना का अख़बारो में उल्लेख हुआ था।

[श्री बजराम सिंह]

लखनऊ में एक मेला था और वहाँ पर लोग जा रहे थे। जब बीच में ही उनमें टिकिट मांगे गये तो रेलवे कर्मचारियों को पीट दिया गया। इस वास्ते उनका कहना यह है कि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध होना चाहिये। साथ ही साथ रेलवे प्रशासन को और से जब कभी कोई मुकदमा चालू हो जाता है उसका लड़ने का भी कोई प्रबन्ध नहीं किया जात है, रेलवे कर्मचारियों को उनके ही रहस्य पर छोड़ा दिया जाता है। यह अच्छी स्थिति नहीं है। जब रेलवे के कर्मचारियों की बिना टिकिट सफर करने वालों से चार्ज करने की बात आती है और इस कार्य को करते समय उन्हें कोई चोट भा जाती है या कोई दूसरी घटना हो जाती है, तो रेलवे प्रशासन का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह देखे कि उन कर्मचारियों की सुरक्षा का प्रबन्ध कैसे किया जाना चाहिये और अगर मुकदमा लड़ने की जरूरत पड़ती है तो मुकदमा भी रेलवे प्रशासन की ओर से लड़ा जाना चाहिये।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूँ कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ पुलिस के कर्मचारी हैं जिन्होंने यह पटा लिखा लिया है कि रेलवे जो है उनके वही मालिक हैं। वे अपने आपको उसी तरह से इनका मालिक समझते हैं जिन तरह से पहले जमींदार लोग या राजे महाराजे समझा करते थे कि वे मालिक हैं। यह छोटे मोटों की बात नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि पिछले दिनों जब बरहून में एटा के लिये रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था तब रेलवे मंत्रालय की ओर से कुछ निमंत्रण-पत्र जारी किये गये थे। उसमें राष्ट्रपति जी भी गये थे और उनके लिये सैलून का प्रबन्ध कर दिया गया था। इसमें किसी को कोई एतराज नहीं हो सकता है, उनके लिये सैलून का अच्छी से अच्छी गाड़ी का प्रबन्ध होना ही चाहिये। उस समारोह

में हमारे माननीय रेलवे मंत्री जी भी गये थे। वहाँ कुछ लोगों को निराशा ही लीटना पड़ा क्योंकि रेलवे कर्मचारियों ने तो अपने लिये फर्स्ट क्लास का प्रबन्ध कर लिया था मगर दूसरे लोगों के लिये नहीं किया था। संसद् सदस्यों तक के लिये बर्ड क्लास की भी व्यवस्था नहीं की गई थी। उनके लिये तो फर्स्ट क्लास की व्यवस्था हो और दूसरों के लिये कोई व्यवस्था न हो, यह अच्छी बात नहीं है।

हमें यह देखना पड़ेगा कि कर्मचारियों की भावना में परिवर्तन हो। जब तक उनकी भावनाओं में, उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन नहीं आया तब तक कुछ होने वाला नहीं है, चाहे आप कितने ही दण्ड की व्यवस्था क्यों न कर दें।

अब देखने वाली बात यह है कि क्या हम अधिक सीटों की व्यवस्था कर पाते हैं या नहीं, जिनमें प्रादमी रेलों में सफर करते हैं, उन सब को मीटें दे पाते हैं या नहीं। अगर हम नहीं दे सकते हैं तो कम से कम जैना कि माननीय सिंहासन सिंह जी ने कहा सैलून का चलना बन्द तो कर ही सकते हैं और अगर जरूरत हो तो फर्स्ट क्लास को भी बन्द कर सकते हैं। खैर, फर्स्ट क्लास और सैकिड क्लास को बन्द करने का जहाँ तक सवाल है वह अलग बात है। लेकिन हम सैलून का चलन तो बन्द कर ही सकते हैं। आप दो रुपये ले कर रात को प्रादमियों के सोने की व्यवस्था भी करते हैं ताकि वे आराम से जा सकें।

एक माननीय सदस्य: एयर-कंडीशन भी बन्द होना चाहिये।

श्री बजराम सिंह: फर्स्ट क्लास को बन्द नहीं कर पा रहे हैं और आप एयर-कंडीशन को बन्द करने की बात कहते हैं।

तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि आज जब आप आदर्श के तौर पर काम करना चाहते हैं और चाहते हैं कि लोगों को सुख सुविधा मिले तो आपको ऐसी चीज करनी चाहिये जिस से लोगों के लिये बैठने की जगह का तो कम से कम प्रबन्ध हो सके। आज लोगों के पास टिकट होता है लेकिन वे खड़े रहते हैं, शाम को उन्हें घर पहुँचना होता है, वे गाड़ी से रह जाते हैं। छतों पर चढ़ कर के या बाहर खड़े हो कर जाते हैं और सिगनल से टकरा कर उनका सिर कट जाता है, बच्चे देखते रहते हैं कि उनके पिता अब आये और अब आये। आप दो रूपया लेकर सोने की जगह लोगों के लिये सुरक्षित रखते हैं, उसको आप खत्म कर सकते हैं। इससे लोगों को बैठने के लिये स्थान मिल सकेगा। साथ साथ हमको कुछ मौलिक परिवर्तन करने होंगे तब जा कर जो हमारा मकसद है वह पूरा हो सकेगा। जब तक आपका इधर ध्यान नहीं जायगा, तब तक आप चाहे ५० रुपये अथवा २५० रुपये या ५०० रुपये जूमनि की व्यवस्था कर दे, कुछ होने वाला नहीं है।

Some hon. Members rose —

Mr. Deputy-Speaker. May I call the hon Minister now because three hours have been exhausted?

Shri M. L. Dwivedi: I have been parading since this morning

Mr. Deputy-Speaker: Surely, I do appreciate

Shri M. L. Dwivedi: I want to say something very important in this connection I think my suggestions will be very helpful to the hon Minister of Railways

Ch. Ranbir Singh: The time may be extended by one hour

Shri Dasappa (Bangalore) I shall not take long, if you can spare a few minutes

Shri T. B. Vittal Rao (Khammam): One hour more may be given

Mr. Deputy-Speaker: Now most of the arguments have been given

Shri M. L. Dwivedi: There are some other important arguments which have still to be given.

Mr. Deputy-Speaker: Now we are seeing that most of the arguments are being repeated There is nothing new Let us hear Pandit Brij Narayan "Brijesh" I will give some time to every one Every hon Member will try to condense his remarks within seven minutes

पंडित ब्रज नारायण "ब्रिजेश" (शिवपुरी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूँ कि देश में शासन के सामने जो कठिनाइया खड़ी हो रही हैं उनको दूर करने की ओर शासन का ध्यान जाना चाहिये। हमारे रेलवे मंत्री बिना टिकट सफर को बन्द करना चाहते हैं और साथ ही साथ यह जो जजीर खींची जाती है इसकी भी रोक थाम करना। यहाँ तक तो बात ठीक है। अब सवाल पैदा होता है कि यह चीज कैसे बन्द हो। इसमें मतभेद दिखाई पड़ता है। शासन चाहता है कि दण्ड व्यवस्था हो लेकिन माननीय सदस्य चाहते हैं कि देश का जो स्तर गिर रहा है, उस स्तर को ऊँचा उठाया जाये। मैं देखता हूँ कि स्तर शासन का भी गिर रहा है और समाज का भी गिर रहा है और यह बीमारी व्यापक रूप से न केवल रेलवे विभाग में है, बल्कि समस्त विभागों में है। इस देश का काम काज चलाने के लिये जितने भी विभागों का निर्माण हुआ है उन सभी में यह रोग विद्यमान है। चकि जनता का रेलवे विभाग से अधिक सम्पर्क होता है, इसलिये उसमें यह अधिक दिखाई पड़ती है।

अब प्रश्न पैदा होता है कि इस रोग को कैसे रोका जाय। इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि जब तक दण्ड पूरा नहीं मिलेगा तब तक जो गूडागर्दी है वह दम नहीं सकती

[पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश ]

है। उपदेशों के द्वारा गुंडागर्दी को दबाने का जो प्रयत्न करते हैं, वे व्यावहारिक जगत से दूर हैं। जो साधारण सराबी है वह तो उपदेश के द्वारा ठीक हो सकती है लेकिन जिन के ऊपर संस्कार बदमाशी के आरम्भ से ही पड़ गये हों उनके साथ अगर आप सद्भावना, प्रेम और विश्वास के आचार पर बात करोगे तो स्तर और भी गिर जायगा और देश में अव्यवस्था और भ्राजकता फैलेगी और उसका सक्षण यह है कि टिकट भागने वाले को मरने का डर लग गया है, उसको यह डर होने लग गया है कि यदि मैंने टिकट भागा तो मेरा सिर फोड़ दिया जायगा। जब ऐसी स्थिति आ जाय तो वे लोग कर्तव्य परायणता का कैसे परिचय दे सकते हैं। प्राणों के भय के कारण वे गुंडा को गुंडागर्दी करने का अवसर देंगे और ये लोग अपना गैंग बना कर, धूमना गुट बना कर और अधिक हावी होने का प्रयत्न करेंगे। शासन को यदि इससे नहीं बचाया जायगा तो शासन दुर्बल हो जायगा और अन्त में देश का भी नाश हो जायगा। अतः शासन के हाथ मजबूत करने की जरूरत है। लेकिन जो शासन देश को बलवान बनाना चाहता है उसको आत्म-निरीक्षण भी करना चाहिये। भगवान कृष्ण ने एक बार स्पष्ट कह दिया था —

यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरोजन ।  
स यत्प्रमाणं कुफ्ते लोकस्तदनुवर्तते ॥

श्रेष्ठ पुरुष जैसा आचरण करेगा, इतर जगत उसके अनुसार चलेगा।

हमारे जितने बड़े लोग हैं उनमें कर्तव्य परायणता की भावना नष्ट हो गई है और वे अपने आपको शाह, शाहनशाह, बादशाह, ऐसा समझने लगे हैं। उनके ऐसा समझने के कारण ऐसा भालूम पड़ता है कि शाही, शाहनशाही, बादशाही का जमाना आ गया

है और जो साधारण आवामी था, जो मारा मारा फिरता था, अपने को बादशाह समझने लग गया है, तो लोग भी समझने लग गये हैं कि उनको छट्टी है। इस के कारण भ्रष्टाचार की भावना बढ़ी है। मैं तो लोगों को यहां तक कहते सुनता हूँ कि "कांग्रेस के राज में लूट सके तो सट, अन्त समय पछतायेगा जब नौकरी जाये है छूट"। अब आप ही बताइये जब यह भावना हो जाये और कम्पिटेशन शुरू हो जाय तो क्या किया जाय। मैं इस का एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं अपने चुनाव क्षेत्र में धार्मिक वायुमंडल उत्पन्न करने के लिये उपदेश कर रहा था। मैंने पिछली बार निवेदन किया था कि सेन्ट्रल रेलवे से मेरे क्षेत्र के नैरोगेज का सम्बन्ध हो गया है। हमारे मंत्री महोदय उधर कभी गये ही नहीं। मैं चाहूंगा कि वह कभी कभी गुप्त रूप से जा कर देखा करे कि कहा क्या हो रहा है। प्रकट रूप से तो जाते ही हैं।

एक माननीय सदस्य कौन सा क्षेत्र है ?

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश शिमपुरी।  
वहा एक नैरोगेज चलती है। मैं आप को उस की हालत बताऊं। वहा पर धक्का देने से गाडी ऊपर चलती है। पैसेन्जर्स नीचे उतर आते हैं। बार बार ड्राइवर गाडी चलाने की कोशिश करता है लेकिन जब गाडी का इंजन फेल हो जाता है तो पैसेन्जर्स ही इंजन बनते हैं। टिकट कलेक्टर साहब का हाल भी देखिये। अगर गाडी में कुल ५० या ६० पैसेन्जर्स भी हूए तो ३० पैसेन्जरो का पैसा टिकट कलेक्टर अपनी जेब में डाल लेता है और स्टेशन मास्टर से ले कर गाडी तक सब उस को परस्पर वितरण कर लेते हैं।

श्री जगजीवनराम : वह भी आप के धर्म प्रचार के बाद ?

**पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश :** जी हां, क्योंकि भ्रष्टाचार का भ्राप का बढ़ावा इतना व्यापक हो गया है और स्तर इतना गिर गया है कि मेरा धर्म प्रचार काम नहीं कर रहा है। मैं बिना पंसा लिये भ्राप का काम बनाना चाहता हूँ उपदेश के द्वारा लेकिन वह सब बेकार हो रहा है, इसलिये कि भ्राप की व्यवस्था सुदृढ़ नहीं है, भ्राप का निरीक्षण ठीक नहीं है।

**एक माननीय सदस्य :** गाडी में सामान तो सुरक्षित है ?

**पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश :** क्या कहा जाय कि वह सुरक्षित है ? जान माल दोनों का ही सवाल है। मैं तो समझता हू कि हमारे श्री बाजपेयी ने एक बार ठीक ही कहा था कि गाड़ी में बैठने के समय जग और जीवन दोनों को छोड़ केवल राम जी की याद रहती है। भगवान ही मालिक है, पहुंचने तक भ्रगर बच गये तो ठीक है। मेरा यह निवेदन है कि जब साधारण लोगों में भ्रष्टाचार का निर्माण हुआ और देख रेख बन्द हो गई तो सजा देने से ही क्या काम चलेगा ? जब टी० टी० आई० स्वयं पंसे ले कर जब मे डाल लेते हैं तो भ्राप मजा किस को देगे ? मैं एक स्टेशन पर जा कर बैठे। मेरे साथ देहात के चार भ्रादमी और थे। वे लोग टिकट लेने गये और लौट कर कहा कि बाबू उन को टिकट ही नहीं दे रहा है। तो मैं गया स्टेशन मास्टर के पास। वह स्वयं ही तार भी करते हैं, रसीद भी काटते हैं, टिकट भी वह ही बाटते हैं। उन्होने मेरी तरफ देखा भी नहीं और कहने लगे "ठहरो जी," "ठहरो जी"। उधर गाडी जा रही थी। जब टिकट नहीं मिला तो टी० टी० आई० कहता है कि तुम बैठ जाओ, टिकट नहीं मिलता तो कोई हर्ज नहीं। उस वक्त उस को मालूम नहीं था कि उस के सामने मैं खड़ा हू और उस की सारी बात को लोक सभा में जा कर कहूंगा। आज यह स्थिति हो रही है। रेलवे में होने

वाले इतने बड़े भ्रष्टाचार को भी जो भ्राज चल रहा है हम को रोकना पड़ेगा। हमारे मंत्री महोदय को, उप मंत्री महोदय को तथा दूसरे लोगो को भी जा कर देलना पड़ेगा, जगह-जगह दौरा करना पड़ेगा और पता लगाना पड़ेगा कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं चलता है नहीं तो इस तरह के अधिकार से काम नहीं चलता। इस प्रमोडमेंट को ला कर और कानून को संशोधित कर के यह होगा कि गरीब घूमने वाले व्यक्ति के पास भ्रगर टिकट नहीं होगा तो उस को सजा दी जायेगी। मैं यह नहीं कहता कि उस को सजा ब दी जाये, लेकिन भ्रगर टिकट लेने के बाद उस भ्रादमी को रेलवे में जगह नहीं मिलती तो क्यों न उस के बदले में मंत्री महोदय को सजा दी जाये। जब भ्राप टिकट के पंसे ले रहे हैं तो जगह देने की गारन्टी क्यों नहीं करते ? भ्रगर भ्राप उस को जगह नहीं देते और साथ में इस तरह का सजा देने वाला बिल लाते हैं तो यह दोनों काम एक साथ नहीं चल सकेंगे। मेरा निवेदन यह है कि भ्राप का ध्यान जनता को सुविधा देने की तरफ भी होना चाहिये यदि भ्राप उस को सजा देने की बात सोचते हैं। भ्राप उन को सजा भी दीजिये लेकिन सुविधा को भी बढ़ाहिये और यह दोनों काम एक साथ ही चलने चाहिये। इसी तरह से स्थिति में सुधार हो सकता है, अन्यथा इस बिल का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

**श्री० रणबीर सिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, कई दोस्तों ने क्याल जाहिर किया है कि सजा को बढ़ाया जा रहा है जंजीर खींचने के लिये भ्राज से कोई २० साल पहले भी सजा ५० व ६० ही थी जब कि १६० सेर घी मिलता था, ढाई रुपये का एक मन गेहूँ मिलता था। हमें चाहिये तो यह था कि हम रेल के महकमे का शुक्रिया भ्रदा करते कि उस ने अब तक न जुर्माना ही बढ़ाया है और न किराया ही उतनी हद तक बढ़ाया है, बावजूद इस बात के कि हर चीज का दाम बढ़ रहा है। अनाज का भाव ३५ और ३५ व ६० मन ही

### [श्री० रणवीर सिंह]

गया। इस में भी कुछ बढ़ जाता तो कोई बात नहीं थी। रेल तो आम जनता के चलने के वास्ते है, उस में कोई बुराई आती है तो यह दुःख की बात है।

**उपाध्यक्ष महोदय :** अगर गाड़ी वाले भी ही ले लिया करे ?

श्री० रणवीर सिंह मैं दूध भी की तरफ भी भाऊगा। दूध और घी का बहुत काफ़ी रिश्ता है। मैं ने आप से कहा था कि एक और नई बात है।

श्री जगजीवन राम आप ने नई बात तो कही।

श्री० रणवीर सिंह . मैं आप के द्वारा जो नई बात कहना चाहना था वह यह है कि जो आदमी दूसरी जगह से बिना टिकट बैठता है उस के लिये तो सजा की बात आ गई लेकिन आज आप सब्जी मण्डी स्टेशन पर सबेरे उठ कर आइये। वहा आप देखेंगे कि कितने आदमी दूध ले कर आते हैं जो सवारी रेल में बैठने के लिये दाखिल होते हैं उन 61 गाड़ी में दाखिल होने में जगह नहीं रहती। स्टेशन के लोग सब से एक एक लोटा दूध लेते हैं और उस का दाम नहीं देते हैं।

एक माननीय सदस्य लेकिन दूध में पानी तो डालते हैं।

श्री० रणवीर सिंह पानी तो डालेंगे ही, आखिर कही न कही से तो उस घाटे को निकालेंगे ही। इसी तरह से घी का सवाल आ जाता है। तो जहा तक सजा को बढ़ाने का तात्पर्य है, उस में मुझ कोई आपत्ति नहीं। हा, एक बात जरूर है कि जहा तक टिकटों का सवाल है, पहले भी एक दो दोस्तों ने कहा कि जो भाई ईमानदारी से चलना चाहते हैं उन के लिय भी तो कोई स्थान रहना चाहिये। बदकिस्मती यह है कि जो भी जरा ईमानदारी

से चलना चाहते हैं उन के रास्ते में आप रोड़ा अटकाना चाहते हैं। वे तो पब यात्रा ही कर सकते हैं। उन को रेलों पर यात्रा करने की सहूलियत मिलनी चाहिये।

देहातों के स्टेशनों पर आप जानते हैं कि बाबू कम होते हैं और अगर होते भी हैं तो अक्सर गाड़ी के धाने से पांच या सात मिनट पहले आते हैं। तो वे तो ठीक वक्त पर भी नहीं आते हैं, लेकिन जो देहात के लोग बेचारे टाइम से घटा घटा और डेढ़ डेढ़ घंटा पहले से आ जाते हैं उन को टिकट नहीं मिलता भले ही वह गाड़ी पर बैठें या न बैठें कई जगह पर तो ऐसा होता है कि चौबीस घंटे में एक ही बार गाड़ी आती है और यात्रियों के लिये आकत हो जाती है कि आखिर वह करे क्या। जहा तक सजा का सवाल है उन गाड़ियों में मैजिस्ट्रेट रख दिये गये। वे लोग जहा से गाड़ी चलती है वहा से टिकट का पैसा ले सकते हैं, जहा चैक हुआ वहा से ले सकते हैं या जहा पर मुगारिहर सवार हुआ है वहा से ले सकते हैं। इस प्रकार से अधिकार देने से नतीजा यह होता है कि जो रेल के कर्म-चारियों को पैसा दे देता है उस का रेल के अधिकारी नहीं पकड़ते। मैं तो कहूँ हू कि सरकार सक्ती जरूर करे। जो लोग गलती करते हैं उन के रास्ते में अगर आप रोड़े डालें तो मुझे खुशी होगी लेकिन उन के ऊपर आप जरा डग से रोकथाम कीजिये।

दूसरी बात हम प्रोसेसर साहब ने कही, वे जरा उन से घबराते हैं। वे कहते हैं कि आखिर कौन लोग चैन खींचते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस में ज्यादा कसूर रेलवे का नहीं, ज्यादा कसूर हमारे प्रोसेसर साहब का है क्योंकि उन के जो विद्यार्थी हैं उन को उन्हो ने ठीक प्रकार से पढ़ाया नहीं और वे लोग रेल मंत्रालय का तंग करते हैं। मैं उन की इस बात से सहमत था जब वह बार बार कहते थे कि हमारे विद्या के मंत्री बूखे मंत्री

भी से बात कर रहे हैं व इस के लिये ज्यादा जिम्मेदार हैं। मैं इसलिये सहमत था कि दरभंगसल काम ज्यादा शिक्षा मंत्रालय का है। वह भ्रगर ठीक ढंग से कालेजो को चलाये और प्रोफेसर साहब ठीक ढंग से काम करे तो यह मसला ठीक तरह से हल हो सकता है। मैं तो कहूंगा कि इस के लिये स्कन और कालेजो को कुछ माइक्रो होन फ्री दे दिये जाये ताकि गाहे बगाहे बच्चो को लैक्चर दिये जा सके कि यह देश की रेल है और इस का दुष्योग नही करना चाहिये।

श्री जगजीवन राम वह यही कर रहे हैं।

श्री० रजबीर सिंह उन को बताया जाय कि उस में मुफ्त बैठना पाप है। लोगो को न मुफ्त उस में बैठना चाहिय और न जजीर ही सीचना चाहिय।

जहा तक दूध वालो का सवाल है मैं उन की भी बात बतलाता हू। मेरा हल्का सोनीपत है और कुछ भा. जो मेरठ के है या दिल्ली के पास पास के है, उन को तजुर्बा है। सब जानते है कि दूध वा नो बिना टिकट के आने से बहुत नुकसान होता है क्योंकि उम से रेलव की भ्रामदनी घटती है। इस का तजुर्बा किया गया और बात सही साबित हुई। जिस दिन इस्पेक्टर गया उस दिन तो दूध का डम्बा का ग्री भर गया, लेकिन बाकी दिन में खाली आता है और उस में दूध वाले दूसरे डिब्बो में भर कर आते है। लेकिन जब तक सारे महकमे वाले इस को न रोकना चाहे तब तक इस को सुधारना मुश्किल है। जब उन का भी हिस्सा दूध में लगता है तो कुदरती तौर पर वह क्यों चाहेंगे कि यह सके। उन को क्या फिर्क है? उन को दूध मिलता है, सबारी चढ़े या न चढ़े, गाडी खाली आती है या भरी, रेलवे की भ्रामदनी कम हाती है या ज्यादा इस की उन्हे परवाह नही। इस बिल के द्वारा कम से कम इन

बारों का भी नो इन्जाम होना चाहिये। भ्रगर इस का इन्जाम नहीं हो सकता तो इस कानून से क्या लाभ होगा?

श्री म० सा० द्विवेदी उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस इंडियन रेलवेज (भ्रमेडमेंट) बिल, १९५८ के सम्बन्ध में दो चार बातें कहना चाहता हूँ।

पहले तो यह कि मैं मंत्री महोदय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हू कि उन्हो ने यह विधेयक प्रस्तुत किया और वह जो बिना टिकट सफर करने की कुप्रथा है वह इस से बन्द हो जायगी। लेकिन इतना मे जरूर स्पष्ट कर देना चाहता हू कि यह बिल एकगणी है। हम ने केवल उन लोगो के लिये कानूनी व्यवस्था की है जोकि बगैर टिकट चला है लेकिन बहुत से ऐसे और भी लोग है जोकि बगैर टिकट चलने में मदद पहुचाते है। कर्मचारी खुद बगैर टिकट के चला है। उन के लिये कोई व्यवस्था नही की गई है। अब रेलवे मजिस्ट्रेट्स इसलिये नियुक्त किये गये है कि वे बिना टिकट चलने वालो को सजा दिया करे लेकिन मे जानता हू कि रेलवे के मजिस्ट्रेट यह करे है कि वे टी० टी० और पुलिस वालो से कह देते है कि वे भ्रासी और मानिकपुर से चलने वाले तमाम बगैर टिकट चलने वालो को पकड़ कर भ्रासी लायें और वहा पर हम मुकद्मा ट्राई करेगे और वे यह दिखला देते है कि वे भ्रासी से मानिकपुर चले जबकि वह लखनऊ की यात्रा अपने जाती काम के लिये करे है और उसी पास को वह इस्तेमाल करे है जोकि भ्रासी से मानिकपुर तक करना चाहिये। यह ठीक है कि उन को पूरे प्रदेश में टिकट बैंक करने का अधिकार हासिल है लेकिन उन की एक लाइन मुकरंर होती है जिस में कि उन को टिकट बैंक करना होता है। दूसरी जगह यदि वे जाये तो उन को २५ रुपये मिला है और वे दूसरी जगह अपनी लाइन छोड कर इसलिये जाते है है ताकि उन को २५ रुपये का भ्रता मिल जाय। अब होता यह है कि पुलिस



[श्री म० ला० द्विवेदी]

बगैर टिकट सफर करने वालों को पकड़ पकड़ कर झांसी बुला लेती है जहाँ पर कि हेडक्वार्टर होता है और वहीं पर वह मजिस्ट्रेट उन को सजा दे देते हैं। अब वे यात्री सजा भुगतने के बाद फिर बिना टिकट यात्रा करने को बाध्य हो जाते हैं क्योंकि उन के पास यात्रा करने के लिये पैसा नहीं होता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आप के पास में इस की क्या व्यवस्था है? आप अपने मजिस्ट्रेटों को यह आदेश क्यों नहीं देते कि वे स्वयं क्यों नहीं ट्रेन में यात्रा करें जिस से यह कठिनाई जो यात्रियों को उठानी पड़ती है न उठानी पड़े। अब होता यह है कि मजिस्ट्रेट साहब तो ट्रेवल करने नहीं वे तो हेडक्वार्टर में मौजूद रहते हैं और अगर कोई यात्री जल्दी या किसी अन्य कारण से टिकट नहीं ले पाया और वह टिकटबैकर को टिकट के दाम देना भी चाहता है तो टी० टी० कहता है कि मैं टिकट के दाम नहीं ले सकता क्योंकि मजिस्ट्रेट साहब का आदेश है कि तुम टिकटलेस ट्रेवलिंग के क्लेस पकड़ पकड़ कर दो और हालांकि यात्री टिकट के पैसे देना चाहता है लेकिन उस से नहीं लिये जाते क्योंकि प्राक्सिग मजिस्ट्रेट साहब को अपनी कारगुजारी तो दिखानी ठहरी और इस तरह टिकटलेस ट्रेवलिंग के क्लेस की सख्या जो अधिक हो जा रही। यह तो मैं मजिस्ट्रेटों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ।

दूसरी बात में टी० टी० के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ। आप ने सुना होगा कि दिल्ली से बम्बई तक एक जनता एक्सप्रेस चलाई गई थी। मुझे बतलाया गया कि वह रेलगाड़ी बन्द की जा रही है क्योंकि उस में यात्री चलो ही नहीं हैं। एक बार मैं स्वयं उस ट्रेन में गया। एक स्टेशन पर मैंने अपने सामने ५० आदमी स्टेशन पर बैठे हुए देखे। उन्होंने टी० टी० से कहा कि हमें स्टेशन मास्टर दिखाई नहीं देता तो उन्होंने कहा कि तुम लोग गाड़ी पर बैठ जाओ और

हर एक से उन्होंने ३, ३ रुपये वसूल कर लिये। उन में से तीन व्यक्ति मेरे डिब्बे में भी बैठे थे। उन के इंस्टिनेशन से एक स्टेशन पेशतर उन को १, १, टिकट मिल गया। दिये तो उन्होंने ३, ३, रुपये बैं लेकिन उन को ६, ६, नये पैसे के टिकट दिये गये। मैंने जब उन से पूछा कि भाई तुम लोगो ने दिये तो ३, ३ रुपये फिर यह ६, ६ नये पैसे के टिकट कैसे लिये तो वे कहने लगे कि बाबूजी हम पडे लिखे तो हैं नहीं फिर हम लोग बिना टिकट के पकड़े नहीं गये और हमारा काम बन गया, अब ३ रुपये के बदले उन्होंने हमें ६ नये पैसे का टिकट दे दिया तो फिर क्या किया जाय। मैंने इस की बाबत टी० टी० से दरियाफ्त किया तो उस ने कहा कि मुझे मालूम नहीं कौन टी० टी० था लेकिन दूसरे स्टेशन पर पाचो टी० टी० मेरे पास आये और मुझ से कहने लगे कि साहब हम से गलती हो गई कसूर हो गया, हमें माफ कर कर दिया जाय। मैंने उस सम्बन्ध में लिखा पढी भी की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं बताना चाहता हूँ कि वह ट्रेन इसलिये बन्द कर दी गई कि मुमाफिर नहीं चलते हैं जबकि हकीकत इस के विपरीत है। इस बात की जांच करने के लिये कि वाकई उस रेलगाड़ी में यात्री सफर कर रहे हैं कि नहीं, कोई ऊंचा अधिकारी जांच करने के लिए तैनात कीजिये

उपाध्यक्ष महोदय रेलवेज तो इस बिना पर इस बारे में प्रदाज लगाती है कि साल में उस से कितनी आमदनी होती है।

श्री म० ला० द्विवेदी जी हा, आमदनी तो वह रेलवे के मुलाजिम खा जाने हैं, रुपया वसूल लेते हैं गाड़ी पर चढ़ा देते हैं और उन को टिकट नहीं देते। मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि बनारस से लखनऊ तक एक बारात पूरे ५०० आदमियों की बगैर टिकट के भाई। रेलवे प्रशासन के

नोटिस में यह चीज साई गई लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि वह बड़े लोगों की सुपरिटेण्डेंट या आई० जी० के वहाँ की बारात थी। ऐसे ऐसे मैं आप को कितने ही कैसेज बतला सकता हूँ जहाँ कि इस किस्म की गड़बड़ की गई है।

तीसरी बात यह है कि हम टिकट ले कर मानिकपुर से झाँसी के लिये रेल में बैठते हैं लेकिन मैं अपने जाती अनुभव के आधार पर यह बतलाना चाहता हूँ कि चित्रकूट के मेले में लाखों भ्राम्ही वहाँ पर पड़े रहते हैं और वहाँ पर जो रेलगाड़ी में धक्कामधुक्का और रेलपेल होती है उस से भगवान ही बचाये। मैं जानबूझ कर थर्ड क्लास के एक डिब्बे में बैठा ताकि मुझे इस का जाती अनुभव प्राप्त हो सके और मैं आप को बतलाना चाहता हूँ कि जहाँ उस डिब्बे में मेरे लिये कोई २ घन फुट का स्थान रहा होगा वहाँ पता नहीं किन्तु १०, १० घन फुट की जगह घेरने वाले लोग डिब्बे में एक दूसरे पर गिर पड़े और मैं ही जानता हूँ कि उस वक्त उस डिब्बे में कैसी हालत हुई। मैं मरते मरते बचा। मैं खुद जानता हूँ कि दो भ्राम्हियों की तो जान चली गई और चार महिलाओं के हाथ पैर टूट गये। अब यह हालत हर साल चित्रकूट के मेले पर होती है। इस सम्बन्ध में यहाँ संसद् में प्रश्न भी पूछे गये और उस दुर्व्यवस्था की और रेलवे प्रशासन का ध्यान आकृष्ट किया गया। उस लाइन पर इतना अधिक रखा रहता है कि आये दिन एक न एक दुर्घटना हो जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है और कोई स्पेशल ट्रेन चलाने की व्यवस्था नहीं की जाती है। जो टिकट खरीदते हैं उन की तो नुसीबत और जो बगैर टिकट चलते हैं वे फ्री निकल जाते हैं। इसलिये इस की उचित व्यवस्था होनी चाहिये और हर बार चित्रकूट मेले के भ्रमसर पर जो यह अप्रिय दृश्य उपस्थित होता है, कही मारपीट होती है, लोगों को बाँटें लगती हैं और रेलवे की प्रापर्टी का बे

लोग नुकसान करते हैं, कांच बगैरह तोड़ देते हैं, उस को रोकने की उचित व्यवस्था रेलवे प्रशासन को करनी चाहिये।

चौथी बात मैं यार्ड मास्टर्स के बारे में कहना चाहता हूँ। अब होता यह है कि नार्दन रेलवे का यार्ड मास्टर दूसरी रेलवे की सेंट्रल रेलवे की रेलगाड़ी नहीं निकालते। गाड़ी के कानपुर पहुँचने का वक्त ८ बजे है लेकिन वे यार्ड पर ही गाड़ी रोक देते हैं और वे सिगनल ही नहीं देते हैं। इस बारे में हम ने एक नही दसियों शिकायतें लिख लिख कर भेजी कि यहाँ पर गाड़ी क्यों रोकੀ जाती है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और मुझे उस बारे में कुछ नहीं बतलाया गया। मैं तो कहूँगा कि आप वहाँ पर एक स्टेशन ही बना दीजिये क्योंकि आज वहाँ पर १५०, २०० मुसाफिर जोकि बिना टिकट के होते हैं उतर जाते हैं या उस गाड़ी का टाइम पहुँचने का देर का कर दीजिये। अभी वह गाड़ी आध आध बंटा यार्ड पर रुकी रहती है और जिस का कि नतीजा यह होता है कि दिल्ली आने वाली गाड़ी नहीं मिल पाती। पहले २५ मिनट का मार्जिन था अब केवल दस मिनट का मार्जिन कर दिया है। अपने दोस्तों को उतारने के लिये गाड़ी वहाँ पर रोक ली जाती है। इस तरह के अनेकों मामले हैं जिन में कि रेलवे कर्मचारियों की शिकायतें हमें सुनने को मिलती हैं। मेरा कहना है कि आप ऐसे कर्मचारियों को सजा देने की क्यो कोई व्यवस्था नहीं करते हैं। रेलवे प्रशासन ऐसे अपने रेलवे मुलाजिमों के खिलाफ क्यो नहीं कार्यवाही करता जोकि वहाँ पर गाड़ी रुकवा लेते हैं और अपने रिश्तेदार और दोस्तों से जोकि बिद्भाउट टिकट होते हैं उन को उतर जाने देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ कि साल के ३६५ दिन कानपुर के पास यार्ड पर झाँसी, बादा जाने वाली गाड़ियाँ क्यो रोकी जाती हैं? इस बारे में जो शिकायतें रेलवे मंत्रालय के पास जाती हैं उन के बारे में क्यो नहीं उचित ध्यान

[श्री म० ला० द्विवेदी]

दिया जाता और जरूरी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है।

मैंने देखा कि एक मुसाफिर की यह शिकायत थी कि टिकट कलक्टर ने उस से कहा कि उस की बच्ची जोकि ११ महीने की थी उस का भी उसे आधा टिकट लेना पड़ेगा। अब वह बेचारा पढ़ा लिखा नहीं था और उस को कहा गया कि वह १ रुपये ११ आने भुदा करे। जब उस ने भुझ से यह शिकायत की और कहा कि देखिये साहब कांग्रेस के राज्य में कैसी भ्रंशेरादी चलती है तो मैं सौट-र गया और मैं ने जब कहा कि इस बीच बच्ची का तुम ने कैसे आधा टिकट ले लिया यह तो केवल ११ महीने की है तो वह कहने लगा कि मैं ने समझा कि वह तीन वर्ष की है। मजा यह कि रुपये तो उस से बसूल कर लिये लेकिन उस को १ रुपये ११ आने की कोई रमीद और टिकट भी नहीं दिया। खैर मेरे बीच में पड़ने से उस मुसाफिर को वह पैसा वापिस मिल गया। इस बारे में शिकायत की गई लेकिन मुझे पता नहीं कि उस के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई? मुझे उस की कोई इतिला नहीं मिली। मैं यह बतलाना चाहता हूँ कि यह १ रुपये ११ आने की कोई अकेली घटना नहीं है बल्कि इस तरह की चीजे रोजाना होती रहती हैं। मेरा सुझाव है कि इस तरह की गड़बड़ियों को रोकने के लिये आप पालियामेंट के मेम्बरों को अधिकार दीजिये कि वे ऐसे खातावार कर्मचारियों को पकड़ें और उन को समुचित दंड दिलावा सकें। अब आप समझ सकते हैं कि जब वे लोग जिन पर कि रेलवे में टिकटलेस ट्रेवलिंग और अन्य अपराधों को पकड़ने की जिम्मेदारी होती है, जब वे ही इस तरह के अपराध करने लग जायें तब क्या हालत बनेगी? मैं इस के लिये यह सुझाव देना चाहता हूँ कि पालियामेंट के मेम्बरों को ही नहीं आप पैसंजर्स को भी इस का अधिकार दीजिये कि वे कर्मचारियों की ऐसी

गड़बड़ियों को पकड़ सकें और उन को दंड दिलावा सकें।

जहां तक इस बिल की संशा का तात्सुक है, मैं इस का स्वागत करता हूँ लेकिन आज जो आप के रेलवे कर्मचारियों में अपने कर्तव्य के प्रति उदासीनता आ रही है और वे स्वयं टिकटलेस ट्रेवलिंग और अन्य अपराधों में इंस्ट्रुमेंटल हो रहे हैं, उन को ठीक करने की समुचित व्यवस्था करें और जरूरी कदम उठायें।

आप दिल्ली, इलाहाबाद और आगरे आदि बड़े बड़े नगरों में बड़े-बड़े भ्रालीशान स्टेशन बना रहे हैं और लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन आप का ध्यान मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है उन एरियाज की तरफ नहीं जाता जहां कि गैंग पैदा होता है और जहां कि लोग चाहते हैं कि वहां पर रेलवे स्टेशन बने। आप उन एरियाज में रेलवे ल इंस बनाइये जहां कि भ्रमी रेलों की सुविधा नहीं है और जहां कि उन की बहुत जरूरत महसूस की जा रही है लेकिन हम ने देखा है कि जहां के लोग खुशामद कर लेते हैं उन के वहां रेलवे लाइन बना दी जाती है। यह बात मैं वर्तमान रेलवे मंत्री महोदय के बारे में नहीं कह रहा हूँ लेकिन उन के वहां पर ऐसा होता रहा है। मैं मंत्री महोदय का ध्यान उन के उस आश्वासन की ओर दिलाना चाहता हूँ जिस में उन्होने उन एरियाज में जहां कि रेलवे लाइन्स नहीं हैं, रेलवे लाइन्स बनाने को कहा था।

श्रीमती सहोदरा बाई (सागर—रक्षित अनुसूचित जातियां) . उपाध्यक्ष महोदय, मुझे भी कुछ समय देने की कृपा की जाये।

Shri S. M. Banerjee (Kanpur): May I have five minutes, Sir?

Some Hon. Members rose—

**Mr. Deputy-Speaker:** I will try to accommodate all other Members after the Minister has spoken, during the next stage. Now I am asking Shri Padam Dev to speak for six or seven minutes.

**श्री पदम देव (चम्पा) :** अध्यक्ष महोदय, खेत को बाढ़ की ज़ख्खरत तब होती है जब जानवर खेत को खाने लगे हैं, घर को ताला तब लगाया जाता है जब ज्यादा खोर हो जाते हैं। इस समय जो यह संशोधक विधेयक मंत्री महोदय लाये हैं इस को खाने में बहुत देरी हो गयी है, इस को तो कुछ सालों पहले ही खाना चाहिये था। इस के पहले न खाने के कारण दो बातों से बड़ी हानि देश को पहुँची है। एक तो आर्थिक हानि है जोकि बरदाश्त की जा सकती है। लेकिन दूसरी हानि जो हुई है वह नैतिक पतन है। लोगों को यह हीसला हो गया है कि बिना टिकट चला जा सकता है, बिना टिकट सामान ले जाया जा सकता है, बिना टिकट सरकारी कर्मचारियों को दो चार रुपये का प्रलोभन दे कर देश के साथ गहारी की जा सकती है। इस तरह का जो नैतिक पतन हुआ है इस का किफारा कभी भी मंत्री महोदय या प्रशासन नहीं कर सकेगा।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दो बातें देश के अन्दर बहुत ज्यादा बढ़ी हैं जिन को कि यह माननीय सदन भी शायद स्वीकार करेगा, एक तो अनुशासन हीनता और दूसरे अकर्मण्यता। अकर्मण्यता के कारण लोगों के अन्दर परोपजीता का भाव बढ़ गया है जिस के कारण रिस्वतखोरी और सारे किस्म के जितने पाप हैं वे अपने यहाँ पर आ गये हैं। इस बात का मुझे बड़ा अफ़सोस है।

बहुत सारे माननीय सदस्यों ने इस बिल का इसलिये विरोध किया है कि चूँकि रेलवे कर्मचारियों के अन्दर अष्टाचार है इसलिये दूसरे लोगों को भी इस के लिये नहीं रोकना

चाहिये। मेरा अपना ख्याल यह है कि हम लोग इस किस्म के पाप को सहन करने के आदी बन चुके हैं। हमारे सामने जो बातें होती हैं हम उन को चुपचाप देखते रहते हैं और अपनी सरकार का ध्यान उन की ओर नहीं दिलाते। इस का बहुत बुरा परिणाम हो रहा है। मैं आप को रेलवे कर्मचारियों के अष्टाचार के अनेक उदाहरण बता सकता हूँ। परन्तु यदि किसी कर्मचारी ने दो लाख रुपया रिस्वत से कमाया और यदि उस पर मुकदमा चला और उस में से एक लाख रुपया खर्च हो गया, परन्तु फिर भी उस के पास एक लाख बच रहा जोकि वह अपनी कम तनख्वाह में कभी जमा नहीं कर सकता था। लेकिन अगर कोई यह कहे कि क्योंकि एक आदमी अन्धा है इसलिये मेरा काना-पन भी छिप जायेगा यह गलत है।

इस समय जो यह विधेयक लाया गया है यह बहुत जल्दी था। इस सदन के अन्दर अनेक बार बजट के अवसर पर और वैसे भी भाषण दिये गये हैं और प्रश्न किये गये हैं कि लोग बिना टिकट चलते हैं जिसके लिये सरकार कुछ नहीं करती। अगर यह बिल आज आया है तो हम इसका विरोध करते हैं। यह विचारणीय है कि हम इस किस्म की बात क्यों करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पहले हम को लोगों को लेक्चर देना चाहिये ताकि उनमें यह भावना उत्पन्न हो कि मुफ्त में नहीं चलना चाहिये। पर मेरे ख्याल में मनुष्य की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है कि यह नीचे की तरफ सुगमता से जाता है और उससे लिये ऊपर चलना कठिन होता है। अगर वह यह देखता है कि जो पाच रुपया मुझे खर्च करना पड़ेगा वह बच सकता है तो वह उसे बचाने की तरफ आसानी से चला जाता है बनिस्वत यह सोचने के कि अगर मैं यह पाच रुपया खर्च कर दूँगा तो इससे देश की सेवा होगी और मेरी आत्मा का भी हित होगा। इसलिये मैं यह समझता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय जो यह बिल लाये हैं यह बहुत जल्दी था।

[श्री पद्म देव]

इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने एक सुझाव दिया था। अगर उस विषय का इस बिल को संशोधन लाना सम्भव न हो तो भावना मंत्री महोदय ऐसा संशोधन लाने पर विचार करेंगे।

यहाँ पर एक महोदय ने कहा कि कभी-कभी लोग बेबसी में बिना टिकट चलते हैं। मैं कहता हूँ कि जब भादमी अपने घर से चलता है तो वह सोच कर ही चलता है। वह पागल तो नहीं है कि बिना सोचे ही चल दे। और जब वह चलने के इरादे से आता है तो उसको यह भी मालूम होता है कि मेरा इतना पैसा लगेगा। यह कह देना कि उनको इसका पता नहीं रहता वह गलत बात होगी। मैं समझता हूँ कि अगर शासन के अन्दर अनु-शासन के लिये प्यार नहीं है तो वह शासन कभी चल नहीं सकता। आज हम देखते हैं कि देश में लोग नाराज इस बात पर नहीं होते हैं कि फला व्यक्ति भ्रष्टाचारी है, बल्कि आज झगड़ा यह है कि दूसरा भादमी मुझ से भ्रष्टाचार करके कैसे आगे बढ़ गया। इसलिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ कि वह यह विषयक लायें। लेकिन मैं एक बात सुझाव के तौर पर जरूर कह देना चाहता हूँ। वह यह कि इस सदन में बहुत कानून बनते हैं। कानून बनने के बाद एक मशीनरी बनती है उसको कार्यान्वित करने के लिये और जब उस क अनुसार काम शुरू होता है तो कभी-कभी ऐसा मालूम होता है कि भ्रष्टाचार का एक और झट्टा हम ने खड़ा कर दिया है। तो जब यह कानून लागू होगा तो इसके लिये भी एक मशीनरी बनेगी। सदन में भी यह विचार व्यक्त किया गया है कि कानून तो सख्त से सख्त हो लेकिन जो कानून को चलाने वाले हैं उन पर भी कोई नियंत्रण होना चाहिये ताकि वे अन्यथा आचरण न करें। आज देश के अन्दर जो लोगों में रोष है यह इसी कारण है कि जो खेत के रखवाले हैं वही खूब खेत को बरबाद

कर रहे हैं। ऐसी भ्रष्टाचार में खेत की रक्षा का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूँ और इस विषयक का स्वागत करता हूँ।

Mr. Deputy-Speaker: The hon. Minister

I will give time to Shri M. C. Jain, Shri Banerjee and the hon. lady Member there if they can be accommodated at the next reading.

Shri Shah Nawaz Khan: Mr Deputy-Speaker, Sir, I have listened with very great attention and respect to the very forceful speeches of hon. Members on this subject. A number of hon. Members objected to the fact that in my opening speech I had not brought forward any statistics and figures to justify the introduction of this Bill. That was because I was aware of the feeling of the House and the very great concern which the House had expressed from time to time on the questions of ticketless travelling, alarm chain pullings and assault on railway employees. I was fully aware of the temper and mood of the House. That was why I did not bring forward very elaborate statistics, I thought that was not necessary. But, nevertheless, since this question has been raised, I should like to place some facts before the House.

First of all, regarding the number of passengers detected travelling without tickets and the amount of fares and excess charges realised. These are very revealing figures. In the year 1956-57, the number of persons detected travelling without tickets was 73,53,340 and the amount of fare and excess charges realised amounted to Rs 1,58,00,000 and odd. In the year 1957-58 .....

Shri T. B. Vittal Rao: Sir, it would be better if the hon. Minister gives

the total number of passengers carried and the total passenger fares realised so that we can have a correct idea whether it is excessive or not

**Shri Shah nawaz Khan:** In the year 1957-58, the number of persons detected without tickets was 62,79,000 and odd, and the amount realised is Rs 1,42,00,000 and odd. In the year 1958-59, up to December, the provisional figures are 61,32,571 and Rs 1,34,85,810. These are some of the figures which show the extent of ticketless travel that has been detected.

But, that is not the whole story

**Shri T. B. Vittal Rao:** The undetected go free

**Shri Shah nawaz Khan:** because there are still a large number of persons who escape without being detected. There are a number of schemes for trying to minimise ticketless travel. We have various methods, ticket collectors at the gates, TTE travelling in trains, then, we have special batches of ticket examiners travelling on trains. We have also the Railway Magistrates. All these methods have been put into operation. In order to check the efficient working of these methods, we are also having a few Railway Board quadts. Certain Central squads were sent to sample check on some railways. Some of the figures that they brought back were revealing. We can surmise from those figures that the estimated annual loss to the railway revenues is somewhere in the neighbourhood of Rs 5 crores. It may even be a little more. These figures amply justify the introduction of a Bill which would to some extent minimise the evil of ticketless travel.

A number of hon. Members have drawn our attention to the various aspects of ticketless travel and to the responsibility where it rests. I am

quite aware of the fact that this evil of ticketless travelling is to some extent due to some people conniving at that and we are taking strong and deterrent action against the employees who are encouraging this sort of evil.

But there is the other side of the picture. We have some honest employees. (*Interruptions*)

**Shri Braj Raj Singh:** Only some?

**Shri Shah nawaz Khan:** I am just giving an instance. An honest ticket collector goes and tries to catch a person without a ticket. He is assaulted by five or six persons. On some occasions, the sympathy of the public is not with the railway employee but with the persons who indulge in these unlawful acts of pulling alarm chains or ticketless travellers. The House is aware that there was a serious incident recently where the railway magistrate was almost confined to his compartment. A student was sitting in the first-class with a third-class ticket. He was apprehended and was asked to pay the fine. Huge crowds collected and the police parties were assaulted. The railway magistrate could not get out until the additional police or the State police, came to rescue him. Without public co-operation, it will be very difficult for the railway administration to enforce effectively these new rules and new Acts that we are enacting. From our side we will try and see that our employees behave correctly. But from the other side, unless we get proper public co-operation these things cannot succeed.

With your permission, Sir, I would like to place before this House a version I have heard about some incidents that were happening in our neighbouring country of Pakistan. In Pakistan, just after Partition, there was wholesale ticketless travel. They were just sitting in the trains and

[Shri Shahnawaz Khan]

going The railway employees were just frightened to ask anybody to show his ticket. At that time, the Governor-General of Pakistan, Mr Jinnah issued an appeal to the people of Pakistan saying that if this state of affairs continued and people travelled without ticket, the economy of Pakistan would collapse I was told that it had an immediate effect and that when people realise their responsibility they set things right People themselves in the compartment would ask the others to show their tickets and they helped to catch people travelling without tickets and took them to the station masters

**Shri Braj Raj Singh:** Is there nobody in this Government whose appeal could have the same effect in this country?

**Shri Shahnawaz Khan:** I hope that in creating this sort of an atmosphere we shall have the co-operation of the Members of Parliament and also other leaders who are the chosen representatives of the people *(Interruptions)*.

A reference has been made to the prevailing ticketless travel by the student community We have from our side tried to enlist the support of the educational institutions and the universities In some places, the results have been encouraging but still a lot more has to be done and I hope that the educational institutions will come forward and extend their co-operation

Hon Members have quoted instances where they have tried to show that the honest railway employees who were trying to tackle these evils were not being given proper support by the Railway Administration It is not so The Railway Administration has instructions to extend full protection to such employees We have been giving

prizes to persons who have performed their duties well We are giving awards and other forms of encouragements I am glad to say that there have been instances where our employees inspite of odds against them have stood up and performed their duties very well You are no doubt aware of an incident that took place in Gaya not so very long ago There was a marriage party, consisting of about 40 persons They arrived at the station and when they were asked to hand over their tickets, the leading person said that the man at the back had them Then, one of them went out and purchased platform tickets and started distributing them to the members of the wedding party The railway employee objected Then the railway staff were attacked by the wedding party Of course, the staff tried to defend themselves and managed to arrest three or four of them It happened at Gaya

**Shri Feroze Gandhi (Rai Bareilly):** What happened at the starting station? When the marriage party started, nobody checked the tickets?

**An Hon. Member:** What happened to the marriage?

**Mr. Deputy-Speaker.** They might have got into the train in some jungle perhaps where the chain might have been pulled!

**Shri Shahnawaz Khan:** It might have been a small wayside station

**Shri Jagjivan Ram:** They might have the platform tickets there also *(Interruptions)*

**Mr. Deputy-Speaker:** The Minister has not asked for co-operation in speech-making!

**Shri Shahnawaz Khan:** In this case, we have duly recognized the high sense of duty of the ticket-checking staff. Another incident happened not so very long ago in Punjab, in Sirhind. There, when the ticket collector asked the ticketless traveller to show him the ticket—the latter did not have any—the traveller asked what the ticket collector will do if he did not have his ticket. The ticket collector replied that he would hand him over to the police. The traveller promptly drew out a dagger and stabbed the railway employee and the employee died.

**Shri Tangamani:** You were referring to some rewards. Have you done the same thing to the Assistant Station Master who was assaulted at Kodambakkam? Not long ago he was stabbed there by the pick-pockets. Have you awarded him the same merit?

**Shri Shahnawaz Khan:** I am just trying to show that the railway employees, in spite of not receiving such great public co-operation, have stood up and done their duty very well.

**Shri Sinhasan Singh:** May I know what has happened to the dependants of the employees killed on duty, as in Sirhind where the employee was stabbed? Are the survivors given any compensation?

**Mr. Deputy-Speaker:** That can be found out in the general discussion.

**Shri Shahnawaz Khan:** The case is being looked into. But wherever there are dependants, such as sons, they are given jobs or other similar encouragement.

**Shri Jaipal Singh:** Is there any compensation paid?

**Shri Shahnawaz Khan:** Yes, for the survivors of the employees who are killed on duty, full compensation is given. Over and above that, certain rewards are also given. For relations like sons, jobs are given in the railways, in such cases. This much I have

said in relation to ticketless travel and the steps that we are taking.

**Shri Rajendra Singh:** The case he has cited is not a case of ticketless travelling. It is a case of goondas and dacoits.

**Mr. Deputy-Speaker:** "Ticketless travellers" includes that class also.

**Shri Feroze Gandhi:** That is a State subject.

**Shri Shahnawaz Khan:** Before I step on to the next subject, I think it would be unfair for me not to mention another category of ticketless travellers. There have been cases of that sort. I am told almost every month that the Railway Minister is receiving money orders from persons who were forced to travel without tickets. On reaching their homes, they realize their mistakes and they send M Os to the Railway Minister.

**Shri Vajpayee:** What is the total amount so far received?

**Shri Jagjivan Ram:** It might not be a very substantial amount, but it is a very healthy sign in the country when persons who travelled five or six years ago without tickets realize their failings and send cheques or money orders to me.

**Shri Tangamani:** That is absolute honesty.

**Mr. Deputy-Speaker:** Does the hon. Minister think that if those checks and detections are removed, then that number might increase?

पंडित बच्चू नारायण "बज्जेश" - तो घर्म प्रचार का प्रभाव नजर आने लग गया है।

श्री जगजीवन राम - लेकिन जहाँ आपने किया, वहाँ यह नजर नहीं आया है।

पंडित बच्चू नारायण "बज्जेश" - आपके कर्मचारी कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं।



**Mr Deputy-Speaker:** Order, order Let us proceed. We are far behind the schedule.

**Shri Shah Nawaz Khan:** Some hon Members suggested the remedy, of the railways taking up social education It is a big job, but we are not unaware of the importance of this job Certain films have already been made on the evils of damaging railway property and also the evils of ticketless travelling and pulling the alarm chains unnecessarily In fact, we are already doing things which have been suggested by my hon friend Shri D C Sharma

About the alarm chain pulling, I have some figures with me now The House may be aware of the number of cases of alarm-chain pulling in 1956 It was 41,846 In 1957, there were 46,453 cases In 1958—January to October—there were 44,745 cases In spite of all the precautions taken, there is an increase in the number of cases of alarm-chain pulling

**Shri Supakar (Sambalpur)** May I know, if all the trains had chains, the number of such incidents that would have occurred?

**Shri Shah Nawaz Khan:** It is very difficult to say, but, as the hon Member knows, in sections which are very badly affected, we have blanked the alarm-chain pulling apparatus I have not got the exact number of prosecutions here But I could give the figures of cases in which the use of alarm-chain was justified That figure is, however, small

Then, my friend Shri Naushir Bharucha referred to unauthorized hawking

**Shri M L Dwivedi:** And beggars also

**Shri Shah Nawaz Khan:** Yes These unauthorized hawkings and vending have become a real nuisance This nuisance has increased after the partition and it is particularly bad in

West Bengal and in areas round about Bombay We have been trying to suppress this evil, but I should admit that we have not been very successful, because of lack of power. That is why we have brought forward this Bill We hope that the enactment of this Bill would help us to deal with them more effectively.

16 hrs.

**Shri M. L. Dwivedi:** What about sub-standard vending by licensed Vendors of eatables?

**Mr. Deputy-Speaker:** That is not the subject-matter of this Bill

**Shri Shah Nawaz Khan:** That is a subject which the hon Member can bring forward during the general debate We have been apprehending these unauthorised hawkers and vendors whenever we could catch hold of them The real difficulty is there are so many of them and the ticket checking staff are so few that it is difficult for them to apprehend all the unauthorised hawkers But still a number of them have been apprehended During the three quarters of 1957, the figures are 6,429, 5,966 and 7,303 respectively So, we have not just been winking at that evil We have been trying to fight it and we hope that we shall be able to fight it more effectively after we are armed with some enhanced powers

**Mr Deputy-Speaker:** Is that all?

**Shri Jagjivan Ram:** He has covered all the points

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is

"That the Bill further to amend the Indian Railways Act, 1890 be taken into consideration".

*The motion was adopted*

Clause 2 (Amendment of section 40)

**Shri Tangamani:** I want to make a few observations on clause 2 I submit that clause 2 is not at all relevant

so far as this particular amending Bill is concerned. They want to substitute the word "Chairman" for the word "President" in section 40.

I have got a copy of the original Act modified up to 1st May, 1957 and section 34 of the Act which deals with the constitution of the tribunal says.

"There shall be a Tribunal called the Railway Rates Tribunal for the purpose of discharging the functions hereinafter specified in this Chapter

(2) The Tribunal shall consist of a President and two other members appointed by the Central Government and they shall hold office for such periods and on such terms and conditions as the Central Government may, by general order, prescribe."

Section 40 deals with the powers of the Tribunal. It says

"The Tribunal shall have the powers of a Civil Court under the Code of Civil Procedure, for the purpose of taking evidence on oath enforcing the attendance of witnesses, compelling the discovery and production of documents and issuing commissions for the purpose of examination of witnesses and shall be deemed to be a Civil Court for all the purposes of section 195 and Chapter XXXV of the Code of Criminal Procedure, and any reference to the presiding officer of a Court shall be deemed to include a reference to the President of the Tribunal."

Here the word "President" is sought to be amended, whereas in section 34 dealing with the composition of the Tribunal the word "President" remains

**Mr. Deputy-Speaker:** Perhaps the hon. Minister has seen the force of it. The hon. Member is right that both sections 34 and 40 must be amended.

323 L S D—8

**Shri Shah Nawaz Khan:** Section 34 was amended in October, 1957.

**Mr. Deputy-Speaker:** That is all right. The question is

"That clause 2 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 2 was added to the Bill.

Clause 3 (Amendment of section 68)

**Shri Tangamani I beg to move**

Page 1 line 13, add at the end—

and after the words 'to be travelled' the words 'or grant a receipt after receiving from the passenger the fare payable for distance to be travelled' shall be added.'

Section 68 says

'(1) No person shall without the permission of a railway servant enter or remain in any carriage on a railway for the purpose of travelling therein as a passenger unless he has with him a proper pass or ticket.

(2) A railway servant when granting the permission referred to in sub-section (1) shall ordinarily if empowered in this behalf by the railway administration, grant to the passenger a certificate that the passenger has been permitted to travel in such carriage upon condition that he subsequently pays the fare payable for the distance to be travelled."

It is now just recast by adding a few words to sub-section (1)—by bringing on to sub-section (1) what is appearing in sub-section (2). Suppose there is a bona fide traveller and probably due to circumstances beyond his control, he was not able to get the ticket in time. In such cases, the present practice is, no such certificate is issued by any railway employee. My amendment seeks to legalise what is in practice today. If the train is about to leave and if he reports to

[Shri Tangamani]

the guard concerned, this particular passenger is put in touch with the ticket examiner who collects the money when the train is in motion and a receipt is issued. The ticket examiner does not issue any certificate. If the hon. Minister tells me that such certificates are issued for passengers and subsequently a receipt is issued, I will not press my amendment.

Shri Shah Nawaz Khan: The guard is authorised to issue the certificate and he does issue it.

Mr Deputy-Speaker: So that is there. The amendment is not pressed.

The question is

"That clause 3 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 3 was added to the Bill.

Clause 4 (Amendment of section 108)

Shri Naushir Bharucha: I do not desire to make a speech, I will only move my amendment No. 4, which is in connection with pulling of chains.

I beg to move

Page 1,—

for clause 4, substitute—

'4 Amendment of section 108—Section 108 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be added namely—

"(2) Where it is proved that such use or interference was for the purpose of wilfully obstructing the course of a train or rolling stock or intentional obstruction to normal functioning of railway administration such person shall be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both."

Shri Tangamani: I beg to move

Page 1, line 14,—

after "principal Act," insert—

'after the word "train" the words "like alarm chain-pulling" shall be inserted and'—

If you look into the original section it reads as follows

"If a passenger, without reasonable and sufficient cause, makes use of or interferes with any means provided by a railway administration for communication between passengers and the railway servants in charge of a train, he shall be punished with fine which may extend to fifty rupees."

Now by implication they want to say that alarm chain is also one of the means of communication. This amendment is very specific. We must remember that the original Act was passed in 1890. It is a very old Act. Subsequently, the question of alarm chain has come to stay. Apart from the alarm chain there may be other means also by which I can communicate with the railway employees but to include "alarm chain" will be in consonance with the spirit of the amending Bill.

Mr Deputy Speaker: Has he any doubt that the means of communication will not include the alarm chain?

Shri Tangamani: Why not make it more specific?

Mr Deputy-Speaker: Is there any doubt? If the hon. Member has got any doubt that it does not include, he might make it clear. But if there are no doubts and the phrase is sufficient enough to include that as well, why should we interfere with it?

Shri Tangamani: But there may be other means of communication. If we really want only to penalise those people who resort to alarm chain pulling, we must make it specific.

श्री बजराम सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से श्री महोदय से केवल यह पूछना चाहता हूँ कि यह जर्जर लीचने के जो सही मामले थे उनमें से कितनों में मुकद्दमा चलाया गया और आप इन घटनाओं को ज़बल सजा बढ़ा देने से कैसे रोक सकते हैं जब कि इस किस्म के अपराधियों पर मुकद्दमे नहीं चलाये गये हैं ?

श्री शाहनवाज़ ख़ान : मुकद्दमे तो काफी चलाये गये हैं लेकिन बदकिस्मती से जो उस सम्बन्ध में फ़िरसत और झाकडे हैं, वे मेरे पास मौजूद नहीं हैं लेकिन मुकद्दमे काफी चलाये गये हैं ।

Shri Shahnawaz Khan: I am sorry, I am unable to accept the amendment of my hon friend, Shri Bharucha. The proposal in the Bill is that when a person without reasonable or sufficient cause uses the alarm chain apparatus he shall be punished with imprisonment up to three months or with a fine of Rs 250. The amendment of my hon friend places the onus of proof on the railways. The onus must necessarily rest on the person who pulls it. He has to prove that he has pulled it for a proper reason.

Mr Deputy-Speaker: I will now put them to the vote. The question is.

Page 1,—

for clause 4, substitute—

'4 Amendment of section 108.—Section 108 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be added, namely

"(2) Where it is proved that such use or interference was for the purpose of wilfully obstructing the course of a train or rolling stock, or intentional obstruction to normal functioning of railway administration, such person shall be punished with imprisonment for

a term which may extend to three months or with fine which may extend to two hundred and fifty rupees or with both"

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is.

Page 1, line 14,—

after "principal Act", insert—

'after the word "train" the words "like alarm chain-pulling" shall be inserted and'

The motion was negatived.

Mr. Deputy-Speaker: The question is.

"That clause 4 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 4 was added to the Bill.

Clause 5.—(Amendment of section 109)

Shri Tangamani: I beg to move.

Page 2, line 1,—

after "principal Act", insert,—

'(a) the words and figures "or thereon under section 63" shall be omitted and'

Section 109 reads as follows:

"If a passenger, having entered a compartment which is reserved by a railway administration for the use of another passenger, or which already contains the maximum number of passengers exhibited therein or thereon under section 63, refuses to leave it when required to do so by any railway servant, he shall be punished with fine which may extend to twenty rupees"

I will now read section 63.

"Every railway administration shall fix, subject to the approval of the Central Government, the

[Shri Tangaman]

maximum number of passengers which may be carried in each compartment of every description of carriage, and shall exhibit the number so fixed in a conspicuous manner inside or outside each compartment, in English or in one or more of the vernacular languages in common use in the territory traversed by the railway, or both in English and in one or more of such vernacular languages as the Central Government, after consultation with the railway administration, may determine "

These are all right on paper. But today when we are not having enough accommodation in compartments and when we are not having enough trains, to put such a thing in the penal clause, I am afraid, is very undesirable as it can never be enforced. I would like to know from the hon. Minister whether he will prevent any passenger from getting into the compartment which is full. Suppose the capacity is 73 and when it is full a passenger wants to get in. If the passenger gets in spite of the protest by the railway employee will you make it penal? Then it will be really Utopian. If you amend it in some other way, I have no objection.

I am now pressing this amendment because otherwise the entire purpose of the amending Bill will be lost. The purpose is that we want to arm the railway employees with more powers, we want to prevent ticketless travel, we want to prevent unauthorised occupation and beggars coming in. So far so good. But when we say that when an unreserved compartment is full and if a passenger tries to get into the compartment in spite of the protest of the railway official he will come under the mischief of the penal provision it will be rather absurd. That is why I have brought in my amendment.

Shri Shah Nawaz Khan. The amendment does not serve any useful pur-

pose. In fact the present section is more satisfactorily worded.

Mr. Deputy-Speaker: I appreciate the difficulty of the hon. Member. I have also felt the same difficulty about the words "or which already contains the maximum number of passengers exhibited therein of thereon under section 63". Suppose it is allowed as it is and the maximum number is exceeded. If a compartment is meant for 100 and one more person tries to get in. What would you do? Would he be shut out? Are you going to make it also penal?

Shri Shree Narayan Das: In view of the over-crowding in trains it is absurd to do that.

Mr. Deputy-Speaker: When we cannot remove overcrowding, when we cannot provide seats for them, when we know that the maximum number that we have fixed cannot be enforced how can we reconcile this provision?

Shri Dasappa: I think it is better that the whole clause is omitted.

Mr. Deputy-Speaker: I will hold it over, and the hon. Minister might think over it.

Shri Jagjivan Ram: I will think over that. It is the existing provision. We have not made any amendment to that. The only amendment that we have made is about reserved seats and reserved berths.

Mr. Deputy-Speaker: So, will it not come into the penal clause?

Shri Jagjivan Ram: It is already there.

Mr. Deputy-Speaker: It would be an anomaly.

Shri Jagjivan Ram: It has been already there. We have not amended that.

**Shri Shree Narayan Das:** This clause may be held over and the Government may think about it in the meantime

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Minister says that there is no amendment so far as this provision is concerned. Therefore, he cannot take it up just now, so far as this Bill is concerned, though everybody is agreed that this provision should be looked into and it cannot be allowed to remain when we know that there is always going to be overcrowding for some years to come. If that clause remains penal it looks very queer. It ought to be considered by the Ministry how this has been allowed to remain so far and no attempt has been made to amend it.

**Shri Rajendra Singh:** An explanation should be added.

**Mr. Deputy-Speaker:** You may think about it for some time. I will hold it over and proceed with the next clause. We now go to clause 6.

**Clause 6. (Amendment of section 112)**

**Shri Tangamani:** I beg to move

Page 2—

for lines 29 to 32, substitute,—

“(1A) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be fifty naya paise.”

What is sought to be done here is, a bona fide traveller, who under certain circumstances was not able to purchase the ticket, as soon as he is apprehended if he is prepared to pay the full charges he is going to be charged double the fare or 50 naye paise whichever is greater; that is, if the fare is Rs 10 he will have to pay Rs 20. My amendment is, when we are able to collect the full fare from him the excess punishment should be only to the extent of 50 naye paise, otherwise it becomes very vindictive, because even in cases

where the person concerned informed the officials but was not able to get a certificate it will authorise the ticket examiner to collect double the fare. I think if we authorise him to collect 50 naye paise more than the ordinary fare it will meet the ends of justice, because he has not taken pains to purchase the ticket.

**Shri Shah Nawas Khan:** Section 113 (3) reads “For persons who travel without proper ticket with intent to defraud” I would like the hon. Member to notice this difference. The provision is that from persons who travel without proper ticket and without intent to defraud the Railway Administration the amount to be collected in addition to the single fare is an excess charge which shall be a sum equivalent to the amount of a single fare or 50 naye paise whichever is greater. The Bill seeks to make provision for the collection of similar amounts in the case of passengers who travel without proper tickets with intent to defraud. That is the change. Therefore I am unable to accept the amendment.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is—

Page 2—

for lines 29 to 32, substitute,—

“(1A) The excess charge referred to in sub-section (1) shall be fifty naya paise.”

*The motion was negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is—

“That clause 6 stand part of the Bill.”

*The motion was adopted.*

*Clause 6 was added to the Bill.*

*Clauses 7 to 9 were added to the Bill.*

**Mr. Deputy-Speaker:** Then we take up clause 10. Are there any amendments? No amendments

The question is:

"That clause 10 stand part of the Bill"

*The motion was adopted.*

Clause 10 was added to the Bill

Clause 11.— (Amendment of section 121)

**Shri Naushir Bharucha:** Sir, I beg to move:

Page 3,—

for clause 11, substitute—

"11. Amendment of section 121. Section 121 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so renumbered the following sub-section shall be added, namely:—

"(2) If such wilful obstruction or impeding of a railway servant is accompanied by use of force, such person shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both"

I do not intend to make a speech

**Shri Tangamani:** I would like to make a few observations. Only yesterday in reply to one of the starred questions, i.e. Question No 121 this is what the hon Deputy Minister said:

"A few cases of assault and attempted assault on engine crew by travelling public and others have taken place when trains were running late due to any reason and these incidents did cause some alarm to engine drivers. Efforts are being made to check such incidents in co-operation with the State Police"

This particular question was about the frequent manhandling of railway

staff on the Sealdah Division (Eastern Railway) by passengers, so much so that it alarmed the engine drivers to seek protection and shelter. That is the sort of position that is obtaining.

What I would like to mention is that it is also linked with certain things which are happening. So, the question of late running of trains must be gone into. I have no time to go into that but the Estimates Committee have gone into this in great detail and what they wanted was that greater co-operation from the public and greater co-operation from the Members of Parliament was necessary and that certain propaganda has got to be done. I have got many instances. To this point so many hon Members have already referred

**Mr. Deputy-Speaker:** We will discuss it again at the time of general discussion of the Railway Budget.

**Shri Tangamani:** We have brought to the notice of the hon Minister also cases of honest employees who have been manhandled. In the case of one employee, which I have referred to the hon Minister also, the employee who has really done his duty has been demoted. Such cases are also there. So, I submit that although this amending clause 11 arms the Ministry with the powers required, it has to be read along with the amendment which my hon friend, Shri Bharucha, has made. As Shri Bharucha has himself explained that is the intention

**Shri Shah Nawaz Khan:** I am afraid I cannot accept the amendment of my hon friend, Shri Bharucha. The distinction between 'wilful obstruction or impeding of a railway servant' and 'wilful obstruction or impeding of a railway servant accompanied by the use of force' is not very clear. In any case, the statute provides only for the maximum punishment. It is up to the court to decide as to what the intention of the person was

**Mr. Deputy-Speaker:** I will put the amendment to the vote of the House. The question is—

Page 3,—

for clause 11, substitute—

“11 Amendment of section 121. Section 121 of the principal Act shall be renumbered as sub-section (1) of that section and after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be added, namely—

“(2) If such wilful obstruction or impeding of a railway servant is accompanied by use of force, such person shall be punished with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both”

*The motion was negatived.*

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is

“That clause 11 stand part of the Bill”

*The motion was adopted.*

Clause 11 was added to the Bill.

Clause 12 was added to the Bill

Clause 1—(Short title)

**Shri Jagjivan Ram:** Sir, I beg to move

Page 1, line 4—

for ‘1958’ substitute ‘1959’

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is

Page 1, line 4,—

for ‘1958’ substitute ‘1959’

*The motion was adopted.*

**Mr. Deputy-Speaker:** Clause 5 still remains

**Shri Jagjivan Ram:** I was going to point out to section 102 of the Railways Act which is corresponding to 109. I will read it out

“If a railway servant compels or attempts to compel, or causes,

any passenger to enter a compartment which already contains the maximum number of passengers exhibited therein or thereon under section 63, he shall be punished with fine which may extend to twenty rupees”

I think that both of them have continued in the Railways Act. It might be useful in the upper classes; it is not in the third class.

**Mr. Deputy-Speaker:** The railway servant may not compel. He may stand aside and the passenger might get into it. Perhaps the railway employee can escape this punishment. But, what about the passenger?

**Shri Jagjivan Ram:** The position at present is this. If it is by connivance of the passengers who are already in the compartment and the passengers who are entering the compartment, no notice has been taken of that. At present, we should presume that it is happening like that. It will create certain difficulties if the provision does not exist in the case of upper classes.

**Mr. Deputy-Speaker:** You yourself happen to go round and say that you cannot remove overcrowding and the public should not expect it. If a passenger goes and forces his entry inside and others obstruct, what would be the position? Is the passenger who is trying to get in not guilty under section 109?

**Shri Jagjivan Ram:** According to the Act he is. I say that at present there is connivance between the passengers who are in the compartment and the passengers who are coming.

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Railway Minister cannot reconcile both the positions. When he goes round and says that he cannot remove overcrowding, still he allows this section to continue. He ought to do one thing. All right. That is for him.



**Shri Shree Narayan Das:** I would like to have a clarification. As the hon Minister just now said, in section 102 there is provision that if any railway employee allows any person to sit in any compartment beyond the number exhibited there, he may be punished with a fine. He does not come here. Suppose there is no seat in the first class compartment. The exhibited number 5 or 6 is indicated there. Suppose a first class *bona fide* passenger—he has purchased a ticket—goes and sits there, he may be punishable under section 109. Why should he be punished? There is no accommodation in the first class elsewhere. Therefore a *bona fide* first class passenger—he possesses a ticket—enters. Suppose the other passengers object to his entrance. There may be a seat in the first class in a small compartment, three persons are authorised in day time, if no seats are available, any *bona fide* first class passenger can sit there. They can accommodate him. Suppose the co-passengers do not allow. That gentleman who has purchased a first class ticket is disallowed. He is punished also if he defies this order. It is a great anomaly. When we are just asked to support this measure why not make this necessary correction? When we are not able to provide sufficient number of seats in the first class and the second class, I request the hon Minister, that this is the time when these words in the section should be removed. These words "or which already contains the maximum number of passengers exhibited therein" should be removed for the time being at least until the Government or the Railway is in a position to provide sufficient number of seats in all the classes including the first and second classes.

**Raja Mahendra Pratap (Mathura):** May I submit in this connection that our Railway Minister

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. Has he got the permission of the Chair? Or does he not need it as

though ticketless travellers do not need tickets?

**Raja Mahendra Pratap:** The Chair is always kind and so I thought I got permission.

**Mr. Deputy-Speaker:** We are already complaining against these ticketless travellers. The hon Minister.

**Raja Mahendra Pratap:** There is an important question.

**Mr. Deputy-Speaker:** Order, order. I will allow him after this.

**Shri Jagjivan Ram:** To what I have said, I have not much to add, except that the argument in the case of first class is merely theoretical. The first class has been enjoying this privilege.

**Mr. Deputy-Speaker:** He is not talking of reserved berths. During the day a compartment is reserved for, say, ten persons of the first class. They can sit.

**Shri Shree Narayan Das rose—**

**Mr. Deputy-Speaker:** I will try to explain. If I am not able, then I will allow him.

The other persons come in. Those who are already there do not allow them to enter the compartment. There is a scuffle. You do not take notice of it, but supposing the other men who are in the compartment go to the court that these people have committed an offence. What will be the position?

**Shri Jagjivan Ram:** That position is there.

**Shri Naushir Bharucha:** Even then section 109 will have to remain for this reason.

**Mr. Deputy-Speaker:** That is quite a different thing. Section 109 has to remain, but it ought to be amended somewhat.

**Shri Jadhav (Malegaon):** An explanation should be added.

**Shri Dasappa:** If it is allowed to remain a dead letter as it has been hereto, there will not be any trouble

**Mr. Deputy-Speaker:** But now by this discussion, everybody will know it.

**Shri Dasappa:** Yes, therefore there is necessity for accepting the amendment.

**Mr. Deputy-Speaker:** So far, the public might not have known it, but with this discussion everybody will know it, and what will be the result?

**Shri Jagjivan Ram:** No, Sir The prosecution will lie only at the instance of a railway servant The passenger cannot prosecute

**Mr. Deputy-Speaker:** You would say you would keep silent even when it occurred All right, I have no help

The question is

Page 2, line 1,—

after "principal Act", insert,—

'(a) the words and figures "or thereon under section 63" shall be omitted and'

The motion was negatived.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That clause 5 stand part of the Bill"

The motion was adopted.

Clause 5 was added to the Bill.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill

#### Enacting Formula

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

Page 1, line 1, for "Ninth Year" substitute "Tenth Year"

The motion was adopted.

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Enacting Formula, as amended, stand part of the Bill."

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill

#### The Title

**Mr. Deputy-Speaker:** The question is:

"That the Title stand part of the Bill"

The motion was adopted

The Title was added to the Bill.

**Shri Shah Nawaz Khan:** I beg to move

"That the Bill as amended, be passed"

**Mr. Deputy-Speaker:** Motion moved:

"That the Bill, as amended, be passed"

श्री स० म० बनर्जी उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में काफी सदस्यों ने इस बिल की मुखालिफत भी की है और कुछ ने इस का स्वागत भी किया है। मैं समझता हूँ कि इस बिल के पास करने में माननीय मंत्री जी का जो भ्रम है, वह पूरा नहीं होगा। उस की वजह यह है कि आज भोवर-क्राउडिंग बढ़ती जा रही है और वह बार बार इस सदन में और उससे बाहर भी यही कहने हैं कि यह मुमकिन नहीं है कि हम इस का उचित हल निकाल सकें। जहाँ तक टिकटलेस ट्रेवलिंग का ताल्लुक है, मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ ट्रेन्ज इतनी क्राउडिड होती हैं कि किसी टिकट कलेक्टर या टिकट चेकर की मजाल नहीं है कि वह बड़ क्लास के डिब्बे में चला जाये। पहले मुमकिन है कि वे खिडकियों के रास्ते जा सकते हों, लेकिन अब वहाँ भी लगे गये हैं इस हालत में कोई चैकिंग नहीं हो सकती है कि

## [श्री स० म० बनर्जी]

कितने लोग बिना टिकट के सफर करते हैं । जब लोग स्टेशन पर उतरते हैं, तो कुछ गेट ऐसे बने हैं, जिन से बिना टिकट सफर करने वाले निकल सकते हैं । कानपुर में भी एक ऐसा गेट है, जिस को लक्ष्मी गेट कहा जाता है । कहा जाता है कि जं: लक्ष्मी को घर में लाना चाहते हैं, उनको हमारे कर्मचारी भाई उस गेट में निकाल देते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय, इस बिल पर अब बड रीडिंग चल रही है । हमें सोचना यह है कि इस कानून को पास करने से क्या लोगों के नैतिक स्तर को हम ऊचा उठा सकेंगे ? आप यहां पर २५० रुपये फाइन रख रहे हैं, मैं कहता हूँ अगर आप ५०० रुपये फाइन भी रख दें और उसके साथ-साथ इस तरीके से ओवर-क्राउडिंग चलता रहे, इसी तरह से नेट रनिंग थ्रू ट्रेस चलती रहे, तो कोई भी मकसद हासिल नहीं होगा ।

गाड़ियों में यह लिखा रहता है कि रेलें राष्ट्रीय सम्पत्ति हैं इसलिए इनकी रक्षा करना आपका फर्ज है, आप चाहे जैसे बेंठें, चाहे पायदान पर खड़े रहे, छत पर सवार हो कर मकूर करे अगर बैठने की जगह म मिले तो बकने पर बैठ जायें, लेकिन सोच लीजिये कि ये राष्ट्रीय सम्पत्ति है, देश आपका है, गाड़ी आपकी है, जान आपकी है और आपके हाथ में रहेगी और अगर न रहे तो दूसरी बात है । मैं समझता हूँ कि इस तरह से लिखने के कुछ लाभ नहीं हैं । मैं समझता हूँ इसके साथ साथ यह भी व्यवस्था होनी चाहिये और ऐसा भी कानून बनाया जाना चाहिये कि जिस गाड़ी में जितने पैसेजर्स के बैठने की बात लिखी रहती है उतने ही उस में बेंठें और उनको यह भरोसा होना चाहिये कि उनको बैठने की जगह मिल जायेगी । आज मैं देखता हूँ कि जिस डिब्बे में २४ मुसाफिरो के बैठने की बात लिखी रहती है उसमें ७४ आदमी बैठ कर या खड़े हो कर या किसी और तरह से

सफर करते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मैं धाधा करता हूँ कि अगर मैं यह कहूँ कि यह ब्लैक-मार्केटिंग नहीं है तो झंरक्या है, धाप भरो समा करेगे । २४ आदमियों के बैठने की जगह होती है और ७४ आदमियों से पैसा लिया जाता है ।

श्री नवल प्रभाकर (बाह्य दिल्ली—रक्षित—अनुसूचित जातियां) . उसी के लिये तो कानून बन रहा है ।

श्री स० म० बनर्जी इस कानून में भी एक ऐसा लैकूना है जिस को दूर किया जाना आवश्यक है और मुम्किन है आपको इसमें तरमीम करनी पड़े ।

उपाध्यक्ष महोदय क्या ब्लैकमार्केटिंग करने वाला खुद भी कहता है कि मैं ब्लैकमार्केटिंग कर रहा हूँ ।

श्री स० म० बनर्जी यही तो उपाध्यक्ष महोदय, देश का दुर्भाग्य है कि हम खुद ब्लैकमार्केटिंग करते हैं ।

दूसरी बात मैं चैन पुलिंग और लेट रनिंग थ्रू ट्रेस के बारे में कहना चाहता हूँ । हमारे माननीय मंत्री महोदय ने बड़ी मेहरबानी करके कानपुर के स्टेशन को जा करके देखा है । जब वह वहा गये तो मैं ने उनको दिखाया कि कौन सा जयहिन्द स्टेशन है । मैं ने उनसे कहा था कि कानपुर जैसे बड़े शहर के लिये केवल एक ही स्टेशन है । वहा पर से गाड़ी आती है, हजारों की तादाद में लोग उतरते हैं और वही पर लेट गाड़िया भी पहुचती हैं और लेट छूटती भी हैं । वहा ६० परसेंट नहीं ६६ परसेंट लोग टिकिट के साथ सफर करते हैं । हमारे मंत्री महोदय ने साइट को देखा और महसूस किया और आश्चर्य भी प्रकट किया कि यहा पर केवल एक ही स्टेशन है जब कि प्रागरा जैसे शहर के लिये जहा की आबादी कानपुर

की भाषावी से कम है, चार और पांच स्टेशन हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें इस चीज का पता भी नहीं था कि यहाँ यह हालत है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि जब तक इस तरह की चीजें चलती रहेंगी, जब तक ओवर-क्राडिंग चलता रहेगा तब तक बेन पुलिंग भी होता रहेगा, हालाँकि मैं इसको बहुत बुरा समझता हूँ।

हमारे डिप्टी मिनिस्टर साहब ने एक सुझाव दिया कि एक अपील होनी चाहिये और मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ। अगर मुहम्मद अली जिन्ना साहब की अपील का बोगो पर असर पड़ सकता है और लोग उसका स्वागत कर सकते हैं तो हमारे हर-दिल अजीज प्रधान मंत्री अगर एक अपील करें तो उसका भी असर देश पर पड़े बिना नहीं रह सकता। आज भी जनता का विश्वास उन पर है। सभी नेताओं की ओर से अगर अपील की जाय तो उसका असर पड़े बिना नहीं रह सकता है।

मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सैलम को छोड़ करके एक बार तीसरे दर्जे में खूफिया हालत में सफर करें तो आपको पता चलेगा कि उन में सफर करने वाले लोगों की क्या हालत है। उनकी जेबों में आपके फोटो तो रखे नहीं होते हैं जो वे एक दम आपको पहचान जायेंगे। लेकिन हमारे देश का दुर्भाग्य यह है कि हम लोगों को भी फ्रस्ट क्लास के पास दे दिये गये हैं और मेम्बर भी अब तीसरे दर्जे में सफर नहीं करते हैं।

चूँकि समय थोड़ा है, इस वास्ते मैं एक ही बात कह करके खत्म किये देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम सब की तरफ से जनता के नाम अपील होनी चाहिये, मिनिस्टर्स की तरफ से, प्रधान मंत्री जी की तरफ से तथा दूसरों की तरफ से विद्यार्थी बन्धुओं से तथा दूसरों से अपील होनी चाहिये कि वे कोई

नाजायज काम न करें। दूसरे जो छोटी छोटी दिक्कतें हैं, जो छोटी छोटी कमियाँ हैं, उनका भी हल होना जरूरी है, उनका भी दूर होना जरूरी है, वे कुछ सुझाव ही मैं आपको देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप इन पर गौर करेंगे और जो समस्या है अगर वह पूरे तौर पर हल नहीं हो सकती तो कुछ हद तक तो हल अवश्य होगी, उसका समाधान तो अवश्य होगा और इसको हल करने में हम सब को मिल करके कोशिश करनी चाहिये।

श्री म० चं० जैन (कैथल) उपाध्यक्ष महोदय, अब यह तीसरी रीडिंग की स्टेज है। जिस बीमारी का इलाज हम इम बिल के द्वारा करने जा रहे हैं, हमें देखना यह है कि क्या वह हो सकेगा या नहीं? हाउस के मैम्बर साहिबान इस्तलाफ राय रखते हुये भी इतिफाक राय से इम बिल को पाम करने जा रहे हैं। लेकिन जहाँ तक बीमारी का ताल्लुक है मैं ने माननीय मेम्बर साहिबान की स्पीचिंग को सुना है और बड़े गौर के साथ सुना है और सभी मैम्बर यह स्वीकार करते हैं कि बीमारी है लेकिन जहाँ तक उसके इलाज का ताल्लुक है, रेलवे मिनिस्टर साहब और हाउस के इस्तलाफ राय हैं। जो इलाज माननीय मंत्री महोदय ने हमारे सामने रखा है, चूँकि मैम्बर साहिबान ने तो उसको स्वीकार कर लिया है, इस लिये यह बिल पास होने जा रहा है।

लेकिन मैं मंत्री महोदय का ध्यान मैम्बर साहिबान की स्पीचिंग की तरफ दिलाना चाहता हूँ और जो जवाब दिया गया है मिनिस्टर साहब की तरफ से उन स्पीचिंग का उसकी तरफ दिलाना चाहता हूँ। मैम्बर साहिबान की तरफ से रेलवे में कोरप्शन के बारे में जो कुछ कहा गया है उनका जवाब कोई सैटिस्फैक्टरी जवाब, नहीं दिया गया है। जो इलाज माननीय मंत्री महोदय ने तजवीज किया था वह तो माना जा रहा है लेकिन जहाँ तक मैम्बर साहिबान का ताल्लुक है,

(श्री मू० च० जैन)

उनका ब्याल है कि बीमारी के कारण कुछ और हैं जिन की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन की सबज्जह नहीं है और वह है रेलवे में कोरप्शन का होना। किसी भी मੈम्बर ने अपनी स्पीच में यह नहीं कहा कि रेलवे में कोरप्शन नहीं है बल्कि एक के बाद दूसरे मੈम्बर ने अपने जाती तजुर्बों की बिना पर और बड़े दुख के साथ यह कहा कि रेलवे कर्मचारियों में कोरप्शन है। मैं उस वक्त डिप्टी रेलवे मिनिस्टर के उस रिमार्क को भी सुन रहा था जब कि उन्होंने बड़ी सक्ती के साथ यह कहा कि कोरप्शन नहीं है। यह एक समस्या है। हाउस के मੈम्बरा यह समझते हैं कि रेलवे में बेहद कोरप्शन है जबकि जिन के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन है

श्री शाहनवाज खाँ आन प्वाइंट आफ क्लेरिफिकेशन, सर। मैं यह समझता हूँ कि मेरे साथ बेइसाफी की जा रही है। मैं ने उस वक्त एतराज किया था कि जब एक आनरेबल मੈम्बर साहब कह रहे थे कि रेलवे आफिसर्स अपने बीवी च्वो इत्यादि बिना टिकट के ले जाते हैं। यह बात गलत है। मैं ने यह नहीं कहा कि रेलवे में कोरप्शन नहीं है।

श्री मू० च० जैन अभी डिप्टी रेलवे मिनिस्टर साहब ने जो सफाई दी है

श्री राजेन्द्र सिंह उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने वह अभियोग लगाया था कि बहुत से रेलवे के आफिसर्स अपनी बीवी, अपने बाल बच्चों और अपने दोस्तों के साथ बगैर टिकिट चलते हैं और बेश्याओं को अपने घर बगैर टिकिट के बुलाते हैं।

श्री शाहनवाज खाँ यह बिल्कुल गलत है।

श्री राजेन्द्र सिंह अगर आप समझते हैं कि मैं गलत कहता हूँ तो हाउस के बाहर

चल कर के आप तहकीकात करा लें और अगर यह बात गलत साबित हो तो मैं रिजाइन करूंगा और अगर सही साबित हो तो आप रिजाइन कीजिये।

Mr Deputy-Speaker: Order, order. We would not allow any of you to resign. Let us continue

श्री मू० च० जैन डिप्टी स्पीकर, साहब, मैं यह कह रहा था कि जो प्रस्थारत माननीय मंत्री महोदय ने भागे हैं वे उन्हें मिल रहे हैं। हाउस खुा होगा और मिनिस्टर साहब और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देगा अगर एक बरस के बाद हमें आकड़े दे कर बतायें कि टिकिटलैस ट्रेवन इतना कम हुआ है, जो हमारे कर्मचारियों पर हमले होते थे, वे इस हद तक कम हो गये हैं, जो हाकर्स गडबड करते थे और नाजायज काम करा थे, वे इस हद तक कम हो गये हैं, नाजायज तौर पर जो जजोरे खींची जाती थी, वे इतनी कम हो गई हैं, अगर एक बरस के बाद हमें वह कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा सकें तो मैं कहता हूँ वह तमाम हाउस की तरफ से मुबारिकबाद के मुस्तहिक होंगे।

लेकिन मैं जानता हूँ कि सजा बढ़ाने के बावजूद भी वही ढाक के तीन पात वाली बात होगी। मैं समझता हूँ कि इस बिल की माफ्त हम उस कमी को छिपाने का प्रयत्न कर रहे हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में है। कही यह बिल कमजोरी को छिपाने का एक डिवाइस ना हो। आज एडमिनिस्ट्रेशन में भ्रष्टाचार है और इमको दूर करने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। सभी स्टेजिज पर भ्रष्टाचार है। अगर गुड्स क्लार्क्स में भ्रष्टाचार है तो मैं आपको अपने तजुर्बों की बिना पर बता सकता हूँ कि जब तक ऊपर का जो अफसर है वह मिला हुआ नहीं होता है, तब तक भ्रष्टाचार ही नहीं हो सकता है और वह मिला हुआ न हो तो भ्रष्टाचार करने की किसी की हिम्मत हो ही नहीं सकती है। आज टिकिट बाटने

बालों में कोरप्शन है और यह भी ऊपर के अफसरों के परिवारों के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता है। आप कायदा बनायें कि अगर गुड्स क्लार्क या कोई और कोरप्शन करता हुआ पाया जायगा तो उसके ऊपर जो अफसर है उसकी भी जिम्मेदारी होगी, चाहे इसे वीकेरियस लायबिलिटी (vicarious liability) कहा जाये और जब आपने ऐसा किया तो कोरप्शन बन्द हो जायेगा। आज मैं देख रहा हूँ कि जनता में बड़ी भारी अविश्वास की भावना पैदा हो रही है, कोरप्शन बढ़ रहा है और हमारे मंत्री महोदय और रेलवे विभाग भी नींद सो रहे हैं। जब आप इस तरह से सोचेंगे कि कोरप्शन नहीं है तो कैसे उसको दूर करने का सवाल पैदा हो सकता है।

बहरहाल उन्होंने जो पावर्स चाही थी, हाउस ने उन्हें दी है। हाउस तो यह जानना चाहेगा कि यह नतीजा क्या दिखाते हैं। अगले साल जो फिगर्स दिये जायेंगे उन से पता चलेगा कि कितना फायदा या नुकसान इस बिल से होगा। अगर अच्छा नतीजा निकला तो हाउस के मेम्बर उन्हें धन्यवाद देंगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि हाउस के मेम्बरान ने जो दूसरी तजवीजे दी हैं पार्लियामेंट के अन्दर उन की तरफ हमारी सरकार ध्यान दे और अगर उन तजवीजों पर अमल किया गया तो लाजिमी तौर पर जो नतीजा होना चाहिये वह होगा।

Mr. Deputy-Speaker There was an hon lady Member sitting there behind the pillar who wanted to speak

Shri Jagjivan Ram: She is not there, Sir,

Mr Deputy-Speaker: Shri Dasappa

Shri Dasappa: Mr Deputy-Speaker, S.R., I am glad that this measure has received practically unanimous support at the hands of this House (Interruptions.)

An Hon. Member: Question

Shri T. B. Vittal Rao: Ask Shri Jaganatha Rao

Shri Dasappa: If there are still some dissentients, I must express my astonishment and surprise at the attitude of those few hon Members

I think the purpose is obviously to bring about a perceptible improvement in the general conduct and morality of the travelling public. That, I believe, is the main purpose of this Bill. I ask if this is not a measure which is going to help the railway authorities in trying to bring about that wholesome result. It is true that there may be so many other defects in the working of the Railway administration. But, I beg to submit that today, when considering this Bill, those are a little foreign to it. Therefore, those critics who have confused issues and tried to narrate the difficulties which they experience at the hands of the railway authorities had better reserve their observations to another occasion which is not far off from today.

I want to refer to just one or two things which need the attention of the hon Minister. It is a thing which you have particularly brought to his attention, and that is with regard to over-crowding. Now that the pom' has been so well brought out, it certainly encourages any passenger in a crowded compartment, particularly of the third class type where this is likely to occur, to bring anybody who gets into that crowded compartment under the purview of the penal provisions of this law. I want the hon Minister to tell me whether that section which has been there—section 112 or so—has not remained a dead letter all these years. If according to the hon Minister, it is going to remain dead letter, is it fair that we should allow to stand in the statute? There is nothing so demoralising as having a piece of legislation which you cannot yourself implement and which you do not believe in implementing.

An Hon. Member: Yes

**Shri Dasappa:** Therefore, I say that, even if the hon. Minister has not found it necessary to accept the amendment to which you yourself referred, I hope, within a short while he will see to the removal of that particular clause where he makes it penal for people to get into a bogie which has already had its quota and that would be a very wholesome thing.

Then, there is the other provision about the magistrate trying to bind over for good behaviour persons who are habitually committing the offence of travelling without ticket—not only they, but also those who have attempted to commit the offence of travelling without ticket. The latter clause is a very dangerous one. Though we have not expunged that particular clause. I hope the hon. Minister will see to it that no case will be launched for binding over for good behaviour on the mere basis that there has been attempts on their part.

With regard to the clause for binding over for good behaviour, in every law there is a provision for giving notice before such action is taken.

**Shri Dasappa:** Here, there is no such provision at all in this. If some proof is there before a Magistrate that he has been a habitual offender or he has attempted to do so . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** That procedure would apply even now; it would remain the same. This is substantive law. The procedure would remain the same.

**Shri Dasappa:** I hope that procedure would apply in this case also . . .

**Mr. Deputy-Speaker:** The hon. Member's time is up.

**Shri Dasappa:** Anyway, the hon. Minister deserves our heartiest congratulations for this measure.

**Shri Shah nawaz Khan:** Sir, I am grateful to the hon. Members who have taken such a lively interest in this debate . . .

**Shri Rajendra Singh:** Other than me, of course.

**Shri Shah nawaz Khan:** It is admitted that there is overcrowding on our railways but the House is fully aware of the circumstances in which the Railway Minister is working. We are charged with the primary task of coping with the goods traffic with very limited funds. This august House had to take a decision whether to give priority to the movement of goods for the development of our industries or to decrease the overcrowding and in all its wisdom it has approved the policy that priority has to be given to the goods traffic. I am proud to be able to tell the House that the Indian Railways carry all the traffic that is available and today we are in a very comfortable position. There are hardly any outstanding registration . . . (Interruptions.)

The House is aware that only a few days ago our respected President performed the opening ceremony of two of our huge steel plants. When they go into full production, our drawbacks from which we are suffering now and because of which we could not do away with overcrowding—shortage of rails, steel plates, sleepers, etc., for which we are depending on foreign exchange—will be removed . . .

**Shri D. C. Sharma:** What about the increase in population?

**Shri Shah nawaz Khan:** So, the time is not so very far off when we shall be in as happy a position in regard to overcrowding also as we are now in regard to the goods traffic.

My hon. friend, Shri D. C. Sharma has also hinted at a very important factor. With our very limited resources we are doing whatever is possible. The House is aware that we are adding additional coaches almost to the maximum capacity of the train. Wherever it is possible we are putting more and more coaches. We have taken off the air-conditioned coaches and put ordinary third-class coaches in the vestibule trains. But the

terrific rate at which our population is increasing should be taken into consideration by the House. So many people more means so many more travelling.

17 hrs.

My friend Shri Mulchand referred to corruption that was rampant in the railways. I do not say that there is no corruption at all. There is corruption and the Acharya Kripalani Committee has pointed out the many many aspects in which it exists. I can assure you that we are trying our utmost to fight corruption. In fact, the Railway Minister has issued orders to General Managers to use their special powers to weed out such undesirable people from the railway

administration, where corruption cannot be proved, but the General Managers are convinced that there is corruption. (*Interruptions.*)

With these words, I beg to move:

"That the Bill, as amended, be passed"

Mr. Deputy-Speaker: The question is.

"That the Bill, as amended, be passed"

*The motion was adopted.*

17.01 hrs.

*The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday the 13th February 1959/Magha 24, 1959 (Saka).*